VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

Classroom Study Material

अर्थव्यवस्था - 1

October 2016 – June 2017

Note: July, August and September Material will be updated in September Last week.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. रोजगार और कौशल विकास ____ 4

1.1. रोज़गार की स्थिति ____ 4

1.2. रोजगार सृजन ____ 4

1.3. सरकार द्वारा किये गए सुधार-श्रम सुधार ____ 5

1.4. मानव पूंजी-कौशल विकास तथा नवाचार ____ 11

1.5. विश्व विकास रिपोर्ट 2016 – डिजिटल लाभांश ____ 14

2. समावेशी विकास: गरीबी और इससे संबंधित मुद्दे ____ 16

2.1. सार्वभौमिक मूलभूत आय (UBI) ____ 17

2.2. सरकार द्वारा हाल ही में उठाये गए कदम ____ 18

2.2.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अब संपूर्ण देश शामिल ____ 18

2.2.2. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम ____ 19

2.2.3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रदर्शन (PMUY) ____ 19

3. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस : सुधार ____ 20

3.1. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग ____ 20

3.2. राज्यों के बीच इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग ____ 21

4. वित्त एवं बैंकिंग ____ 23

4.1.बैंकिंग की समस्याएं ____ 23

4.2. वित्तीय समावेशन ____ 30

4.2.1 वित्तीय समावेशन से सम्बंधित मुद्दे ____ 31

4.2.2. लघु वित्त बैंक ____ 31

4.2.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानक: ____ 32

4.2.4. शाखा प्राधिकरण नीति ____ 33

4.2.5. स्कूल के लिए बीमा साक्षरता कार्यक्रम ____ 33

4.3. RBI से सम्बंधित मुद्दे ____ 34

4.3.1. भारतीय रिजर्व बैंक की शासन प्रणाली में समस्याएँ ____ 34

4.3.2. भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता ____ 35

4.4. प्रस्तावित पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ____ 35

4.5. बाजार स्थिरीकरण योजना बांड की भूमिका ____ 36

4.6. पूँजी एवं मुद्रा बाजार ____ 37

4.6.1. पी-नोट्स मानदंड ____ 37

4.6.2. सेबी द्वारा एल्गोरिदम ट्रेडिंग के नियमों को सख्त किए जाने का प्रस्ताव ____ 38

4.6.3. SEBI ने क्रेडिट रेटिंग कंपनियों के लिए मानकों को मजबूत किया ____ 38

4.7. वित्त : सरकार द्वारा उठाये गए कदम ____ 38

4.7.1. WPI एवं IIP के आधार वर्ष में परिवर्तन ____ 38

VISION IAS

4.7.2. क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड 39
4.7.3. वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 40
4.8. रोज वैली मामला/प्रकरण 40
5. सरकारी बजट 43
5.1. बजट सुधार 43
5.1.1. रेल बजट ख़त्म ? 43
5.1.2. बजट की तारीख के लिए एडवांसमेंट 43
5.1.3. योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण का विलय 43
5.2. जेंडर रिस्पान्सिव बजटिंग (लिंग उत्तरदायी बजट) / जेंडर बजटिंग 44
6. राजकोषीय प्रबंधन 45
6.1. वित्तीय विकास 45
6.2. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ 45
6.3. FRBM की समीक्षा के लिए गठित समिति 46
6.4. राज्यों का राजकोषीय समेकन 47
6.5. वित्त विधेयक 2017 48
7. कराधान 49
7.1. वस्तु और सेवा कर 49
7.2. कर आतंकवाद 52
7.3. प्रत्यक्ष कर सुधार 53
7.4. जनरल एंटी-अवॉयडेंस रूल्स 55
7.5. . प्रभावी प्रबंधन स्थल 56
7.6. CBDT ने चार अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किये 57
7.7. BEPS रोकने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन 57
7.8. पूंजीगत लाभ कर नियम 58
7.9. कृषि आय पर करारोपण 59
7.10 500 रु० और 1000 रु० के नोटों का विमुद्रीकरण 60
7.11. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 63
8. कैशलेस अर्थव्यवस्था 64
8.1. लेस-कैश' अर्थव्यवस्था और कैशलेस अर्थव्यवस्था 64
8.1.1. रतन वाटल समिति तथा चन्द्रबाबू नायडू समिति 67
8.2. बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स 68

1. रोजगार और कौशल विकास

(EMPLOYMENT AND SKILL DEVELOPMENT)

1.1. रोज़गार की स्थिति

(Employment Status)

पृष्ठभूमि

- भारत में बेरोजगारी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी अधिक गंभीर समस्या **गंभीर अल्प रोज़गार**, महिलाओं की कम श्रम बल भागीदारी और स्वैच्छिक बेरोजगारी (विशेषकर शिक्षित लोगों के बीच) है।
- पाँचवे वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण से पता चलता है कि कृषि (पशुपालन, वन और मत्स्यपालन सहित) रोजगार के स्रोत के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्रक है। इसमें 2014-15 में भारत के कार्यबल का 45.7% संलग्न था।

- मैकिंजे एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ऑन इंडिया 2017, में दावा किया गया है कि **सरकारी व्यय और उद्यमशीलता की बढ़ी हुई गतिविधियों** ने 2014 से 2017 के बीच 20-26 मिलियन लोगों के लिए लाभदायक रोजगार का सृजन किया है।
- **NITI आयोग** ने दावा किया है कि **स्वैच्छिक बेरोजगारी** बढ़ रही है क्योंकि लोग **शिक्षा में 'निवेश' करने के बाद एक निश्चित आय स्तर से नीचे** कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। (यदि एक **बेरोजगार व्यक्ति कहीं** नियोजित नहीं है और कार्यबल में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक भी नहीं है तो उसे **स्वैच्छिक बेरोजगार** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।)

- **आर्थिक सर्वेक्षण (2015-2016)** प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की ओर रोजगार का स्पष्ट स्थानांतरण दर्शाता है।
    - इससे आकस्मिक श्रम और अनुबंध श्रम दोनों में वृद्धि का पता चलता है जिसका मजदूरी के स्तर, रोजगार की स्थिरता तथा रोजगार की 'अस्थायी' प्रकृति के कारण कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
    - इससे यह भी पता चलता है कि नियोक्ताओं द्वारा नियमित/औपचारिक श्रमिकों के बजाय अस्थायी तथा अनुबंध आधारित श्रमिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका कारण श्रम कानूनों की बहुलता और उनके अनुपालन में नियोक्ताओं को होने वाली कठिनाई है।
- हालांकि, वर्तमान रोजगार प्रतिमान संधारणीय नहीं है। 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट' में संभावना व्यक्त की गई है कि भारत में बेरोजगारों की संख्या 2016 में 17.7 मिलियन से बढ़कर 2018 तक 18 मिलियन हो जाएगी। इसमें 2017 में रोजगार की दर के 3.5% से घटकर 3.4% हो जाने की भी संभावना व्यक्त की गई है।
- वहीं महिलाओं के संदर्भ में, 2015-16 में बेरोजगारी की दर 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि पुरुषों के लिए, इसी वर्ष के लिए यह 4.3 प्रतिशत थी। यह विडंबना है कि स्कूलों में लड़कियों के उच्च नामांकन के माध्यम से प्राप्त शैक्षिक उपलब्धि, श्रम बाजार में महिलाओं के लिए समान अवसरों में रूपान्तरित नही हुई है।

1.2. रोजगार सृजन

(Job Creation)

आवश्यकता: ऐसा अनुमान है कि भारत में जनांकिकीय लाभांश 25 वर्षों तक बने रहने की आशा है। किन्तु, इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए, भारत को प्रति वर्ष 12-15 मिलियन गैर-कृषि रोजगारों का सृजन करना होगा।

उठाए जाने वाले कदम

रोजगार हेतु केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है।अर्थव्यवस्था में विभिन्न कारकों की संयुक्त अंतरक्रिया के माध्यम से ही जनांकिकीय लाभ को अवसरों में रूपांतरित किया जा सकेगा।

VISION IAS

उद्यमों की अधिकाधिक संख्या : मेक इन इंडिया अभियान, स्टार्ट-अप इंडिया (नौकरी-खोजने वाले लोगों को नौकरी पैदा करने वाला बनाना)

- सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रयुक्त पूंजी की प्रति इकाई के अनुसार, विशाल उद्यमों की तुलना में अधिक रोजगार पैदा करते हैं। इसके माध्यम से लोग ना केवल स्वयं रोजगार प्राप्त करते हैं अपितु राज्य के द्वारा भी इन पर बहुत कम व्यय किये जाने या सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है
- **भौतिक अवसंरचना की गुणवत्ता और व्यापार करने की सुगमता:**
- सरकार को औपचारिक-क्षेत्र में रोजगार सृजन करना चाहिए। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विद्यमान अदृश्य बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में विद्यमान अतिरिक्त श्रमबल को श्रम-गहन उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सके।
- व्यापार करने की सुगमता के लिए श्रम कानून सरल होने चाहिए।
- **जीवन-पर्यंत सीखने की प्रक्रिया तथा सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना:**
- नई प्रौद्योगिकियों (स्वचालन) के आगमन तथा उद्यमों के नए रूपों (स्टार्ट-अप) के प्रारंभ से विविध उद्यमों में कार्य की प्रकृति तीव्रता से परिवर्तित हो रही है। जीवन के किसी काल विशेष में एक बार में अर्जित की गयी शिक्षा और कौशल अब रोजगार की गारंटी नहीं रह गए हैं। स्पष्ट रूप से, तकनीकी परिदृश्य (tech landscape) में होने वाले तीव्र बदलावों से संगति ना बैठा पाने की स्थिति में रोजगार अवसर सीमित हो रहे हैं।
- **डिजिटल इंडिया की अवधारणा** को अपनाकर इस चुनौती का सामना किया जा सकता है।यह कार्यक्रम डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयोग तथा संचार नेटवर्क का एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से नवीनतम तकनीकी विकासों का भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के सशक्तिकरण में प्रयोग किया जा सकेगा।
- **बेहतर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का विकास:** उद्यमों को गतिशील वातावरण में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने श्रमबल में समायोजन की आवश्यकता होगी । इस कार्य के लिए उनकी सांगठनिक संरचना में लचीलेपन की आवश्यकता होगी। अतः कार्यशील उद्यम दीर्घकालिक रूप से अधिक रोजगार सृजन कर सकें, इसके लिए उन्हें किसी भी बदलाव हेतु पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए।
- **कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन :** कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन के सृजन के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनिया जिनके लिए श्रम गहन क्षेत्रों में निवेश हेतु अब तक चीन ही मुख्य आकर्षण रहा है, भारत के श्रम गहन क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रेरित होंगी। इन कंपनियों की उपस्थिति से ऐसे इको-सिस्टम का सृजन होगा जिससे स्थानीय स्तर पर लघु और मझोली कंपनियों को भी उत्पादकता में वृद्धि की प्रेरणा मिलेगी। अंतिम रूप से, बेहतर वेतन वाली नौकरियों में वृद्धि होगी ।

- **मैकिंजे रिपोर्ट में अधिक लाभदायक रोजगार के अवसर पैदा करने के तीन तरीके सुझाए गए हैं।**
- भारत में रोजगार अवसरों की उपलब्धता तथा श्रम बाजारों से संबंधित विश्वसनीय आंकड़ो को समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
- निवेश और नवोन्मेष के मार्ग में व्याप्त बाधाओं को दूर करने हेतु सरकारी कार्यक्रम का संचालन।
- सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से, औद्योगिक नगरों का निर्माण करना, विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना और पर्यटन परिपथों के विकास जैसे प्रयासों के माध्यम से रोजगार के अधिक लाभदायक अवसर पैदा किये जा सकते हैं।
- NITI आयोग ने सुझाव दिया है कि स्वैच्छिक बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार को नौकरियों में विविधता पैदा करनी चाहिए ताकि इन स्वैच्छिक बेरोजगारों को उत्पादक गतिविधियों की ओर आकर्षित किया जा सके ।

1.3. सरकार द्वारा किये गए सुधार-श्रम सुधार

(Reforms Undertaken By Government-Labour Reforms)

- **बोनस भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2016**: बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2015 में पात्रता सीमा को प्रति माह 10,000 / - प्रति माह से बढ़ाकर 21,000 / - प्रति माह करने का प्रावधान किया गया है।

- **मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016:** इसके द्वारा कार्यस्थल पर क्रैच सुविधा के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 से बढाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। पारम्परिक मातृत्व की अवधारणा से दूर हटते हुए, इसके द्वारा सरोगेसी प्रक्रिया को अपनाने वाली माँ (सरोगेट बच्चे के मामले में) और बच्चे को गोद लेने वाली माता (गोद लेने के मामले में) के लिए 12 सप्ताह के मातृत्व लाभ का प्रावधान किया गया है।
- **कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन) विधेयक, 2016** इसके द्वारा अर्थदंड को तार्किक बनाने और अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
- **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016** ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान किया और स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने के बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए इसके उल्लंघन के लिए अधिक कड़े दंड का प्रस्ताव किया। गरीबी के दुष्चक्र को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को अपने परिवारिक उद्यमों में केवल गैर-खतरनाक व्यवसायों में सहायता करने की अनुमति है। यह अनुमति केवल स्कूल के समय के बाद या छुट्टियों के दौरान दी गई है।
- **औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम:** उद्योग की मौसमी प्रकृति के कारण, वस्त्र और परिधान क्षेत्रों में निश्चित अवधि वाला रोजगार सम्मिलित किया गया है। यह इस क्षेत्र में निश्चित अवधि वाले कर्मचारी के रूप में नियमित कर्मचारियों के लिए समान कार्यदशाएं, मजदूरी और अन्य लाभ सुनिश्चित करता है। नियोक्ता किसी भी ठेकेदार की मध्यस्थता के बिना एक निश्चित अवधि के लिए श्रमिकों को सीधे नियुक्त कर सकता है।
- **मजदूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2016,** यह केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ विशिष्ट औद्योगिक इकाइयों या उपक्रमों को यह निर्देश देने का अधिकार देती है कि उनके नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों का वेतन-भुगतान, केवल चेक द्वारा या कर्मचारी के बैंक खाते के माध्यम से जमा करना होगा। इसके बाद चेक द्वारा या किसी बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी के भुगतान के लिए लिखित अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना:** नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना निर्माण किया गया है। इसमें भारत सरकार नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ता को 8.33% EPS (कर्मचारी भविष्य निधि योजना) का अंशदान करेगी।
- **निजी बैंकों के माध्यम से भविष्य निधि अंशदान** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान पोर्टल paygov के माध्यम से EPFO में अंशदान किया जा सकता है। इससे भुगतान समूहकों के साथ होने वाली देरी में कमी आएगी और अंशदाताओं के लिए निर्बाध रूप से क्रेडिट भुगतान एवं इसकी सर्विस डिलीवरी में सुधार करने में सहायता मिलेगी।
- **बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन का प्रस्ताव:** यह संशोधन 'सामग्री' घटकों को हटाने का प्रावधान करता है जिन्हें मजदूरी माना जाता है। चाय उद्योग, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करता है। इनके द्वारा तर्क दिया जाता है कि PLA 1951 के तहत प्रदत सुविधाओं का मुद्रीकृत मूल्य, मजदूरी की क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान करता है।
- **मॉडल दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक 2016:** यह कानून, विशेषकर महिलाओं के लिए, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह कानून महिलाओं को नाईट शिफ्ट में पर्याप्त सुरक्षा और कार्यस्थल पर पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा, शौचालय और क्रेच सुविधाओं जैसी अन्य सुविधाओं के साथ, काम करने की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान करता है।

संवैधानिक अधिदेश (मैंडेट)

- **अनुच्छेद 23** बलात श्रम का निषेध करता है।
- **अनुच्छेद 24** बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
- **अनुच्छेद 42** में कहा गया है कि राज्य काम के लिए और मातृत्व राहत के लिए उचित और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा।
- **अनुच्छेद 43A** (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना)

- **प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन सुधार**
- **श्रम सुविधा पोर्टल** केंद्रीय स्तर पर पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना, अद्वितीय श्रमिक पहचान संख्या (LIN) प्रदान करने के लिए बहुभाषी मंच है।

* सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN), प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण (OLRE), ग्लोबल नेटवर्क संचालन केंद्र, ESIC अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का विस्तार।
* राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) परियोजना: NCS पोर्टल जॉब मैचिंग, करियर परामर्श और कौशल विकास पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता आदि पर जानकारी, जैसी विभिन्न प्रकार की रोज़गार से संबंधित सेवाएं प्रदान करके नौकरी तलाशने वाले लोगों, नियोक्ताओं और अन्य हितधारकों को एक साझा मंच पर एक साथ लाता है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर प्रारूप श्रम संहिता

* **श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग** की अनुशंसाओं के आधार पर, सरकार ने केंद्रीय श्रम कानूनों के सरलीकरण, एकीकरण एवं तार्किकीकरण और उन्हें 4 श्रम संहिताओं, अर्थात, मजदूरी पर संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर सहिता, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य संबंधी दशाओं पर संहिता, से प्रतिस्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं।
* **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संहिता** सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संहिता एक एकल श्रमिक, घरेलू सहायता, कृषि श्रमिकों सहित स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए भी, कारखानों की प्रणाली में रोजगार-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के रूप में व्यापक परिवर्तन करने के लिए प्रयोजित है। यह स्वयं योजनाओं को योगदान देगा।

स्टार्ट-अप की परिभाषा (DIPP द्वारा यथा परिभाषित)
स्टार्टअप से आशय भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई से है:

* सामान्य स्टार्टअप के मामले में सात वर्ष, हालांकि जैवप्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए दस वर्ष से पहले की कम्पनी न हो,
* किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रूपए से अधिक का नहीं वार्षिक कारोबार न हो, और
* उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में कार्य करनेवाली, या यदि यह रोजगार जनन या संपत्ति सृजन की उच्च क्षमता वाला मापनयोग्य व्यापार मॉडल है।
* सरकार, घरेलू उद्यम फंड द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर या जिसके पास भारतीय पेटेंट है।

CIPAM

* **DIPP (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)** के आधीन बनाया गया एक व्यवसायिक निकाय, जिसे **राष्ट्रीय IPR नीति 2016** के कार्यान्वियन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
* इसके उद्देश्य IPR (बौद्धिक सम्पदा अधिकारों) के सम्बन्ध में जागरूकता का प्रसार करना है, सुविधा केन्द्रों के माध्यम से IPR दाखिल करना, अन्वेषकों को अपनी बौद्धिक परिसम्पत्तियों के व्यवसायीकरण के लिए मंच प्रदान करना है।

सरकारी योजनाएं

स्टार्टअप इंडिया

* यह देश में **नवोन्मेष** और स्टार्ट-अप का विकास करने के लिए मजबूत पारिस्थतिकी-प्रणाली है जो आर्थिक विकास संचालित करेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करेगा।
* स्टार्ट-अप का उद्देश्य ऐसे समय अधिक रोजगारों का सृजन करना है, जब विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन में मंदी का सामना कर रहा है।
* यह ऐसी कार्य योजना पर आधारित है, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने वाले स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए बैंक वित्तपोषण को बढ़ावा देना है।
* सरकार स्टार्टअप इंडिया केंद्र की स्थापना करेगी जो स्टार्टअप के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

VISION IAS

स्टार्ट-अप इंडिया केंद्र

- यह भारत में स्टार्टअप, निवेशकों, परामर्शदाताओं, शिक्षाविदों, इनक्यूबेटर, एक्सीलरेटर, कॉरपोरेट, सरकारी निकाय आदि जैसे उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिए डिस्कवर, कनेक्ट और एक दूसरे के साथ संलग्न होने के लिए साझा ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।
- स्टार्टअप इंडिया केंद्र इन्वेस्ट इंडिया के अंतर्गत कार्यरत है। इन्वेस्ट इंडिया, भारत में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिदेशित भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है।

लाभ

- इससे विशेष रूप से द्वितीय और तृतीय श्रेणी (टियर) के शहरों में स्थित नवजात पारिस्थितिक तंत्रों में सूचना विषमता और ज्ञान, औजारों, विशेषज्ञों और वित्तपोषण तक पहुंच की कमी की समस्या का समाधान होगा।
- यह उपयोगकर्ताओं को पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों से जुड़ने, नि:शुल्क सीखने के संसाधनों, औजारों और विधिक, मानव संसाधन, लेखांकन और विनियामक मुद्दों पर टेम्पलेट्स और चर्चा मंचों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा।

स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना

- पायलट आधार पर, केंद्र सरकार ने स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) योजना 3 वर्ष बढ़ाकर मार्च 2020 तक कर दी है।
- स्टार्ट-अप के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की जागरूकता की रक्षा करने और बढ़ावा देने और उनके बीच रचनात्मकता और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाप्रदाताओं को महानियंत्रक पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन (CGPDTM) द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा।
- DIPP ने किसी भी प्रयोक्ता शुल्क के बिना कार्यान्वयन के लिए कई सुविधाप्रदाताओं को सूचीबद्ध किया है।

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)

- SVEP का उद्देश्य संधारणीय स्व-रोजगार अवसरों के सृजन के प्रति जमीनी स्तर, अर्थात, गांवों से आवश्यक बल प्रदान करके आर्थिक विकास प्रोत्साहित करना और सुगम बनाना है।

प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष सहायता केंद्र:

- DIIP का **TISC** कार्यक्रम, विकासशील देशों में नवीन अविष्कारों को स्थानीय स्तर पर आधारित, उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी जानकारी और सम्बन्धित सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे उनकी अभिनव क्षमता का लाभ उठाने और**IPR प्रोत्साहन और प्रबन्धन सेल (CIPAM) के माध्यम** से उनकी बौद्धिक सम्पदा (IP) अधिकारों का निर्माण, संरक्षण और प्रबन्धन करने में सहायता प्राप्त होती है।

उच्चतर अविष्कार योजना:

- स्टार्ट-अप इण्डिया के लिए अनुसन्धान और शैक्षणिक सहायता के अंतर्गत, सरकार ने IIT छात्रों के बीच **बहुत अधिक गुणवत्तायुक्त** अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के लिए 250 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की है।
- इस प्रारूप को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि अनुसन्धान और वित्त पोषण का उपयोग उद्योग की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए किया जाये।

भारतीय उद्यम विकास सेवा (IEDS):

- सरकार ने लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के आधीन विकास आयुक्त के कार्यालय में IEDS के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- यह न केवल सन्गठन को सुदृढ़ करेगा बल्कि "स्टार्ट-अप इंडिया", "स्टैंड-अप इंडिया" और "मेक इन इंडिया" की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगा।

NIDHI (निधि):

- एक वृहत चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम (नवोन्मेषों के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल-निधि) को नवोन्मेष और उद्यमिता विकास केन्द्रों (IEDCs) के माध्यम से IEDs से 20 छात्रों को नवोन्मेष के लिए 10 लाख रूपये और पुरुस्कार देने के लिए स्थापित किया जायेगा।

ATAL नवोन्मेष मिशन (AIM):

- **स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (SETU)** के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन पर ध्यान केन्द्रित कर के, नवोन्मेष केंद्र, वृहत चुनौतियाँ, स्टार्ट-अप व्यवसायों और अन्य स्व-रोजगार गतिविधियों के प्रचार के लिए इसे एक मंच के रूप में सेवा देने के लिए प्रारम्भ किया गया था।

VISION IAS

- विद्यालयों में "भारत में एक लाख बच्चों को आधुनिक अन्वेषकों के रूप में विकसित करने के लिए" नीति आयोग, **अटल नवोन्मेष मिशन (AIM)**के अंतर्गत विद्यालयों में 500 **अटल टिन्करिंग लेबोरेटरीज (ATL)** की स्थापना करेगा।

दीन दयाल स्वनियोजन योजना (DUSY)

- वर्तमान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्त पोषित **स्टार्ट-अप इण्डिया** अभियान के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा इसे प्रारम्भ किया गया था।
- स्व-रोजगार की खोज में ग्रामीण लोगों को यह वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह योजना मुद्रा बैंक ऋण योजना, अभिनव ऋण लिंकेज्स और अन्य स्व-सहायता समूहों के साथ समन्वय बनाएगी।
- यह स्व-रोजगार के लिए यह अन्य आवश्यक कौशलों के साथ, ड्राईविंग, प्लम्बिंग, कृषि, डेयरी फार्मिंग, ग्राफ्टिंग और बागवानी आदि जैसे कौशल प्रदान करेगा।
- इन क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों को अपने स्वयं के व्यवसायों की स्थापना के लिए, मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों जैसे वस्त्र, पशु पालन, और खाद्य प्रसंस्करण के साथ भी समन्वय करेगा।

स्टैंड-अप इण्डिया योजना:

- SC/ST महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए **"करें प्रयास, पायें विकास"** प्रचार वाक्य का उपयोग किया जायेगा।
- प्रत्येक बैंक की शाखा में कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना चाहती है, जो प्रत्येक श्रेणी में उद्यमों के लिए एक की औसत बनती है।
- लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ़ इंडिया (SIDBI) के माध्यम से 10,000 करोड़ रूपये की एक प्रारम्भिक राशी की पुनर्वित्त खिड़की।
- **राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कम्पनी (NCGTC) के माध्यम से** ऋण गारंटी व्यवस्था का गठन। इस योजना के अंतर्गत दिया गया ऋण **NCGTC द्वारा समर्थित** और पर्याप्त रूप से सुरक्षित होगा।
- वर्तमान में भारत में केवल 9% स्टार्ट-अप महिलाओं के नेतृत्व में हैं।

राष्ट्रीय SC/ST केंद्र:

- SC/ST केन्द्रों का लक्ष्य SC/ST वर्ग के उद्यमियों को व्यवसायिक सहायता प्रदान करना है और उनमे उद्यम संस्कृति और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
- यह बाजार की पहुंच/सम्बद्धता, क्षमता निर्माण, उद्योग के सर्वोत्तम विधियों की सहभागिता करने और वित्तीय सहायता योजनाओं से लाभ उठाने का कार्य करेंगे।
- यह सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों (CPSE) को भी सक्षम करेगी। 2012 की सार्वजनिक खरीद नीति ने यह अनुमोदित किया है कि मंत्रालयों, विभागों और CPSEs द्वारा की जाने वाली खरीद का 4% SC/ST स्वामित्व वाले उद्यमों से करेंगे।

शून्य दोष-शून्य प्रभाव योजना:

- ZED योजना का उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को वितरित करने के लिए सभी MSMEs का मूल्यांकन और मार्गदर्शन करना है। इसमें प्रत्येक उद्योग के लिए क्षेत्र-विशिष्ट मापदंड होंगे।
- शून्य दोष, शून्य प्रभाव (ZED) के नारे का उद्देश्य पर्यावरण के क्षेत्र में न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव के साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना है।
- यह योजना केंद्र सरकार के प्रमुख मेक-इन-इण्डिया कार्यक्रम की आधारशिला भी है।

आजीविकाएं पैदा करने की योजनायें – NRLM और DAY NULM:

- इसका उद्देश्य दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के माध्यम से शहरी गरीबों के व्यवसायिक और सामाजिक कमजोरियों को सम्बोधित करना है।
- कौशल आधारित विकास के अवसरों को बनाने के लिए बाजार आधारित रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबों को स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने, व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना, स्व-सहायता समूह का गठन, बेघर लोगों के लिए आश्रयों का निर्माण, सडक विक्रेताओं के लिए मूलभूत सुविधाएँ कूड़ा बींनने वालों, निशक्तजन आदि पर ध्यान केन्द्रित करता है।

VISION IAS

- इसे पांच प्रमुख घटकों के द्वारा लागू किया जाता है: सामाजिक संघटन और संस्थागत विकास, स्व-रोजगार कार्यक्रम (SEPs), कौशल, प्रशिक्षण और नियुक्ति (EST&P), शहरी बेघरों के लिए आश्रय (SUH) और शहरी सड़क विक्रताओं को समर्थन (SUSV) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
- कौशल विकास पर **मुख्यमंत्रियों के उप-समूह ने** प्रक्रिया सम्बन्धी दिशानिर्देशों में सुधार करने का सुझाव दिया है ताकि कृषि और सम्बद्ध व्यवसायों में स्व-रोजगार को भी नौकरी-नियुक्ति में सम्मलित किया जा सके।

DAY-NRLM के प्रभाव का आकलन।

- हाल ही में, दीन दयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि यह ब्लाक स्तर तक सही संवेदनशील सरंचना बनाने में सफल रहे हैं जैसे;
- इसके द्वारा कवर न किये गये क्षेत्रों की तुलना में लोगों के पास मवेशियों की संख्या अधिक है;
- भोजन की खपत पर उनका खर्च कम होता है परन्तु शिक्षा पर अधिक होता है और औपचारिक संस्थानों को बचाने के लिए अधिक तत्परता दिखाते हैं।
- कवर न किये गये क्षेत्रों के परिवारों की तुलना में 22% अधिक (शुद्ध) आय है जो अधिकतर उनके उद्यमों से प्राप्त आय है।

दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY–NRLM):

- देश में सभी ग्रामीण गरीब परिवारों (2024-25 तक) को व्यवस्थित करने का उद्देश्य है और जब तक वे घोर निर्धनता से बाहर नहीं आ जाते, तब तक उनका पोषण और सहायता की जानी है।
- इसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूह में संगठित करके सार्वभौमिक **सामाजिक लामबंदी** के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
- सभी 29 राज्यों और 5 संघ-शासित प्रदेश (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) इस मिशन को 556 जिलों के 3,814 ब्लाकों में लागू कर रहे हैं।

भारत में कौशल विकास का अभाव क्यों है?

- **शिक्षा**: शिक्षा प्रणाली कुशल श्रम-बल के स्थान पर लिपिकीय श्रम-बल निर्माण पर अधिक निर्भर है। यह उन लोगों की मांग की कमी को प्रतिबिम्बित करती है, जिन्हें कुशल बनाने की आवश्यकता है।
- **तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी:** तकनीकी में बदलाव की गति और तदनुसार बदलते हुए कौशल की गति से मेल नहीं खाता है। इसलिए उस मात्रा और क्षेत्रों का अनुमान लगाना कठिन है जिसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। यह उच्च श्रेणी के कौशल सेट की आवश्यकता को बढ़ा देता है।
- **सामाजिक स्वीकार्यता**: हमारा समाज अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित लोगों को कम स्वीकृति और मान्यता देता है। इसके कारण कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति को नैतिक समर्थन का आभाव रहता है।
- **उद्योगों में कौशल के लिए असमान मांग**: विभिन्न कौशल आवश्यकताएं और उनकी मांग उद्योगों के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्रों के उद्योगों की मांग पर्वतीय क्षेत्रों के उद्योगों से भिन्न होगी।
- **अवसंरचना की कमी और पाठ्यक्रमों की खराब गुणवत्ता:** अधिकतर कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में अवसंरचना की गुणवत्ता खराब है और उसमें सुधार नहीं किया गया है। इसलिए औद्योगिक आवश्यकता और व्यवसायिक संस्थानों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के बीच बहुत अंतर है।
- **अक्षम प्रशिक्षक**: इन संस्थानों के प्रशिक्षक, प्रशिक्षण की विधियों को अद्यतन किये बिना ही मशीनों के संचालन के लिए परम्परागत पद्धतियों का पालन कर रहे हैं।
- **उद्योग की ओर से पहल की कमी:** उद्योगों ने लागत कम करने के लिए प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की भर्ती न करने का विकल्प चुना है, क्योंकि यह देखने में आया है कि SMEs औपचारिक रूप से प्रशिक्षित या कुशल श्रमिक के स्थान पर कम वेतन पर गैर-प्रशिक्षित या अर्ध-प्रशिक्षित श्रमिक को भर्ती कर लेते हैं।
- **लम्बित श्रम सुधार:**श्रम कानूनों की जटिलता एक अवरोध कारक है। प्रायः नियोक्ता अपने आप को भारतीय श्रम कानूनों के विकास से बचाने के लिए स्वचालन और अनुबंधीय श्रम को पसंद करते हैं।

1.4. मानव पूंजी-कौशल विकास तथा नवाचार

(Human Capital- Skill Development And Innovation)

पृष्ठभूमि

यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ***'इंडिया स्किल रिपोर्ट 2017'*** में रेखांकित किया है कि शेष ब्रिक्स राष्ट्रों की तुलना में भारत के केवल 2.3% कार्य-बल ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त NSSO के आंकड़े बताते हैं कि 21-35 वर्ष की आयु-वर्ग के लोगों के समक्ष *वर्किंग-पावर्टी* (कार्यशील-गरीबी) का उच्च संकट विद्यमान है। इसका कारण यह है कि इनमें से अधिकांश उपयुक्त रोजगार पाने में विफल रहते हैं।

कौशल विकास की आवश्यकता क्यों है?

- जनांकिकीय लाभांश को जनांकिकीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तित करने के लिए।
- युवा स्नातकों में विशिष्ट नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल का अभाव। इसके साथ ही साथ उनके वर्तमान कौशल को उद्यमिता और नवोन्मेषों में परिवर्तित करने के लिए अवसरों का अभाव है। इन परिस्थितियों से भारत की मानव पूँजी का अत्यधिक ह्रास हुआ है।
- मेक-इन-इण्डिया, स्मार्ट शहर और डिजिटल इण्डिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में कुशल श्रम बल की बहुत अधिक आवश्यकता है।
- तीसरी पीढ़ी के श्रम सुधारों में कुशल श्रमशक्ति की विशाल आवश्यकता होगी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में तेजी लाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध है।
- चीन में मंदी तथा जनसंख्या की बढ़ती आयु के कारण भारत के पास विश्व का प्रमुख विनिर्माण (उत्पादन) केंद्र बनने का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध है।

वर्तमान स्थिति:

- कुशल श्रम बल की गम्भीर कमी और कठिन व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण ***ग्लोबल इंडेक्स ऑफ़ टैलेंट कॉम्पिटीटिवनेस*** में भारत का 92वाँ स्थान है (2016-17)।
- इसी प्रकार *ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2017* में 130 देशों की सूची में भारत 105वें स्थान पर है। इस निम्न स्थान का कारण आधे से अधिक मानव पूँजी का उचित ढंग से उपयोग न हो पाना, युवाओं की निम्न साक्षरता दर तथा श्रम-बल की निराशाजनक भागीदारी है।
- इसके अतिरिक्त भारत के कौशल विकास प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहराई तक मौजूद हैं। शारदा प्रसाद समिति ने कहा है कि *सेक्टर स्किल काउन्सिल्स* (SSCs) ***क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए हॉटबेड*** बनी हुई हैं। ये सार्वजनिक कोष से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। उदहारण के लिए एक SSC के बोर्ड का एक सदस्य इसका प्रोमोटर भी है।
- समिति ने ***नेशनल स्किल डेवलपमेंट फण्ड* (NSDF) के संचालन में भी कई कमियाँ उजागर की हैं।**

कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015

दृष्टिकोण:"उच्च मानकों, तीव्र गति तथा बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान कर सशक्तिकरण के लिए एक परिवेश तैयार करना। नवाचार आधारित उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना जो सम्पदा और रोजगार का सृजन कर सके। ताकि देश के सभी नागरिकों के लिए संधारणीय आजीविका सुनिश्चित हो सके।"

उद्यमिता को सीमित करने वाले तीन प्रमुख क्षेत्रों को सम्बोधित करने का लक्ष्य:

निरोधक कारक: जैसे कम आकांक्षात्मक मूल्य, औपचारिक शिक्षा के साथ समेकन की कमी, परिणामों पर ध्यान देने की कमी, प्रशिक्षण, अवसंरचना और प्रशिक्षकों की कम गुणवत्ता आदि।

मांग और आपूर्ति में खाई: वर्तमान कौशल के अंतर को भरने के लिए. उद्योगों के सहयोग को प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता आश्वासन ढांचे का संचालन, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और प्रशिक्षु प्रसिक्षण के लिए अधिक अवसरों को बढ़ावा देना।

निष्पक्षता: यह नीति सामाजिक/भौगोलिक दृष्टि से हाशिये पर और वंचित समूहों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए कौशल के अवसरों को लक्षित करती है।

उद्यमिता: यह नीति औपचारिक शिक्षा प्रणाली के भीतर और बाहर सम्भावित उद्यमियों को शिक्षित और लैस करने का प्रयास करती

है। यह उद्यमियों को परामर्शदाताओं, इनक्यूबेटरों,ऋण बाजारों से जोड़ने, नवोन्मेष पोषण और उद्यमी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करती है, व्यवसाय में सुगमता और सामाजिक उद्यमता पर ध्यान केन्द्रित करती है।

सरकारी पहल:

2014 में एक नए कौशल विकास मंत्रालय के गठन से कौशल विकास के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन आया और और इसे एक नयी दिशा मिली।

- कौशल भारत की पहल को 2015 में आरम्भ किया गया था। इसका लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को रोज़गार-योग्य कौशल प्रदान करना है।
- इस पहल में कौशल विकास से सम्बंधित प्रमुख सरकारी योजनाएँ सम्मलित हैं,जैसे:
    - कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015,
    - प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (PMKVY),
    - राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन तथा कौशल ऋण योजना।
- अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षु कार्यक्रम) कौशल विकास के लिए प्रभावी तन्त्र हैं क्योंकि इनके माध्यम से उद्योगों के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण उपलब्ध होता है। भारत सरकार ने 2020 तक 50 लाख अप्रेंटिसों (प्रशिक्षुकों) को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 4,500 करोड़ रूपये का बढ़ा हुआ आंवटन किया गया है। *स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम* (SANKALP) आरम्भ करने के लिए 2017-18 के बजट में 4,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इन क़दमों से सरकार की कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।

प्रधान मंत्री युवा योजना

- यह योजना 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए उद्धमिता शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह लक्ष्य 499.94 करोड़ रु. लागत वाली एक परियोजना से पांच वर्षों (2016-2017 से 2020-21) में 3050 संस्थानों के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।
- इस योजना में सूचना, *मेंटर नेटवर्क*, ऋण, *इनक्यूबेटर, एक्सीलिरेटर* आदि तक पहुँच को सहज बनाना शामिल है। इसके साथ ही इसमें युवाओं के लिए एक पथ-निर्माण का समर्थन भी सम्मिलित है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

- इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जाता है। यह MSDE की परिणाम-आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना है। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को बड़ी संख्या में परिणाम-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने, रोजगार पाने तथा आजीविका अर्जित करने हेतु सक्षम बनाना तथा *मोबिलाइज़* करना है।
- **कौशल प्रमाणन योजना** बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इससे उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- पूर्व में सीखने का अनुभव रखने वाले या कौशल प्राप्त कर चुके व्यक्तियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। उनका प्रमाणन *रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग* (RPL) के अंतर्गत होगा।

भारतीय कौशल संस्थान

- **भारतीय कौशल संस्थान:** हाल ही में प्रधान मंत्री ने प्रशिक्षण के सिंगापुर मॉडल से प्रेरित होकर अपनी तरह के प्रथम **'भारतीय कौशल संस्थान'** की आधारशिला रखी। यह संस्थान देश की विभिन्न सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाएगा।

नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम

- नये लोगों को जॉब मार्केट में एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है। इसमें वर्तमान के 2.3 लाख अप्रेन्टिसों/प्रशिक्षुओं को वर्ष 2020 तक बढ़ाकर 50 लाख किया जायेगा। इसके तहत राज्य अलग से एक स्टेट अप्रेंटिसशिप सेल का सृजन कर सकते हैं। वो प्रशिक्षुओं की कुल संख्या के अधिकतम 10% प्रशिक्षुओं को निजी संस्थानों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ काम करने को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

VISION IAS

भारतीय कौशल विकास सेवा

- कौशल विकास के लिए **समर्पित युवा और प्रतिभाशाली प्रशासकों को आकर्षित करने हेतु** सरकार ने ISDS की स्थापना की है। यह सरकार के स्किल इंडिया जैसे कौशल विकास *इकोसिस्टम* को नई स्फूर्ति प्रदान करेगा।

***'साथ'* कार्यक्रम**

- NITI आयोग ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर **सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल** अर्थात् SATH कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामजिक सुरक्षा में सहयोग कर व्यावसायिक शिक्षा के रूपांतरण पर विशेष ध्यान देना है।

वैश्विक बाजारों के लिये श्रमिकों को प्रशिक्षित करने हेतु '*स्किल बैंक*'

- भारत को विश्व की *'ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल'* बनाने हेतु सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में 50 वैश्विक कौशल बैंकों की स्थापना की है। इनकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 110 जॉब भूमिकाओं में संभावित अप्रवासी श्रमिकों के लिए की गयी। ये प्रशिक्षण केंद्र चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, हॉस्पिटैलिटी, आई.टी., निर्माण, ऑटोमोबाइल और रिटेल ट्रेड जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रदान करेंगे। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विद्यमान हैं अथवा अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

दीन दयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल योजना

- यह ग्रामीण निर्धनों को निशुल्क माँग-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। इसमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों (SC/ST 50%; अल्पसंख्यक 15%; महिलाएं 33%) को अनिवार्य रूप से कवर करने का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें **HIMAYAT** के माध्यम से जम्मू-कश्मीर तथा **ROSHINI** के माध्यम से उत्तर-पूर्व क्षेत्र व 27 वाम-पंथी उग्रवाद वाले जिलों के निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर दिया गया है।

वैश्विक सहयोग

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) कई देशों के साथ मिलकर कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सक्रिय सहयोग के लिए चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के साथ संयुक्त कार्य दल की बैठकें आयोजित की गयी हैं।

आगे की राह

यह अनुमान लगाया गया है कि जनसांख्यिकीय लाभांश 25 वर्षों तक मिलता रहेगा। इस प्रकार, इस एक बार मिलने वाले अवसर का लाभ उठाने के लिए भारत को अपनी कौशल विकास पहलों को बेहतर बनाने एवं अन्य संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। जैसे कि:

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) को अपने नियामक कार्यों को एक नियामक निकाय की स्थापना कर उसपर छोड़ देने चाहिए।
- अप्रेंटिस पाठ्यक्रमों के परिणामों की गुणवत्ता के लिए प्रमाणन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण की पारदर्शिता भी बढ़ायी जानी चाहिए तथा उसे अधिक सशक्त भी बनाया जाना चाहिए।
- शैक्षणिक संस्थानों को अधिदेश जारी करना कि वो कौशल प्रमाणपत्रों को मान्यता प्रदान करें तथा *अपवर्ड मोबिलिटी* व *लेटरल मूवमेंट* की व्यवस्था करें। वो वर्ष 2020 के लिए कुल नामांकन में से 80% की प्लेसमेंट रेट का लक्ष्य रखें।
- *क्वालीफिकेशन पैक्स* (QP) तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOS) वाली *सेक्टर स्किल काउंसिल्स* का *नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन्स फ्रेमवर्क* (NSQF) के साथ तालमेल होना चाहिए। इससे वो अगले तीन वर्षों में अपने क्षेत्र की सभी जॉब भूमिकाओं को कवर कर सकेंगी।

VISION IAS

- PMKVY के द्वारा आरंभ की गयी *रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग* (RPL) पहल के समानांतर ही **हस्तांतरणीय कौशल की पहचान** भी की जानी चाहिए। इसके लिए सभी क्षेत्रकों और ट्रेड्स में हस्तांतरणीय कौशल के लिए एक कौशल फ्रेमवर्क का विकास किया जाना चाहिए।
- **शारदा प्रसाद समिति** की अनुशंसाओं को स्वीकार करना समय की माँग है। इसमें वर्तमान की सभी *ओवरलैपिंग स्किल काउन्सिल्स* को समाप्त करना, संसदीय निरीक्षण के माध्यम से **NSDC हेतु एक निरीक्षण तंत्र** स्थापित करना, CAG ऑडिट, RBI द्वारा पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं।

1.5. विश्व विकास रिपोर्ट 2016 – डिजिटल लाभांश

[World Development Report, 2016- Digital Dividends]

विभिन्न सरकारी प्रयासों और निजी क्षेत्र की तकनीक-प्रेरित व्यावसायिक पहलों से डिजिटल प्रौद्योगिकी भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्रक का कोई भी भाग डिजिटल क्रांति से अछूता नहीं है। सरकार द्वारा भारत नेट, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना आदि जैसी पहलों के माध्यम से भारत में डिजिटल इकोसिस्टम को सबल बनाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

डिजिटल लाभांश

- डिजिटल निवेश के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम विकास, रोजगार और सेवाएं हैं। सूचना लागत को कम कर, डिजिटल प्रौद्योगिकी फर्म, व्यक्तियों और सार्वजनिक क्षेत्रक के आर्थिक तथा सामाजिक लेनदेन की लागत को महत्त्वपूर्ण रूप से कम कर देती है।
- लेनदेन की लागत(ट्रांजैक्शन कास्ट) को अनिवार्य रूप से शून्य कर यह नवाचार को बढ़ावा देती है।
- इससे दक्षता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वर्तमान गतिविधियाँ और सेवाएं सस्ती, तेज या अधिक सुविधाजनक हो जाती हैं। यह समावेशन को भी बढ़ाती है क्योंकि लोगों को उन सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो जाती है जो पहले पहुँच से बाहर थीं।
- भारत में, व्यापक पैमाने पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से गुड गवर्नेंस, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस, एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का निर्माण तथा समाज के कमजोर वर्ग को शामिल करते हुए जनता की सशक्तता जैसे परिणाम अपेक्षित हैं।

हालांकि, वर्ल्ड बैंक ने अपनी हाल की रिपोर्ट में यह कहा है कि डिजिटल लाभांश का तीव्रता से विस्तार नहीं हो रहा है।

- लगभग 1.063 बिलियन भारतीय ऑफलाइन हैं और वे सार्थक रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में हिस्सा नहीं ले सकते।
- लिंग, क्षेत्र , आयु और आय के आयामों में डिजिटल विभाजन विद्यमान है।
- लगभग 40% जनसँख्या, गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। निरक्षरता दर 25-30% से अधिक है और भारत की 90% से अधिक आबादी डिजिटल साक्षरता से वंचित है।

अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि डिजिटल क्रांति का अधिकाँश लाभ सुशिक्षित, बेहतर कनेक्टिविटी युक्त और अधिक सक्षम लोगों को प्राप्त हो रहा है।

VISION IAS

डिजिटल लाभांश प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है?

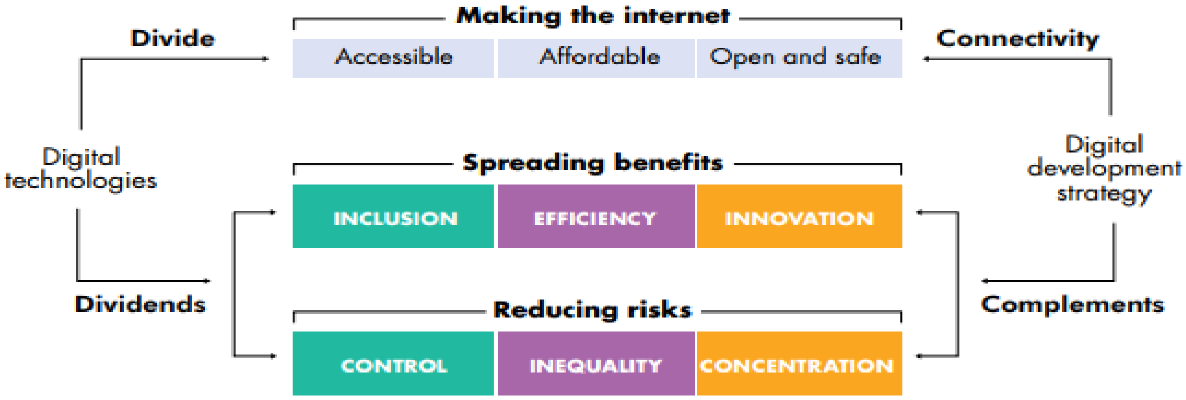

Source: WDR 2016 team.

- सार्वभौमिक रूप से सुलभ और सस्ता इंटरनेट वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए।
- भारत के लोगों के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने हेतु तेजी से डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाए तथा इसकी साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- डिजिटल लाभांश को अधिकतम करने हेतु इस तथ्य को अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि प्रौद्योगिकी, विकास के लिए महत्वपूर्ण अन्य कारकों के साथ कैसे अंतःक्रिया करती है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को **विनियमों** से मिलकर बने एक शक्तिशाली आधार की आवश्यकता है। यह आधार एक जीवंत व्यावसायिक परिवेश का निर्माण करेगा जो फर्म को प्रतिस्पर्धा और नवाचार के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ लेने; कर्मचारियों, उद्यमियों और **सार्वजनिक कर्मचारियों** को डिजिटल दुनिया में अवसरों का लाभ उठाने का **कौशल** प्राप्त करने तथा नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने वाली **उत्तरदायी संस्थाओं** का लाभ उठाने में सक्षम करेगा।

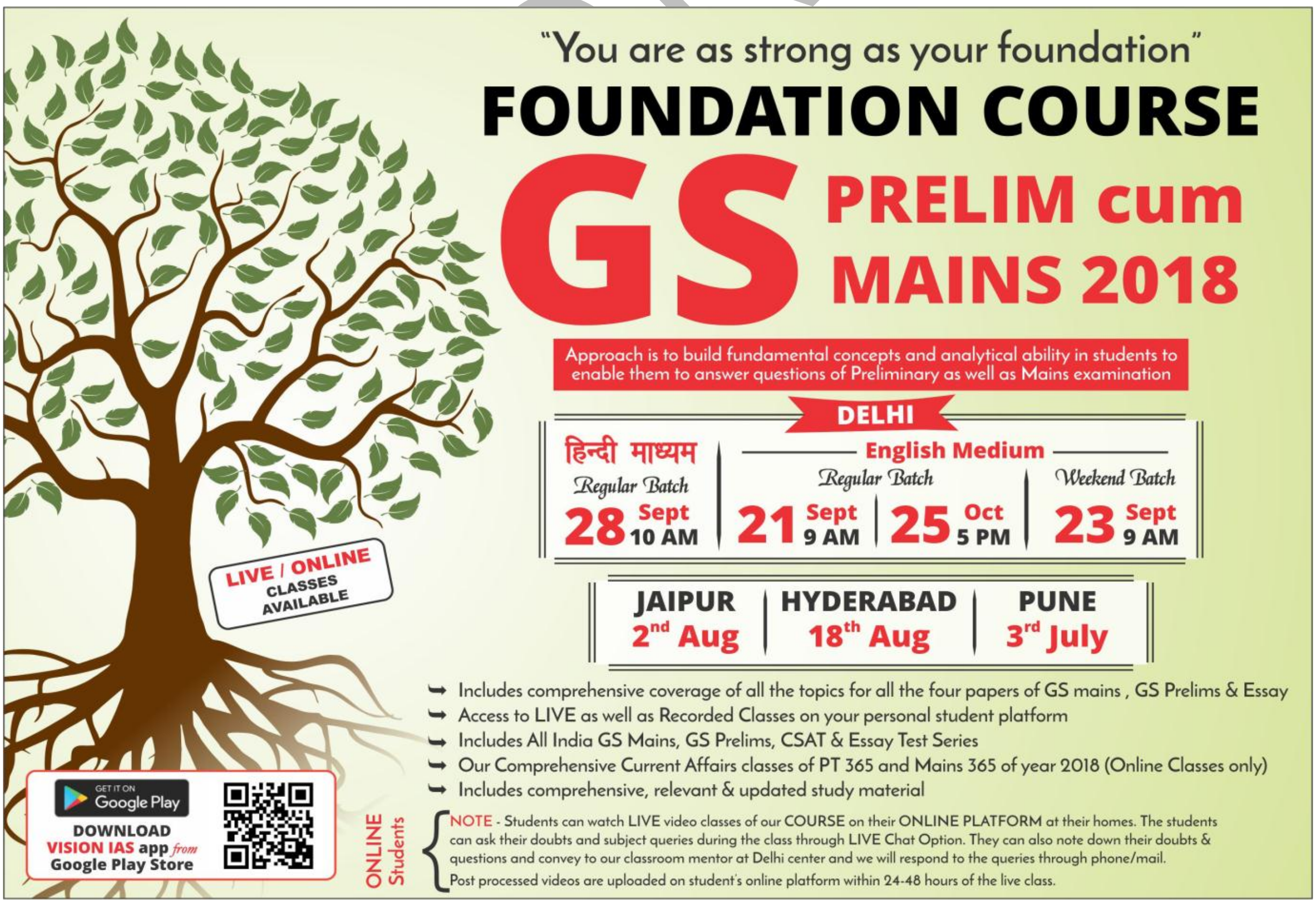

2. समावेशी विकास: गरीबी और इससे संबंधित मुद्दे

(INCLUSIVE GROWTH: POVERTY AND RELATED ISSUES)

पृष्ठभूमि

"2030 तक गरीबी के सभी रूपों का सभी स्थानों से समाप्त करने" को **सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य-1** के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। सभी आयामों में गरीबी को दूर करने का उद्देश्य जैसे कि सभी नागरिकों को न्यूनतम स्तर पर भोजन उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, आश्रय, परिवहन और ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना इत्यादि के लिए किए गए प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से भारत में विकास हेतु किए जाने वाले प्रयासों के केंद्र में रहा है।

सामाजिक प्रगति सूचकांक

- यह सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतकों का एक समग्र सूचकांक है जिसमे सामाजिक प्रगति के तीन महत्वपूर्ण आयाम यथा - व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं, मानव कल्याण (वेल बीइंग) के आधार तथा अवसर शामिल हैं।
- 133 देशों में, भारत 53.6 कुल स्कोर के साथ 101वें स्थान पर है। जबकि शीर्ष 3 देशों में नॉर्वे (88.36), स्वीडन (88.06) और स्विटजरलैंड (87.97) हैं।
- सामाजिक प्रगति सूचकांक को **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** (इसमें पर्यावरण,प्रसन्नता जैसे कारक शामिल नहीं हैं), **गिनी गुणांक** (यह स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक लाभ जैसे अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है) **सकल प्रसन्नता सूचकांक** (लिंग समानता, शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचा जैसे तत्वों पर ध्यान नहीं देता) **मानव विकास सूचकांक** (धन के असमान वितरण, पर्यावरण और ढांचागत विकास में कमी को नहीं मापता) आदि की कमियों का ध्यान रखते हुए तैयार किया जाता है।

गरीबी का मापन

- गरीबी रेखा के बुनियादी आधार के अंतर्गत अलघ समिति (1979), लकड़ावाला समिति (1993) और तेंदुलकर समिति (2009) के आधार पर जीवनशैली के न्यूनतम मानकों (जिसमें पोषक तत्वों सम्बन्धी आवश्यकताएं अंतर्निहित हैं) का पालन किया जाता है।
- हालांकि, **रंगराजन समिति (2012)** पर गठित नया पैनल गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए एक वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है और इस बात की जांच करता है कि गरीबी रेखा को केवल उपभोग बास्केट और क्रय शक्ति समता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए या नहीं।
- गरीबी अनुपात को कम करने की प्रक्रिया पर, विकास की गति और पैटर्न का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किन्तु, इसके लिए नीति निर्माताओं को द्विआयामी रणनीति का पालन करना होगा जिसमे एक ओर तो अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ने की अनुमति देनी होगी और दूसरी ओर निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे तौर पर गरीबी उन्मूलन को लक्षित करना होगा।

नीति आयोग कार्यदल

(NITI Aayog Task Force)

नीति आयोग कार्यदल ने अन्य हितधारकों से विचार करके गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए चार विकल्प प्रस्तावित किये हैं।

- तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा को जारी रखना।
- रंगराजन समिति या अन्य उच्च ग्रामीण या शहरी गरीबी रेखा को अपनाना।
- निचली 30% आबादी की प्रगति पर अधिक समय तक निगाह रखना।
- गरीबी के विशिष्ट घटकों जैसे:- पोषण, आवास, पेयजल, साफ-सफाई, बिजली और कनेक्टिविटी के साथ प्रगति पर निगाह रखना।
- नीति आयोग, तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा के पक्ष में है जिसने निर्धनता अनुपात 21.9% निर्धारित किया था। जबकि, रंगराजन समिति ने 29.5% पर तुलनात्मक रूप से उच्च निर्धनता अनुपात निर्धारित किया था।

VISION IAS

- तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा के मानदंड को अपनाने पर बहुत से गरीब, गरीबी रेखा से बाहर हो जायेंगे। इसलिए, ऐसी आलोचना से बचने के लिए नीति आयोग ने कहा है कि गरीबी रेखा का इस्तेमाल गरीबों की पहचान कर उन्हें मदद देने के लिए नहीं बल्कि गरीबी से मुकाबले में उनकी प्रगति पर निगाह रखने के लिए किया जाएगा।
- गरीबों को उनके अधिकार देने के लिए सक्सेना और हाशिम समिति द्वारा सुझावित सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा।

आगे की राह

- संवृद्धि,रोजगार, मेक इन इंडिया तथा कृषि संवृद्धि को गरीबी उन्मूलन के केंद्र में रख कर गरीबी का मुकाबला किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013, मिड-डे मील स्कीम (MDMS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और सभी के लिए आवास योजना: ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, जैसे सरकारी कार्यक्रमों का प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन वर्तमान समय की मांग है ।
- इसके अलावा, गांवों में पांच सर्वाधिक गरीब परिवारों की पहचान और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास करना तथा कमजोर वर्गों के लिए जन धन योजना, आधार, मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी जैसे माध्यम गरीबी उन्मूलन को वंचित वर्गों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

2.1. सार्वभौमिक मूलभूत आय (UBI)

(Universal Basic Income)

परिचय

- स्वतंत्रता के समय के 70% गरीबी के आंकड़े से 2011-12 तक, 22 % गरीबी (तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार) तक पहुँचकर वस्तुतः देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। परन्तु अभी भी एक बड़ा तबका विभिन्न संसाधनों से वंचित है। इस समस्या के समाधान हेतु एक मौलिक विकल्प के रूप में सार्वभौमिक मूलभूत आय (UBI) सुनिश्चित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत हर किसी को एक मूलभूत आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो सकेगा।
- UBI इस विचार पर आधारित है कि एक न्यायपूर्ण समाज में हर व्यक्ति को बुनियादी वस्तुओं तक पहुंच के साथ एक सम्मानित जीवन के लिए न्यूनतम आय की गारंटी की आवश्यकता है।
- यह अर्थव्यवस्था को आम आदमी से जोडती है तथा **सामाजिक न्याय** को बढ़ावा देती है।

सार्वभौमिक मूलभूत आय क्या है?

- बिना किसी शर्त या परीक्षा तथा कार्य के आधार पर सभी को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाने वाली आय सार्वभौमिक मूलभूत आय कहलाती है।
- यह न्यूनतम आय गारंटी का एक रूप है जो किसी अन्य स्रोत से किसी अन्य आय के बावजूद प्रदान की जाती है।
- UBI के तीन अवयव निम्नलिखित हैं:
  - **सार्वभौमिकता** – UBI सभी के लिए
  - **बिना शर्त** – बिना किसी शर्त के UBI
- **एजेंसी-** UBI लोगों को सरकार के नागरिक कल्याण कार्यक्रमों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करती है।

UBI की मौलिक सीमाएँ

- यह लोगों में काम करने के उत्साह को समाप्त कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप कार्य उत्पादकता में कमी आ सकती है।
- यह सामाजिक बुराइयों यथा शराब, तम्बाकू इत्यादि पर खर्च को बढ़ावा दे सकती है।

VISION IAS

सार्वभौमीकरण क्यों?

- **संसाधनों का गलत वितरण-** आम तौर पर सरकार, राज्य की क्षमता के अनुसार संसाधन आवंटित करती है। चूंकि संपन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन है, इसलिए उन्हें गरीब क्षेत्रों की तुलना में अधिक संसाधन प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, संसाधनों के संदर्भ में शीर्ष 6 कल्याण योजनाओं में, किसी भी योजना के तहत गरीब जिलों को कुल संसाधनों का 40% से अधिक प्राप्त नहीं होता है।
- **वास्तविक लाभार्थियों का अपवर्जन–** संसाधनों के गलत वितरण के कारण, कई बार गरीब कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 2015-16 में 50% से अधिक गरीब व्यक्तियों वाले राज्यों को केवल 33% मनरेगा निधि प्राप्त हुई है।
- हाल की योजनाओं में **'सार्वभौमीकरण'** के कुछ लाभ देखे गए हैं, जो निम्न हैं:
    - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा PDS अवसंरचना के तहत सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा द्वारा अंतिम 40 % व्यक्तियों को मिलने वाली सब्सिडी में 2011-12 के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
    - मनरेगा में जॉब कार्डों के डिजिटलीकरण, परिसंपत्तियो की जिओटैगिंग इत्यादि से महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी गई।
- 'सार्वभौमिक' मूलभूत आय से संसाधनों का गलत वितरण कम होगा तथा अधिक लाभार्थियों का समावेशन संपन्न हो सकेगा। क्योंकि:
    - यह 'सार्वभौमिक' होने के कारण आवंटन की त्रुटियों और प्रशासनिक परेशानियों को कम कर देगा।
    - यह रिसाव को कम कर देगा क्योंकि आय को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जायेगा।
- भारतीय समाज में बिना कार्य किये धन प्राप्त करना या उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होना असामान्य नहीं है। अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति अधिकांशतः इस प्रकार धन प्राप्त करते हैं। अतः UBI से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है।
- UBI समाज में, बिना पारिश्रमिक के कार्य करने वाले व्यक्तियों के योगदान की अभिस्वीकृति प्रदान करेगा जैसे गृहणियों का काम।

आगे की राह

- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए गरीबी के स्तर, खपत स्तर, आय और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम UBI 7620 रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.9% होगा। सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि UBI को संशोधन के लिए मुद्रास्फीति के साथ अनुक्रनित(सिंक्रोनाइज़) किया जाना चाहिए। UBI पर विचार करने के लिए एक तटस्थ राजनीतिक तंत्र की भी आवश्यकता है।
- केन्द्रीय सब्सिडी GDP का 2.07% जबकि राज्य सब्सिडी GDP के 6.9% के बराबर हैं। यद्यपि अभी भी इतना राजकोषीय अंतराल उपलब्ध है जिससे हम कुछ सब्सिडीज़ को ख़त्म कर UBI का प्रारम्भ कर सकते हैं परन्तु यह राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।
- **समूह आधारित सार्वभौमीकरण- सबसे पहले** आसानी से पहचाने जाने योग्य सुभेद्य समूहों के लिए UBI का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए विधवा, वृद्ध, गर्भवती महिलाएँ इत्यादि।

2.2. सरकार द्वारा हाल ही में उठाये गए कदम

(Recent Steps by Government)

2.2.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अब संपूर्ण देश शामिल

[Entire Country Under National Food Security Act]

केंद्र ने अधिसूचित किया है कि अब संपूर्ण देश को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस कदम के चलते अब 81.34 करोड़ लोगों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्राप्त होगा।

पृष्ठभूमि

- लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता युक्त भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिनियमित किया गया था।
- यह अधिनियम आवश्यक अनाज और खाद्यानों को 1, 2 और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत, दो प्रकार के लाभार्थी हैं: AAY (अंत्योदय अन्न योजना, वर्ष 2000 में प्रारंभ) और प्राथमिकता वाले परिवार (priority households)।
- प्रत्येक AAY परिवार हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हक़दार हैं। जबकि प्राथमिकता वाले परिवार (BPL परिवार) हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न की मात्रा पाने के हकदार हैं।

2.2.2. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम

[Hill Area Development Programme]

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry for Development of North Eastern Region: DoNER) ने पूर्वोत्तर के लिए 'पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (Hill Area Development Programme: HADP) का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य 'कंपोजिट डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स' के आधार पर कम विकसित पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है।

कार्यक्रम आरंभ करने का कारण

- मणिपुर, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी जिलों तथा घाटी के जिलों के मध्य अवसंरचना, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि की गुणवत्ता में व्यापक अंतर है। इसका कारण, वहाँ की विशिष्ट स्थलाकृति है।
- अतः इस सम्बन्ध में सरकार ने दोहरा दृष्टिकोण अपनाया है। पहला है: प्रत्येक क्षेत्र, समाज के प्रत्येक वर्ग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली प्रत्येक जनजाति का समतापूर्ण विकास सुनिश्चित करना तथा दूसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों को शेष भारत के अधिक विकसित राज्यों के समतुल्य स्तर पर लाना है।

कंपोजिट डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स

- इसका निर्माण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय(DoNER) द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्व में अन्तःक्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए योजनाओं तथा परियोजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण करना है।
- यह 7 मुख्य संकेतकों पर आधारित है:
  - परिवहन सुविधाएं
  - ऊर्जा
  - जलापूर्ति
  - शिक्षा
  - स्वास्थ्य सुविधा
  - संचार अवसंरचना
  - बैंकिंग सुविधाएं
- यह इंडेक्स भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में एक उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

2.2.3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रदर्शन (PMUY)

Performance of Pradhan Mantri Ujjawala Yojana

- PMUY योजना सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पहचाने गए, BPLपरिवार की महिला मुखिया के नाम पर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है।
- यह ग्रामीण भारत में उपयोग किए जाने वाले अस्वच्छ कुकिंग ईंधन (मिटटी के चूल्हे) के स्थान पर स्वच्छ और अधिक कुशल LPG प्रदान करता है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा में मदद करेगा ।
- PMUY ने सिर्फ 8 महीनों में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1.5 करोड़ LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया है।
- पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कवरेज राष्ट्रीय औसत से भी कम है।
- जारी किये गए कुल कनेक्शनों में 35% परिवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के हैं।

VISION IAS

3. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस : सुधार

(EASE OF DOING BUSINESS: REFORMS)

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत अब एक "सामान्य" उभरता हुआ बाजार है। यह विदेशी व्यापार और विदेशी पूंजी के लिए खुला हुआ है तथा सरकार पर व्यष्टि, उद्यमशीलता के दृष्टिकोण से अथवा समष्टि, राजकोषीय दृष्टिकोण से अधिक दबाव नहीं है। निम्नलिखित चार मानक भारत की प्रगति को दर्शाते हैं जो गुणात्मक तथा उल्लेखनीय है:

- **व्यापार के लिए खुलापन**: बड़े देश सामान्यतः अपने बड़े आंतरिक बाजारों की उपस्थिति के कारण अपनी सीमाओं के भीतर अधिक व्यापार करते हैं। लेकिन, भारत का व्यापार-GDP अनुपात बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब इसने चीन को पीछे छोड़ दिया है।
- **विदेशी पूंजी के लिए खुलापन**: पर्याप्त पूंजी नियंत्रण के बाद भी, भारत का निवल अंतर्वाह अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है। भारत में FDI समय के साथ तेजी से बढ़ा है। पिछले वर्ष भारत ने 75 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो 2000 के दशक के मध्य चीन द्वारा प्राप्त FDI के लगभग बराबर है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**: हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमअभी भी काम कर रहे हैं, फिर भी भारत में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी प्रत्यक्ष तौर पर देखी जा सकती है । GNI के एक भाग के रूप में भारत का PSU व्यय उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आता है।
- **कुल व्यय में सरकारी व्यय का हिस्सा:** प्रति व्यक्ति GDP से सरकारी व्यय की तुलना करने पर यह पाया गया कि भारत का व्यय उसके विकास के स्तर के लिए अपेक्षित व्यय के समान ही है।

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस को सुगम बनाने के उपायों में शामिल हैं:

- उद्यमियों के लिए ई-बिज़ वेबसाइट के माध्यम से औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन हेतु 24x7 ऑनलाइन आवेदन;
- निर्यात और आयात के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सीमित करना,
- सम्पूर्ण व्यापार चक्र के दौरान मार्गदर्शन, सहायता और निवेशकों को प्रोत्साहन के लिए "इन्वेस्ट इण्डिया" पहल के अंतर्गत निवेशक सुविधा केंद्र की स्थापना।

FDI नीति

- सरकार ने रक्षा, रेलवे अवसंरचना, विनिर्माण और फार्मास्यूटिकल्स आदि क्षेत्रों में **FDI** नीति को उदारीकृत और सरलीकृत किया है।
- सेवा क्षेत्र, विनिर्माण विकास, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तथा दूरसंचार क्षेत्र जैसे क्षेत्रों ने सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है।

3.1. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग

(Ease of Doing Business Rankings)

पृष्ठभूमि

- विश्व बैंक अर्थव्यवस्थाओं की उनकी ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (व्यापार करने की सुगमता) के आधार पर रैंकिंग करता है। ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की उच्च रैंकिंग का अर्थ यह है कि विनियामकीय वातावरण स्थानीय फर्म का शुभारंभ और संचालन करने के अनुकूल है।
- पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस रैंकिंग में भारत का स्थान नीचे रहा है। 2017 की हाल की रैंकिंग में, भारत एक स्थान ऊपर चढ़कर 130वें स्थान पर पहुंच गया है।

इस रिपोर्ट के सकारात्मक पहलू

- इस रिपोर्ट में वर्तमान भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों की प्रशंसा की गई है। विशेष रूप से, व्यवसायों को बिजली के कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया में समय और लागत में महत्वपूर्ण कटौती करने के क्षेत्र में।

VISION IAS

- प्रत्येक अर्थव्यवस्था और उत्त श्रेणी में सबसे अच्छे प्रदर्शन के बीच की दूरी नापने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रयुक्त -'डिस्टेंस टू फ्रंटियर' (DTF) स्कोर – में इन 10 शीर्षकों में से सात में सुधार आया है।

क्या मामूली सुधार चिंता का विषय होना चाहिए?

- भारत की स्थिति में केवल एक स्थान का सुधार हुआ है। इसे दो कारणों से कई लोगों द्वारा चिंता के विषय के रूप में देखा जा रहा है:
    - भारत ने बीते वर्षों के दौरान दिवालियापन संहिता, GST के अधिनियमन, निर्माण योजना के अनुमोदन और ऑनलाइन ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के लिए एकल खिड़की प्रणाली का प्रचालन और EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) पंजीकरण आदि जैसे कई आर्थिक सुधार किए हैं। इस प्रकार, बेहतर रैंकिंग की आशा थी।
    - इसके अतिरिक्त, वर्तमान सरकार का लक्ष्य था कि भारत को 2018 तक ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में शीर्ष 50 अर्थव्यवस्थाओं में लाना है। अब यह लक्ष्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लगता है।
- हालांकि, यह रिपोर्ट भारत द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की स्थिति का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उदाहरण के लिए:
    - पहला, रैंकिंग पद्धति में एक विशेष परिवर्तन भारत की सुधार की संभावनाओं को काफी क्षति पहुंचाने वाली प्रतीत होता है। "करों का भुगतान" शीर्षक के अंतर्गत भारत का नीचे से चौथा स्थान है। नए मापदंड 'पोस्ट-फाइलिंग सूचकांक' के समावेश को इसमें काफी योगदान करना है।
    - इस रैंकिंग में केवल दो शहर दिल्ली और मुंबई सम्मिलित हैं। हालांकि, सुधार पूरे भारत में किया जा रहा है। वास्तव में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों ने आर्थिक सुधारों के संबंध में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं।
    - साथ ही, अपनी रैंकिंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे अन्य देशों से भी अधिक से अधिक से प्रतिस्पर्धा है।

A Long Way To Go

	2017 Rank	2016 Rank
Overall	130	131
Starting A Business	155	151
Dealing With Construction Permits	185	184
Getting Electricity	26	51
Registering Property	138	140
Getting Credit	44	42
Protecting Minority Investors	13	10
Paying Taxes	172	172
Trading Across Borders	143	144
Enforcing Contracts	172	178
Resolving Insolvency	136	135

Source: World Bank Doing Business 2017 Ranking Bloomberg | Quint

Last Amongst BRICS Nations

Country	2015	2016	2017
Russia	62	51	40
South Africa	43	73	74
China	90	84	78
Brazil	120	116	123
India	142	131	130

Source: World Bank Doing Business 2017 Ranking Bloomberg | Quint

3.2. राज्यों के बीच इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग

(Ease of Doing Business Ranking Among States)

पृष्ठभूमि

- **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन: DIPP) ने इस वर्ष के आरंभ में राज्यों/UTs के लिए के एक 340-सूत्री** कारोबारी सुधार कार्य योजना (बिज़नस रिफॉर्म एक्शन प्लान: BRAP) लागू किया था।
- BRAP में किसी विशिष्ट व्यवसाय के जीवन चक्र से जुड़े 10 सुधार क्षेत्रों से संबंधित 58 नियामकीय प्रक्रियाओं, नीतियों, प्रथाओं और कार्यविधियों के अंतर्गत सुधारों के लिए सिफारिशें शामिल हैं।
- विश्व बैंक के सहयोग से DIPP ने यह अध्ययन किया है कि विभिन्न राज्यों ने BRAP को किस हद तक लागू किया है।

- हाल ही में, राज्यों में कारोबार संबंधी सुधारों के क्रियान्वयन के आकलन 2015-16 (**Assessment of State Implementation of Business Reforms 2015-16**) के निष्कर्ष जारी कर दिए हैं।

WHERE THEY STAND

Telangana, Haryana and Uttarakhand have improved the most in the DIPP-World Bank ease of doing business rankings.

Rank 2015	Rank 2016			Score (In %)
2	1	▲	Andhra Pradesh	98.78
13	1	▲	Telangana	98.78
1	3	▼	Gujarat	98.21
4	4	◆	Chhattisgarh	97.32
5	5	◆	Madhya Pradesh	97.01
14	6	▲	Haryana	96.95
3	7	▼	Jharkhand	96.57
6	8	▼	Rajasthan	96.43
23	9	▲	Uttarakhand	96.13
8	10	▼	Maharashtra	92.86

Source: DIPP

महत्व

- रैंकिंग की यह पुनर्व्यवस्था इस ओर संकेत करती है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद तीव्रता से अपनी जड़ें जमा रहा है और आदर्श निवेश स्थल के रूप में खुद को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
- यह रैंकिंग वस्तुतः राज्यों के बीच सुधार उपायों की अधिक-से-अधिक स्वीकृति और इसके बारे में गंभीरता को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए, इस वर्ष के 17 राज्यों के विपरीत पूर्व में केवल 7 राज्यों ने प्रस्तावित सुधारों के 50% से अधिक का क्रियान्वयन किया था।
- इसके अलावा यह अध्ययन विश्व बैंक के इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस इंडेक्स के मापन संबंधी प्रक्रिया में निहित कमियों पर भी प्रकाश डालता है जिसमें केवल दो शहरों - दिल्ली और मुंबई - पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह राज्यों की उपलब्धियों को सामने रखता है और उनके द्वारा उठाए गए कदमों को दूसरे राज्यों द्वारा अपनाए जाने की ओर इशारा करता है।

4. वित्त एवं बैंकिंग

(FINANCE AND BANKING)

4.1.बैंकिंग की समस्याएं

(Problems of Banking)

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-2016 ने ओवरलिवरेज्ड (overleveraged) और डिस्ट्रेस्ड (distressed) कंपनियों की *ट्विन बैलेंस शीट* की समस्या और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बैलेंस शीट में बढ़ते NPA को रेखांकित किया है। बैंकों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक समस्याओं को हल करने हेतु बैंकिंग तथा कॉर्पोरेट दोनों ही क्षेत्रों को 4R-मान्यता,पुनर्पूंजीकरण,प्रस्ताव,सुधार (4R-रिकग्निशन,रिकैपिटलाइज़ेशन,रेजोल्युशन एंड रिफार्म) दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।

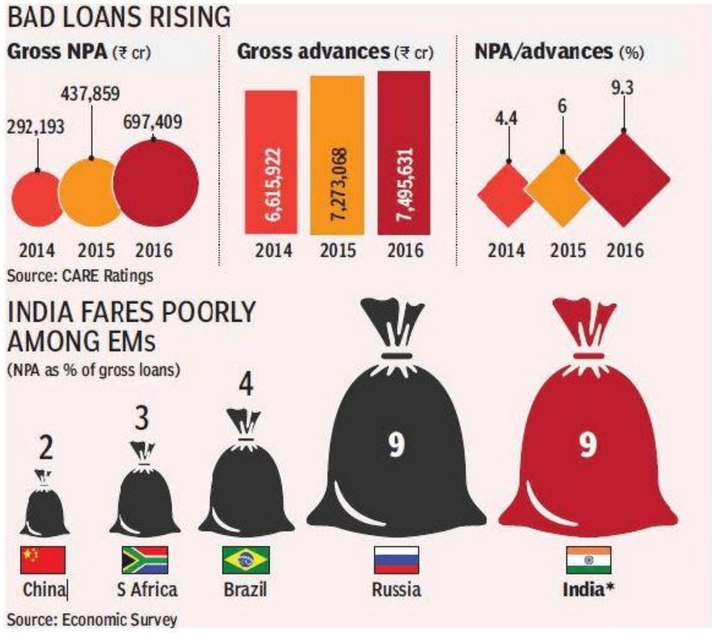

A.मान्यता

(Recognition)

I.वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-2017 - RBI द्वारा प्रदत्त

(Financial stability report-2017 – given by RBI)

- सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA) ,मार्च 2017 के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 में 10.2 प्रतिशत तक हो सकती हैं |
- इसी समयावाधि में बैंकिंग सिस्टम के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) की कुल पूंजी में भी 13.4 प्रतिशत से 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता में होने वाला सुधार है|

II दबावग्रस्त परिसंपतियां(Stressed assets)

- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां, पुनर्गठित ऋण और रिटेन ऑफ (written-off) परिसंपत्तियों को सामूहिक रूप से 'दबावग्रस्त परिसंपत्तियां' कहते है जो कि देश की बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।
- 261,843 करोड़ रुपये के बैड लोन में पिछले दो सालों में 135 प्रतिशत की बढोतरी हुई है। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके लिए पुनर्गठन योजनाओं की घोषणा की है जैसे:- परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को *प्रोविज़निंग रिक्वायरमेंट्स* में तेजी लाने के लिए तथा सक्रिय आधारों पर दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को पहचानने के लिए कहा गया है।

III.विलफुल डिफ़ॉल्टर

(Willful Defaulters)

- विलफुल डिफ़ॉल्टरों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल 64335 करोड़ बकाया है जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का 21 प्रतिशत है।
- बैंकिंग उद्योग के NPA में सबसे तेज वृद्धि मध्यम-आकार की कंपनियों में देखी गई है।
- बड़े उधारकर्ताओं के पास सकल अग्रिमों का 56 प्रतिशत और सकल NPA का 86.5 प्रतिशत अंश है | (वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट,2017)

विलफुल डिफ़ॉल्टर

एक संस्था या व्यक्ति जो ऋण चुकाने की क्षमता के बावजूद ऋण का भुगतान नहीं करता है, विलफुल डिफ़ॉल्टर कहलाता है I विलफुल डिफाल्टरों के सन्दर्भ में जारी किए गए RBI के परिपत्र में कई व्यापक क्षेत्र शामिल हैं:

- पर्याप्त नकदी प्रवाह और अच्छी नेटवर्थ के बावजूद ऋण राशि का भुगतान नही करना, डिफाल्टिंग यूनिट को नुकसान में प्रदर्शित करने के लिए उस यूनिट से जानबूझकर धन निकालना;
- परिसंपत्तियों और आय का दुरुपयोग करना; रिकॉर्ड को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना या उनका मिथ्याकरण;
- बैंक को संज्ञान में लिए बिना प्रतिभूतियों का निपटान करना;
- उधारकर्ता द्वारा लेनदेन में धोखाधड़ी।

विलफुल डिफाल्टरों के सन्दर्भ में वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें

- वित्त पर स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को अपने शीर्ष 30 दबाव ग्रस्त खातों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए जिसमें विलफुल डिफाल्टर भी शामिल हों। |
- यह एक निवारक के रूप में कार्य करेगा I यह बैंकों को प्रमोटरों की समस्या की समाधान में मदद करेगा| साथ ही ,विभिन्न हितधारको की ओर से ऋणों की मंजूरी एवं वसूली हेतु पड़ रहे दबाव एवं हो रहे हस्तक्षेप से निपटने में सक्षम बनाएगा।
- समिति ने RBI अधिनियम और अन्य कानूनों और दिशा-निर्देशों में संशोधन की भी सिफारिश की है |

दबावग्रस्त परिसंपत्तियां बनाम गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां

- दबावग्रस्त परिसम्पत्तियाँ- ऐसा खाता जहां मूलधन / ब्याज 30 दिनों से अधिक के लिए बकाया रहता है।
- गैर-निष्पादित परिसंपतियां- ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए बकाया रहे।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक,2017

(Fugitive Economic Offenders Bill 2017)

विधेयक की आवश्यकता

- अभी तक भारत में ऋण के गैर-पुनर्भुगतान के मुद्दों से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के सिविल प्रावधान उपस्थित हैं। यद्यपि ये उद्देश्य की पूर्ति करने में प्रभावी हैं, तथापि इनमें निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में **कोई विशेष प्रावधान नहीं** हैं-
    - उच्च राशि से सम्बंधित अपराधी (High-value Offenders)।
    - ऐसे लोग जो किसी भी लंबित आपराधिक मामले की स्थिति में भारत से फरार हो चुके हों।
    - फरार होने वाले ऐसे अपराधियों के मामले में, वर्तमान में केवल **आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के तहत "घोषित अपराधियों" (proclaimed offenders)** से संबंधित सामान्य प्रावधान का प्रयोग किया जाता है।
- इसलिए, यह विधेयक भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने हेतु एक समर्पित वैधानिक समर्थन के रूप में कार्य करेगा।

विधेयक के प्रावधान

- यह विधेयक सरकार को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार देता है। **प्रस्तावित कानून उन मामलों में लागू होगा जहाँ अपराध 100 करोड़ रुपये से अधिक का है।**
- यह विधेयक **प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट** के तहत किसी व्यक्ति को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने के लिए **एक विशेष न्यायालय** का प्रावधान करता है।
- इस विधेयक के तहत एक **भगौड़े आर्थिक अपराधी** को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके विरुद्ध अधिसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो तथा जिसने आपराधिक मुकदमा चलाये जाने से बचने के लिए भारत छोड़ दिया हो अथवा भारत लौटने से मना कर दिया हो।

VISION IAS

विधेयक का महत्व

- यह विधेयक बैंक ऋणों के डिफ़ॉल्ट होने और बढ़ती हुई गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (NPA) के मुद्दे का समाधान कर सकता है। इससे क्राउडिंग आउट प्रभाव पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी क्योंकि बैंकों के NPAs के बढ़ने से निजी क्षेत्र हेतु धन की उपलब्धता कम हो जाती है।
- यह विधेयक आपराधिक मामलों की जाँच में आने वाली समस्याओं का समाधान करने एवं विधि के शासन को बनाए रखने के साथ-साथ न्यायपालिका के समय को भी बचाएगा।

आर्थिक अपराधों के मुद्दों से निपटने के लिए मौजूदा प्रावधान

- RBI मास्टर सर्कुलर में '**विलफुल डिफ़ॉल्ट** (जानबूझकर ऋण न चुकाना)' को परिभाषित किया गया है तथा ऐसे किसी प्रमोटर को अगले 5 वर्षों के लिए एक नया उद्यम आरम्भ करने के लिए संस्थागत वित्त प्राप्त करने से रोकने, जैसे निवारक उपाय प्रदान किये गए हैं।
- न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना वित्तीय संस्थानों की परिसंपत्तियों की पुनर्प्राप्ति के लिए **सरफेसी अधिनियम** का उपयोग किया जाता है।
- **बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993** (Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993) के तहत ऋण वसूली ट्रिब्यूनल द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के बाद ऋण की वसूली की जा सकती है।
- इन्सॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के अनुसार देनदार या लेनदार ऋण के पुनर्गठन के डिफाल्ट होने पर दिवालियापन की प्रक्रिया आरम्भ कर सकता है। यदि योजना विफल हो जाती है तो लिक्विडेशन / बैंकरप्सी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।

B. पुनर्पूंजीकरण

(Recapitalization)

- सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वित्तीय अव्यवस्था से उन्हें बाहर निकालने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष (2017) में 10,000 करोड़ रु आवंटित किये गए हैं।
- वर्ष के प्रारम्भ में **PSBs के लिए चलाये जा रहे पुर्नपूंजीकरण कार्यक्रम (इन्द्रधनुष)** के अंतर्गत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017 के लिए 25000 करोड़ के *इक्विटी अंतर्वाह (इक्विटी इन्फ्यूज़ंन) की* घोषणा की है।
- **बेसल-3** के नियमों के अंतर्गत बैंकों की 1.8 लाख करोड़ की पूंजी आवश्यकताओं के लिए , सरकार ने 2018-19 तक अगले दो वर्षों में 70,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया है तथा शेष 1.1 लाख करोड़ रुपये PSBs को बाज़ार से जुटाने के लिए कहा है।
- विकास को पुनर्जीवित करने हेतु PSBs के ऋणों में 12% की वृद्धि आवश्यक है I इसके लिए मार्च 2019 के अंत तक बेसल-3 के मानकों के अनुरूप 2.4 ट्रिलियन रूपये पूंजी की आवश्यकता होगी I

किये गए अन्य सुधार

इंद्रधनुष 2.0 सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के पुनर्पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना है ताकि उनकी ऋण शोधन क्षमता बनी रहे तथा वे वैश्विक पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का पूरी तरह अनुपालन करें I

C. गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) समस्या का समाधान

(Resolving the NPA problem)

(I) स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स(S4A)

(Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets)

- इस योजना के अंतर्गत, बैंक परियोजनाओं के नकदी प्रवाह के आधार पर दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से जूझ रही कंपनियों के कुल ऋण को धारणीय एवं अधारणीय श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं।

VISION IAS

- अधारणीय ऋणों को इक्विटी या सुरक्षित प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है। जब अधारणीय ऋण इक्विटी में परिवर्तित हो जाते है तो बैंकों द्वारा इसे शेयर के रूप में नए उत्तराधिकारी को बेचा जा सकता हैं जिसे अधिक प्रबंधनीय ऋण के साथ व्यापार कार्यान्वित करने का लाभ प्राप्त होगा।

(II) *एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी*

(Assests Reconstruction Company)

- NPA की वृद्धि को रोकने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय एवं नीति आयोग ने *एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी* (ARC) की स्थापना की अनुशंसा की है जिसकी *इक्विटी फंडिंग* केंद्र सरकार और RBI द्वारा की जाएगी।
- निजी बैंकों की तुलना में PSBs की स्थिति विशेष रूप से दयनीय है क्योंकि उन्हें विभिन्न सरकारी लक्ष्यों तथा सामाजिक बैंकिंग की बाध्यता के अंतर्गत ऋण प्रदान करना पड़ता है।
- ARC के लिए स्वत: अनुमोदन के अंतर्गत 100% एफडीआई।

विरल आचार्य की सिफारिशें:

बैंक बुक से दबाव कम करने का एकमात्र वास्तविक उपाय दबावग्रस्त कंपनी में वसूली और समाधान को प्रभावी बनाना है।

1. प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी (PAMC) जो यथोचित समाधान योजना के निर्माण,चयन और क्रियान्वयन का ध्यान रखेगी।
2. दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को शामिल करना जो केवल कंपनी का मूल्यांकन करेंगी न कि उनके द्वारा प्रदत ऋणों का तथा
3. अंततः कंपनी के प्रवतकों की भूमिका को सीमित करना चाहिए जो नियंत्रण बनाये रखने के लिए विलंबकारी उपायों का सहारा ले सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- 5:25 योजना: यह बैंकों को विभिन्न परियोजनाओं में नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए, प्रत्येक 5 या 7 वर्षों में पुनर्वित्त के साथ, 20-25 वर्षों की लंबी अवधि के ऋण देने की अनुमति देता है।
- समझौता निपटान योजनायें।
- रणनीतिक ऋण पुनर्गठन(SDR) - उधारदाताओं का समूह किसी रुग्ण कंपनी में अपने ऋण के एक हिस्से को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकता है। इसके लिए उधारदाताओं के पास कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी होनी चाहिए।
- कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन(CDR) तंत्र और संयुक्त ऋणदाता फोरम।

D. सुधार

(Reforms)

I.बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017

(Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017)

यह दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या के समाधान के लिए लाया गया है। मुख्य रूप से उन परिसंपत्तियों के लिए जो किसी *कंसोर्टियम* या एक से अधिक बैंकिंग व्यवस्थाओं से जुडी होती हैं।

विवरण

- **शीघ्र निपटान:** यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को यह प्राधिकार देता है कि वह कुछ विशिष्ट दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से जुड़े मुद्दों के निपटान के लिए *इन्सोलवेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस* शुरू कर सके।
- **दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया की शुरूआत:** 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 A के तहत दो नए प्रावधान धारा 35 AA और 35 AB शामिल किये गए हैं। इनके माध्यम से बैंकिंग कंपनियाँ दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही शुरू कर सकती हैं।

- **भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिक सशक्त बनाना:** RBI अब समाधान के लिए कुछ अन्य दिशा-निर्देश भी जारी कर सकती है। इसके साथ ही, यह बैंकों को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के विषय में सलाह देने लिए निरीक्षण समितियों (oversight committees) तथा प्राधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकती है।
- **समयबद्ध समाधान:** नया *इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड* (IBC) 2016 कॉर्पोरेट व्यक्तियों के दिवालियापन और पुनर्गठन से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करता है। इससे समस्या के समयबद्ध समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
- **वसूली को सुविधाजनक बनाना:** यह अध्यादेश *सेक्युरिटाईजेशन एंड रिकंस्ट्रशन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ़ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट,* 2002 (SARFAESI) और ऋण वसूली अधिनियमों के प्रवर्तन के साथ मिलकर IBC को भी मज़बूत बनाएगा।इसे ऋण वसूली अधिनियमों की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए भी संशोधित किया गया है।

II. भारतीय रिजर्व बैंक की संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

(RBI Revised Prompt Corrective Action)

RBI ने अस्वस्थ बैंकों (ailing banks) के लिए अनिवार्य तौर पर आवश्यक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action; PCA) योजना के लिए पूर्व में जारी अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का निश्चय किया है।

PCA क्या है?

- PCA यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया या तंत्र है कि बैंक चौपट न हो जाएं।
- इस प्रकार, RBI ने कमजोर एवं विपत्तिग्रस्त बैंकों के आकलन, निगरानी, नियंत्रण एवं सुधारात्मक कार्रवाईयों के लिए कुछ उत्प्रेरक बिंदु नियत किए हैं।
- PCA सर्वप्रथम वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा 1980 एवं 1990 के दशक के दौरान वित्तीय संस्थानों की विफलता के कारण, विशाल मात्रा में घाटे सहने के उपरांत आरंभ की गई थी।
- नवीनतम PCA योजना के अनुसार, बैंकों का आकलन तीन मानदंडों पर किया जाता है ये मानदंड हैं:
    - पूंजी अनुपात (Capital ratios)
    - परिसम्पत्ति गुणवत्ता (Asset Quality)
    - लाभप्रदता (Profitability)
- पूंजी, परिसम्पत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता निगरानी हेतु योग्य संकेतक क्रमश:, जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR)/ कॉमन इक्विटी टीयर 1 अनुपात, नेट गैर निष्पादित परिसम्पत्ति (NPA) अनुपात एवं परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल हैं।
- किसी भी जोखिम सीमा का उल्लंघन PCA के आह्वान के रूप में परिणामित होगा।

- **जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात** हेतु परिवर्णी शब्द **CRAR** का उपयोग किया जाता है, यह बैंकों के तुलनपत्र क्षमता के मापन के लिए मानक मैट्रिक है।
- **ROA** का अर्थ परिसम्पत्ति पर प्राप्त प्रतिफल होता है। यह औसत कुल परिसंपत्ति के संबंध में उत्पन्न निवल आय का प्रतिशत होता है।
- **कॉमन इक्विटी टीयर 1 अनुपात**: बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार इसे RBI द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है:- कुल जोखिम भारित परिसंपत्ति के प्रति कोर इक्विटी पूंजी, निवल विनियामक समायोजनों का प्रतिशत।
- **निवल गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्ति अनुपात (NNPA Ratio)**: निवल गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्ति के प्रति निवल अग्रिमों का अनुपात।
- **टियर 1 लीवरेज रेशियो (Leverage Ratio)**: लीवरेज रेशियो पर RBI के दिशानिर्देशों में इसे इस तरह परिभाषित किया गया है:- पूँजी उपाय के प्रति जोखिम उपाय का प्रतिशत।

VISION IAS

III. कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट

(Corporate Bond Market)

कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के उपाय किये गए हैं। RBI ने खान समिति की अनेक अनुशंसाओं को स्वीकार किया है। ये अनुशंसायें *कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट* में निवेशकों की भागीदारी और बाजार की तरलता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें शामिल हैं:

- अपनी पूंजी आवश्यकताओं तथा बुनियादी ढांचे एवं किफायती आवासों के वित्तपोषण के लिए वाणिज्यिक बैंकों को *रूपए-डिनामिनेटेड ओवरसीज बांड* (मसाला बांड) जारी करने की अनुमति दी गयी है।
- सेबी के साथ पंजीकृत तथा *कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट* में *मार्केट मेकर्स* के रूप में प्राधिकृत *ब्रोकर्स* को *कॉर्पोरेट* ऋण प्रतिभूतियों में रेपो / रिवर्स रेपो अनुबंध करने की अनुमति दी गयी है।
- बैंकों को उनके द्वारा *कॉर्पोरेट बांड्स* पर दिए जाने वाले *पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट* को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की अनुमति दी गयी है।
- प्राथमिक डीलरों को सरकारी बॉन्ड के लिए *मार्केट मेकर्स* के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी है। इससे सरकारी प्रतिभूतियों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अब ये खुदरा निवेशकों के लिए अधिक सुलभ होंगी।
- *ओवर द काउंटर (OTC) हेजिंग* तथा *एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स* के लिए विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुँच को अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। इसके अंतर्गत किसी दिए गए समय में 30 मिलियन डॉलर की सीमा है।

IV. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड

(Insolvency and Bankruptcy code)

पृष्ठभूमि

इस कोड का उद्देश्य दिवालियेपन (insolvency or bankruptcy) से संबंधित मामलों के निपटारे में होने वाली देरी को कम करना तथा दिए गए ऋण की वसूली को बेहतर बनाना है।

आवश्यकता

- वर्तमान में भारत में दिवालियेपन से जुड़ी कार्यवाही अनेक कानूनों द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरणस्वरुप- कंपनी अधिनियम, SARFAESI अधिनियम, *सिक इंडस्ट्रियल कम्पनीज एक्ट* आदि। इस पूरी प्रक्रिया में अत्यधिक समय लग जाता है जिससे पूँजी काफी लम्बे समय के लिए फंसी रह जाती है।

कानून की मुख्य विशेषताएँ:

- बेहतर कानूनी स्पष्टता के लिए संयुक्त कोड।
- दिवालियापन के मामलों को हल करने के लिए 180 दिनों की एक समय सीमा तय की गई है। इसे आवश्यकता पड़ने पर 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- **नए नियामक -** दिवालियापन और सूचनात्मक सुविधाएँ में कार्यरत पेशेवरों अथवा एजेंसियों को विनियमित करने के लिए *द इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया* (IBBI) का गठन किया गया है।
- कंपनियों एवं सीमित देयता वाली इकाइयों (limited liability entities) से संबंधित दिवालियापन के मामलों पर निर्णय करने के लिए *नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल* (NCLT) में विशेष बेंच का गठन किया गया है।
- व्यक्तियों और असीमित देयता वाली साझा फ़र्मों से संबंधित मामलों पर ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (Debt Recovery Tribunal-DRT) निर्णय करने वाला प्राधिकरण होगा।
- यदि कोई कॉर्पोरेट देनदार ऋण चुकाने में अक्षम रहता है तो यह कोड उसे स्वयं ही दिवालिया समाधान प्रक्रिया (insolvency-resolution process) शुरू करने की अनुमति प्रदान करता है।
- लेनदारों के विभिन्न वर्गों (वित्तीय लेनदारों और ऑपरेशन लेनदारों) के दावों की प्राथमिकता का निर्धारण करना।

VISION IAS

वर्तमान दिवालियापन (बैंकरप्सी) कानून से जुड़े मुद्दे:

- इन्सोल्वेंसी याचिका पर निर्णय करने वाले प्राधिकारी द्वारा रोक लगाई जा सकती है। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील भी दायर की जा सकती है। ऐसी दशा में यह भी संभव है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास दिवालिया कंपनी के विरुद्ध मामला चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न हों।
- मौजूदा कानूनों को निरस्त किए बिना दिवालियापन क़ानून को लागू करना, कानूनी प्रक्रिया को और भी जटिल बना सकता है।
- यदि इन्सोलवेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा इन्सोलवेंसी रेजोल्यूशन प्लान को 270 दिनों के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया हो अथवा यदि इसे निर्णय करने वाले प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो तो लिक्विडेशन ही एकमात्र विकल्प बचता है। हालांकि, कानून इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि निगम को लिक्विडेशन से पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा अथवा नहीं।
- लिक्विडेशन का विकल्प होने से यह भी संभव है कि पक्षकार बीमार कंपनी की रिकवरी के लिए पर्याप्त रिसर्च ही न करें।

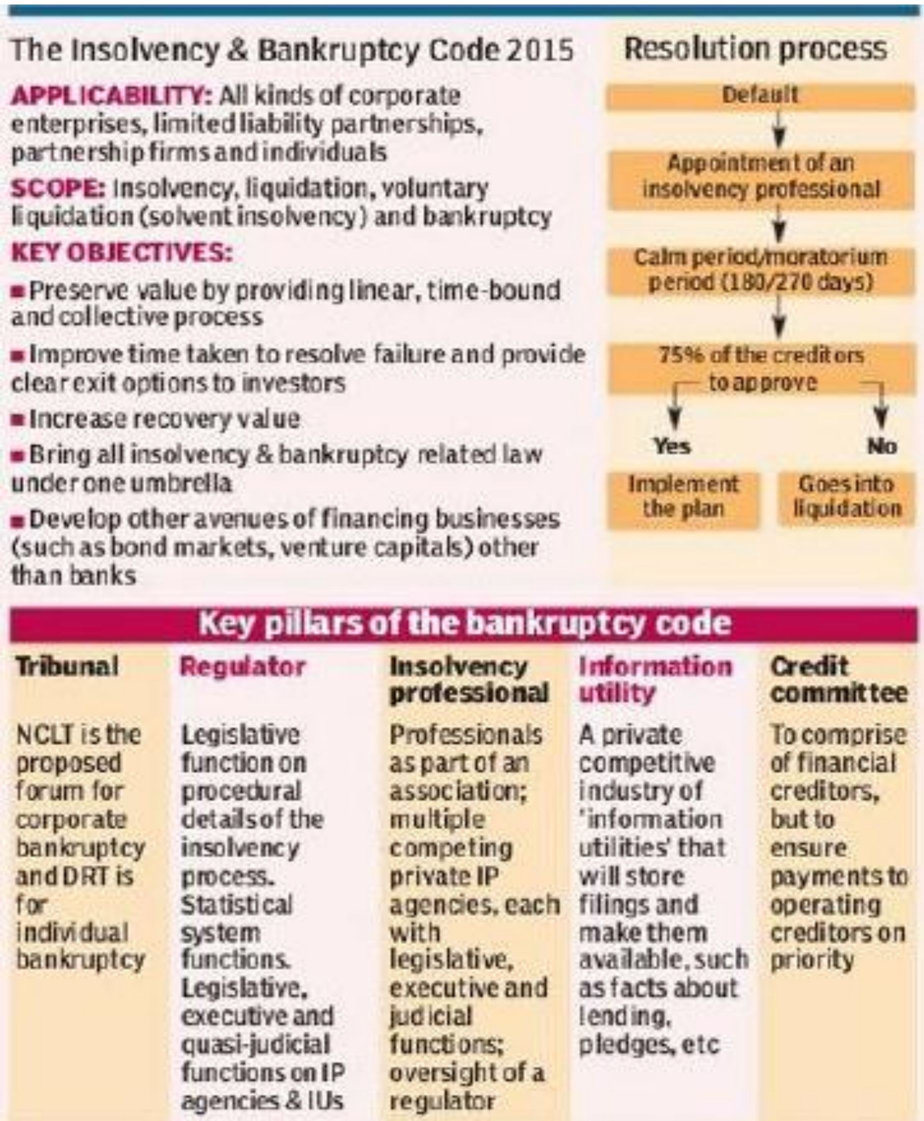

आगे की राह

NPA को कम करने और भारत में *'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस'* में सुधार लाने की दिशा में इन्सोल्वेंसी कानून अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस विधि में सुधार किया जाना भी नितांत आवश्यक है। इस सुधार के लिए ऐसे विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली जानी चाहिए जिनके पास इन्सोल्वेंसी तथा संकटग्रस्त ऋण बाजार से जुड़े मामलों को संभालने का अनुभव हो।

V. पब्लिक सेक्टर ऐसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी / बैड बैंक

बैड बैंक क्या है?

- बैड बैंक की स्थापना एक पृथक संस्था के रूप में की जाएगी जो अन्य बैंकों से NPAs का क्रय करेंगे, जिससे नए उधार प्रदान करने के लिए बैंकों के बही-खाते मुक्त किए जा सकें। इसी दौरान, यह अशोध्य परिसम्पत्तियों (toxic assets) का उचित रूप से निपटान करने की दिशा में कार्य करेगी।
- यह अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में पिट्सबर्ग स्थित मुख्यालय वाले मेलॉन बैंक द्वारा आरम्भ की गयी थी एवं 2007 के वित्तीय संकट के बाद आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस इत्यादि जैसे कई यूरोपीय देशों में सफलतापूर्वक लागू की गई है।

बैड बैंक के लाभ

- **भारतीय वित्तीय क्षमताओं की सीमाओं के कारण, पुन:पूंजीकरण की वर्तमान विधि केवल आंशिक रूप से ही सफल हो सकती है।** इसके अतिरिक्त यह अशोध्य परिसम्पत्तियों का शोधन नहीं करेगी बल्कि परियोजनाओं को केवल कुछ और अधिक समयावधि देगी।

- बैड बैंक वास्तव में बैंकों के बही-खातों को भारमुक्त करने में सहायता करेगा और इस प्रकार **यह खरीददारों के लिए बैंकों को अधिक आकर्षक** बना सकता हैं।
- यह पृथक्करण NPAs को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करेगा। ऋण देने की तुलना में पुनर्संरचना करने एवं कारोबार को समेटने की स्थिति में संगठनात्मक आवश्यकतायें और कौशल सेट अत्यधिक भिन्न होते हैं। यह **पृथक्करण, बैड बैंक में सर्वोत्तम उपयुक्त प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं को स्थापित करने में सहयोग कर सकता है, जबकि 'सामान्य बैंक' ऋण देने पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।**

मुद्दे:

- **रघुराम राजन का मानना था कि यह अवधारणा भारत के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती** क्योंकि बैंकों के ऋण को आधार प्रदान करने वाली अधिकतर परिसम्पत्तियाँ वहनीय हैं या वहनीय बनायी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए परियोजनाओं का एक बड़ा भाग भूमि अधिग्रहण या पर्यावरणीय अनुमति में आने वाली समस्याओं जैसे बाहरी कारकों के कारण ठप्प पड़ जाता है। उन्हें केवल पुनर्संरचना एवं अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- बैड बैंक की संरचना और प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित समस्यायें हैं।
    - सरकार की बड़ी हिस्सेदारी, बैड बैंक को सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के समान ही शासन और पूँजीकरण समस्याओं से ग्रसित कर देगी।
    - दूसरी ओर निजी शेयरधारिता की अधिकता, बैड बैंक को हस्तांतरित करते समय ऋणों का उचित मूल्यांकन न किए जाने पर पक्षपात एवं भ्रष्टाचार संबंधी आलोचना का शिकार हो सकती है।

आगे की राह:

- इसे अनिवार्य रूप से अन्य कदमों की मदद से पूरित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) में और अधिक पूँजी का निवेश किया जाना चाहिए।
- इसे संसद के अधिनियम के माध्यम से PSBs में अशोध्य ऋणों से निपटने के लिए सर्वोच्च ऋण समाधान प्राधिकरण का निर्माण भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह प्राधिकरण PSBs में बड़े ऋणों के पुनर्गठन का पुनरीक्षण करेगा। यह संबंधित चिंता के परिणाम स्वरूप PSBs में व्याप्त गतिहीनता का शमन करेगा एवं स्थगित परियोजनाओं में निधियों का प्रवाह करेगा।
- कुछ परिसंपत्तियों को घाटे वाली परिसंपत्तियों (लॉस एसेट्स) के रूप में ही वर्गीकृत किया जाना उपयुक्त है। इनका बही-खाते में उल्लेख करना चाहिए। इसके साथ ही लिक्विडेशन के माध्यम से जो भी मूल्य वसूल किया जा सकता है उसकी वसूली के प्रयास किए जाने चाहिए।
- बैंकों को मौजूदा ऋणों के ज्यादातर भाग को कम करना चाहिए जिससे की पुनर्गठित परियोजना को SDR, S4A, ARC व NIIF के विचार के लिए आकर्षक बनाया जा सके।
- प्रस्तावित राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष (NIIF) जो निजी साझेदारों के साथ कार्य करता है, इसके द्वारा SDR तंत्र के माध्यम से दबावग्रस्त अवसंरचना परियोजनाओं को इक्विटी (equity) तथा नए ऋण दोनों प्रदान किए जायेंगे।

4.2. वित्तीय समावेशन

(Finance Inclusion)

वित्तीय समावेशन को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके माध्यम से वहनीय कीमत पर वंचित वर्गों और कम आय वाले समूहों जैसे अतिसंवेदनशील समूहों को आवश्यक समय पर पर्याप्त ऋण प्रदान किया जा सकता है।

ग्लोबल माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट ने वित्तीय क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए पिछले 10 वर्षों में उठाये गए कदमों की सराहना की है, जैसे - प्रधानमंत्री जन धन योजना और आधार कार्यक्रम।

4.2.1 वित्तीय समावेशन से सम्बंधित मुद्दे

(Issues with financial inclusion)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गठित की गई दीपक मोहंती समिति के अनुसार स्पष्ट किये गए वित्तीय समावेशन से सम्बंधित **मुद्दे :**

- लैंगिक असमानता: बैंकों को महिलाओं के लिए खाता खोलने हेतु विशेष प्रयास करना चाहिए। सरकार को बालिका शिशु के कल्याणकारी उपाय के रूप में सुकन्या शिक्षा जैसी एक जमा योजना(deposit scheme) को प्रारंभ करने पर विचार करना चाहिए ।
- क्रेडिट प्रणाली की स्थिरता के लिए: आधार के रूप में एक अद्वितीय बॉयोमीट्रिक पहचान को प्रत्येक व्यक्ति के क्रेडिट खाते से जोड़ा जाना चाहिए और इससे संबंधित सूचनाए क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनियों के साथ साझा की जानी चाहिए।
- अंतिम बिंदु तक सेवाओं की उपलब्धता : G 2 P भुगतानों को बढ़ाने हेतु मोबाइल बैंकिंग सुविधा के उपयोग के लिए एक कम लागत वाला तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

अनुशंसाएँ

- जन-धन योजना के तहत खोले गए नए खातों और प्रदान किये गये कार्डों के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए । इसके लिए एप्लीकेशन आधारित मोबाइल फोन का उपयोग पॉइंट ऑफ़ सेल प्रणाली के रूप में किया जा सकता है ।
- बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट(BC) को मान्यता(certification) प्रदान करने के लिए श्रेणीबद्ध प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। इन्हें प्रारंभिक स्तर पर बेसिक प्रशिक्षण तथा अंतिम स्तर पर एडवांस प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ।
- **भूमि के रिकॉर्ड:** सभी कृषि क्षेत्रों को औपचारिक ऋण आपूर्ति बढ़ाने हेतु आधार से संबद्ध तंत्र द्वारा भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक प्रगतिशील कदम है ।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए निचे (niche) क्षेत्रों (विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र) में क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए गारंटी एजेंसियों को प्रोत्साहित करना और काउंटर गारंटी तथा पुनर्बीमा के लिए संभावनाएं तलाशना ।

4.2.2. लघु वित्त बैंक

(Small Finance Bank)

- **हाल ही में सूक्ष्म ऋणदाता (माइक्रो लेंडर्स) सूर्योदय एवं उत्कर्ष ने लघु वित्त बैंकों (SFBs)** का परिचालन शुरू कर दिया है।
- इस बैंक ने अन्य वाणिज्यिक ऋणदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने हेतु बचत बैंक जमाओं पर 6% से अधिक की ब्याज दरों का प्रस्ताव रखा है। दृष्टव है कि अधिकतर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बचत खातों पर 4% ब्याज प्रदान किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- **वित्तीय समावेशन पर गठित नचिकेत मोर समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक लघु वित्त बैंक भी है।**
- लघु वित्त बैंक *niche bank* (वे बैंक जो एक निश्चित जनांकिकीय क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं) होते हैं। इन बैंकों का प्रमुख कार्य कमजोर वर्गों के बीच ऋण संबंधी गतिविधियां संपन्न करना है।
- SFBs जमा-स्वीकार और ऋण-प्रदान दोनों कार्य करते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वर्तमान में छोटे व्यवसायों में से करीब 90 प्रतिशत का औपचारिक वित्तीय संस्थानों के साथ कोई संबंध नहीं है।
- उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लघु वित्त बैंक देश में बैंकिंग सुविधा रहित एवं बैंकिंग सुविधा की अल्प उपलब्धता वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और कृषि क्षेत्र को ऋण की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

VISION IAS

SFBs की विशेषताएँ:

- बैंकिंग और वित्त में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति/पेशेवर तथा निवासियों के स्वामित्व वाली कंपनियां एवं सोसाइटी, लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए पात्र होंगी।
- SFBs के लिए न्यूनतम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपये होगी।
- SFBs मुख्य रूप से कृषि और MSMEs के विकास के लिए है।
- SFBs पेंशन, विदेशी मुद्रा, म्यूचुअल फंड और बीमा की बिक्री कर सकते हैं एवं यह एक पूर्ण बैंक में भी परिवर्तित हो सकते हैं।

4.2.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानक:

(Priority Sector Lending Norms)

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और मध्यम उद्यमों जैसे कुछ नए क्षेत्रों को शामिल कर PSL मानकों को पुनःस्थापित किया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिन्हें इस विशेष व्यवस्था के अभाव में समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियाँ-

1) कृषि;

2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम;

3) निर्यात क्रेडिट;

4) शिक्षा;

5) आवास;

6) सामाजिक अवसंरचना;

7) नवीकरणीय ऊर्जा; तथा

8) अन्य।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के साथ चुनौतियाँ

- वर्तमान में, कई बैंकों के लिए अपनी PSL अपेक्षाओं की पूर्ति कठिन है क्योंकि वे ग्रामीण या MSME क्षेत्र को उधार देने में सक्षम नहीं होते हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार कृषि पर मुख्य ध्यान देने के बाद भी कृषि में पूंजी निवेश में कोई पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक RBI के मानदंडो को पूरा करने मात्र के उद्देश्य से अल्प अवधि के लिए ऋण देते हैं।
- इसलिए RBI ने 2008 में रघुराम राजन समिति द्वारा अनुशंसित 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLCs)' जारी करने और उनके व्यापार की अनुमति देने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की। इसके तहत बैंक अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे ऋण प्रमाणपत्र (क्रेडिट सर्टिफिकेट) खरीद और बेच सकते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLCs) क्या हैं ?

- PSLCs व्यापार योग्य प्रमाण पत्र होते हैं जो बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के एवज में जारी किए जाते हैं। जो बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य और उप लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, वे इन प्रमाणपत्रों को खरीदकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने में सक्षम हो जाते हैं।
- PSLCs का लक्ष्य विभिन्न बैंकों की प्रतिस्पर्धी क्षमता का लाभ उठाते हुए बाज़ार तंत्र के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण सुलभ कराना है।

VISION IAS

- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक (चालू हो जाने पर) तथा लोकल एरिया बैंक; PSLCs के व्यापार के लिए पात्र हैं।
- इसमें मूर्त संपत्ति या नकदी प्रवाह का स्थानांतरण नहीं होता अतः ऋण जोखिम भी स्थानांतरित नहीं होगा। निधियों का निपटान ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

4.2.4. शाखा प्राधिकरण नीति

(Branch Authorization Policy)

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शाखा प्राधिकरण नीति में कुछ रियायतें प्रदान की हैं। इसका लक्ष्य सभी शाखाओं तथा *'फिक्स्ड बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट आउटलेट्स'* को बैंकिंग आउटलेट्स की परिभाषा के तहत लाना है तथा टियर-1 केन्द्रों में शाखा खोलने पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना है।

संशोधित नीति के प्रावधान

- इस नीति ने **टियर-1 से टियर-6 तक के केंद्रों में बैंकिंग आउटलेट खोलने के प्रत्येक मामले में RBI की अनुमति प्राप्त करने के प्रावधान को समाप्त** कर दिया है।
- बैंकों द्वारा 25% आउटलेट्स गैर-बैंकीकृत केंद्रों (URC) में खोलना अनिवार्य है।

महत्व

- यह बैंकिंग सेवाओं की बेहतर उपलब्धता से वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने में सहायक होगा।
- इस कदम से बैंको के लिए गैर-बैंकिंग ग्रामीण केंद्रों में शाखाएँ खोलने की लागत में कमी आएगी क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में सभी बैंकिंग सेवाएँ देने वाले बैंक सदैव कम ग्राहक संख्या के कारण लाभदायी नहीं होते हैं।

4.2.5. स्कूल के लिए बीमा साक्षरता कार्यक्रम

(Insurance Literacy Programme for School)

बुनियादी वित्तीय शिक्षा में देश के वित्तीय कल्याण के मौलिक सिद्धांत शामिल हैं। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (National centre for financial education) ने **राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता रणनीति** (National Strategy for financial education) को लागू करने के लिए स्कूली शिक्षा हेतु बीमा साक्षरता कार्यक्रम में विस्तार किया है।

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति एक विजन, मिशन, लक्ष्य, सामरिक कार्य योजना, हितधारक की नीति के तहत काम करेगा।

- **विजन:** वित्तीय शिक्षा के माध्यम से वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत का निर्माण करना। पैसे की भूमिका, बचत के लाभ, औपचारिक वित्तीय क्षेत्रों का लाभ, बीमा के माध्यम से सुरक्षा आदि के लिए।
- **मिशन:** समाज के सभी वर्गों के लिए एक विशाल वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम को शुरू करना, कौशल एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना तथा इस *लाइफ-साइकल* की शुरुवात विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं से होनी चाहिए।
- **लक्ष्य:** इसे कुछ निश्चित वस्तुओं के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए, जैसे - विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पादों और उनकी विशेषताओं के प्रति जागरूकता का प्रसार करना, सोच में परिवर्तन और उपभोक्ताओं को वित्तीय सेवाओं के ग्राहकों के रूप में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझाना।
- **सामरिक कार्य योजना:** NGOs, नागरिक समाज, स्वतंत्र अनुसंधान संगठन जैसे हितधारकों को शामिल करते हुए एक 5 वर्षीय योजना बनायीं जाए जिसमें माध्यमिक स्तर के स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा की शुरूआत की जाए साथ ही देश में उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

एक वित्तीय साक्षर समाज की ओर

- भारत में 30% से अधिक बचत दर है, लेकिन यह निवेश के लिए चैन्लाइज़ नहीं है। इस तरह की पहल उस स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।

- उपर्युक्त सर्वेक्षण में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय वयस्कों की 76% जनसँख्या को बुनियादी वित्त के बारे में जानकारी नहीं है और 14% भारतीय ही औपचारिक वित्तीय संस्थानों में बचत करते हैं, जो बाद में निम्न वित्तीय समावेशन के रूप में दिखता है।

4.3. RBI से सम्बंधित मुद्दे

(Issues With RBI)

4.3.1. भारतीय रिजर्व बैंक की शासन प्रणाली में समस्याएँ

(Problems In The Governance Of Reserve Bank Of India

भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड, पिछले 3 वर्षों में, संकुचित हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में चार स्वतंत्र सदस्य और छह कार्यकारी सदस्य (RBI और सरकार का प्रतिनिधि) हैं जबकि अपेक्षित संरचना के अनुसार 14 स्वतंत्र सदस्य और 7 कार्यकारी सदस्य होने चाहिए।

मुद्दे

- **रिक्त क्षेत्रीय बोर्ड:** स्थानीय बोर्डों के लिए कोई नई नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड में एक प्रतिनिधि भेजता है।
- **केंद्रीय बोर्डों में रिक्ति:** वर्तमान सरकार ने 10 पदों के लिए केवल तीन नियुक्तियां की हैं और शेष सभी पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हुए हैं।
- **गोपनीयता:** यह सरकार द्वारा हस्तक्षेप के एक कारण के रूप में दिया जाता है।
- पुराने नोटों को बदलने की सतत लेकिन यादृच्छिक प्रक्रिया और निरंतर हस्तक्षेप से यह धारणा बनी है कि भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार का एक आभासी विभाग है।
  - वित्तीय क्षेत्र में विश्वास और जिस प्रकार इस क्षेत्र को विनियमित किया जाता है उस पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
  - वित्तीय क्षेत्र में विश्वास और जिस प्रकार इस क्षेत्र को विनियमित किया जाता है उस पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

RBI और इसके प्रकार्य:

- **RBI एक्ट, 1934** के प्रावधानों के तहत इसे 1935 में स्थापित किया गया था।
- RBI के सात प्रमुख प्रकार्य हैं:
  - **नोट मुद्रित करना (नोटों का निर्गम करना):** RBI के पास नोटों को मुद्रित करने का एकमात्र स्वत्व अधिकार (स्वायत्तता) है। भारत सरकार के पास सिक्कों के टकसाल (ढलाई) और एक रुपए के नोटों को निर्गम करने का एकमात्र स्वत्व अधिकार है।
  - **सरकार का बैंकर:** यह सरकार के जमा खातों का प्रबंधन करता है। यह IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) और विश्व बैंक के एक सदस्य के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है।
  - **वाणिज्यिक बैंक जमाओं का अभिरक्षक (कस्टोडियन)**
  - **देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक**
  - **अंतिम ऋणदाता:** वाणिज्यिक बैंक आपात स्थितियों में अपनी मौद्रिक जरूरतों के लिए RBI के पास ही आते हैं।
  - **सेंट्रल क्लीयरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट्स:** चूंकि RBI वाणिज्यिक बैंकों के CRR को अपने पास रखता है, अतः यह आसानी से उनके (वाणिज्यिक बैंक) विनिमय विपत्रों (बिल ऑफ़ एक्सचेंज) का रिडिस्काउंट (पुनर्बट्टा करना) कर देता है।
  - **साख नियंत्रण:** यह अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
- RBI के गवर्नर की नियुक्ति की शक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में होती है और वह केन्द्र सरकार के प्रसादपर्यंत अपना पद (कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं) धारण करता है।

4.3.2. भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता

(Autonomy of RBI)

नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्वायत्तता पर सवाल उठाए गए थे।

स्वायत्तता के मामले में RBI की स्थिति क्या है?

- **2014 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सेंट्रल बैंकिंग में प्रकाशित एक प्रपत्र में, 89 केंद्रीय बैंकों पर किए गए एक अध्ययन में RBI को सबसे कम स्वतंत्र (केंद्रीय बैंक) के तौर पर सूचीबद्ध किया गया था।**
- फरवरी 2015 में **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण** के अपनाए जाने और अक्टूबर 2016 में **मौद्रिक नीति समिति** के गठन के चलते इस रैंकिंग सुधार होने की काफी संभावना है।
- हालांकि, RBI के बोर्ड में रिक्तियों की संख्या और उन्हें भरने में सरकार की अनिच्छा के कारण इसके निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर तथा निर्णय लेने में उपयुक्त विचार-विमर्श हुआ है या नहीं इस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं।
- पिछली सरकार के दौरान, एक वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग (Financial Sector Legislative Reforms Commission) का गठन किया गया था जिसने RBI की शक्तियों में कटौती करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की।
- 2013 में, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक वित्तीय क्षेत्रक निगरानी निकाय के रूप में 'वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद' (Financial Stability and Development Council) का गठन किया गया था। इसे भी RBI की स्वायत्ता में कमी के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
- संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि **RBI एक्ट** भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान नहीं करता। हालांकि, जब यह अपने विनियामकीय और मौद्रिक कार्यों का संचालन करता है तो निश्चित हीं यह कुछ स्वतंत्रता का आनंद उठाता है।

आगे की राह

- RBI गवर्नर, बोर्ड तथा सरकार के मध्य सहयोगात्मक और समन्वयपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिए।
- *नार्थ अटलांटिक फाइनेंसियल क्राइसिस* के बाद से अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक की भूमिका मौद्रिक नीति से परे विकास और वित्तीय स्थिरता तक विस्तृत हो गयी है। इसे स्थिर कार्यकाल और विभिन्न क्षेत्रों से बोर्ड के सदस्यों के समावेशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- पूर्व में RBI बोर्ड में कृषि, सामाजिक सेवाओं और यहां तक कि वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि रहे हैं। RBI महज मुद्रास्फीति के मुद्दों पर विचार करने वाला मौद्रिक प्राधिकरण नहीं है, अपितु इसका दायरा बहुत विस्तृत है।
- **कार्यकाल:** गवर्नर का कार्यकाल पांच साल से कम अवधि का (रघुराम राजन का कार्यकाल 3 वर्ष रहा) होने के कारण उसे अपने एजेंडे को लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है तथा कार्यकाल विस्तार के सन्दर्भ में राजनीतिकरण को बढ़ावा देता है। अतः गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल पांच साल का होना चाहिए।

4.4. प्रस्तावित पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड

(Proposed Payment Regulatory Board)

RBI ने भारत में भुगतान व्यवस्था (पेमेंट रिजीम) पर गठित रतन वटल समिति की राय, विशेष रूप से नए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की सिफारिश, पर मतभेद जताया है।

पृष्ठभूमि

- **वटल कमेटी ने भारत में डिजिटल भुगतान ढांचे में प्रतिस्पर्धा एवं नवोन्वेष को बढ़ावा देने हेतु एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड** (RBI से स्वतंत्र) के गठन की सिफारिश की।
- वर्तमान समय में भारत में **भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement System: BPSS)** भुगतान पारिस्थितिकी को नजरअंदाज करते हैं।

प्रस्ताव की आवश्यकता

- **वर्तमान पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अधिनियम, 2007 (PSS Act) डिजिटल भुगतान की पहुंच को प्रतिबंधित करता है, और इस प्रकार नकदी लेनदेन को बढ़ावा देता है।हालाँकि, यह डाटा संरक्षण के मुद्दे पर मौन है।**

VISION IAS

- समिति के अनुसार **वर्तमान कानून, भुगतान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित नहीं** करता है।
- पेमेंट रिजीम **एक अधिक तकनीक-संचालित व्यावसायिक गतिविधि** है, जिसे बैंकिंग क्षेत्र से स्वतंत्र रूप में देखा जाना चाहिए।
- एक अनुमान के अनुसार डिजिटल भुगतान की सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने वाले एक स्वायत्त निकाय द्वारा तीन वर्षों में डिजिटल भुगतान को वर्तमान 5% से लगभग 20% तक बढ़ाया जाएगा।

निहित चुनौतियां

- **यह रिजर्व बैंक की स्वायत्तता** के लिए एक खतरा उत्पन्न कर सकता है। उल्लिखित है कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु पहले ही एक मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया जा चुका है।
- चूँकि **भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड (BPSS)** में RBI से बाहर के विशेषज्ञों को सदस्यता प्राप्त है अतः ये **पहले से ही काफी स्वतंत्र** हैं।
- एक पृथक प्रतिस्पर्धा कानून वर्तमान में विद्यमान है। इसे PSS अधिनियम के तहत प्रतिस्थापित करने से **अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र (overlapping jurisdiction)** सृजित हो सकते हैं।
- पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के लिए **"एक नवाचार"** को परिभाषित करना कठिन होगा।

4.5. बाजार स्थिरीकरण योजना बांड की भूमिका

(Role of Market Stabilisation Scheme Bonds)

सरकार ने बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS) के तहत जारी किए जाने वाले बांड की अधिकतम सीमा 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर छह लाख करोड़ रुपये कर दी है।

पृष्ठभूमि

- विमुद्रीकरण अभियान के परिणामस्वरूप बैंकों में धन प्राप्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जिसने बांड प्रतिफल और ब्याज दरों में अप्रत्याशित स्थिति ला दिया तथा बाजार के संचालन को भी बाधित किया है।
- केंद्रीय बैंक ने भी 16 सितंबर और 11 नवंबर के बीच एकत्रित जमा धन पर अतिरिक्त तरलता को समायोजित करने के लिए 100% CRR लगाया है।
- हालांकि CRR में बढ़ोतरी से 3.24 लाख करोड़ रुपये बाजार से खींच (sucked out) लिया गया है, परन्तु कुछ चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं जैसे:
    - इस राशि पर कोई ब्याज अर्जित नहीं होगा।
    - तरलता समायोजन सुविधा (Liquid Adjustment Facility) दरों और उधार दरों के हस्तांतरण को अवरुद्ध करेगा।

महत्व

- **MSS बांड पर ब्याज प्राप्त होता है, यह बैंकों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। फलस्वरूप बैंक विमुद्रीकरण अभियान में, प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे।**
- **SLR बांड के रूप में MSS:** MSS बांडों को बैंकों की अनिवार्य बांड पूंजी (mandatory bond holding) के रूप में गणना हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है।
- MSS बांड, सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि नहीं करता है।
- क्रिसिल के अनुसार,भारतीय रिजर्व बैंक में, रिवर्स रेपो के संचालन हेतु आवश्यक, सरकारी प्रतिभूतियों के स्टाक सीमित हैं, इसलिए MSS की जरुरत है।

MSS योजना क्या है?

- MSS आरबीआई को तरलता प्रबंधन के लिए अधिक अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया है।
- बाजार से अतिरिक्त तरलता को सोखने हेतु

VISION IAS

- यह पहली बार फरवरी 2004 में, जब देश में डॉलर की आवक बढ़ गई थी ऐसे में, उसे रुपए में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता हेतु प्रयोग किया गया था।
- उगाही गयी धन-राशि, एक पृथक बाजार स्थिरीकरण योजना खाते (MSSA) में, न कि सरकारी खर्च हेतु जाती है।

4.6. पूँजी एवं मुद्रा बाजार

(Capital and Money Market)

4.6.1. पी-नोट्स मानदंड

(P-Notes Norms)

हाल ही में, SEBI ने पी-नोट्स पर परामर्श पत्र जारी किया है जिससे कि पी नोट्स तथा अन्य *ऑफशोर डेरीवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स* (ODIs) को जारी करने के लिए नियमों को और सख्त किया जा सके।

आवश्यकता

- पी-नोट्स की निवेश प्रक्रिया में व्याप्त अपारदर्शिता के कारण, इसका इस्तेमाल काले धन के निवेश के लिए एक साधन के रूप में होता है। इसलिए इसका उपयोग केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित होना चाहिए।
- पहचान गुप्त रखने के लिए, बहुत से ODI ग्राहक एक से अधिक जारीकर्ताओं के माध्यम से निवेश करते हैं। इसलिए पी-नोट्स पर नए परामर्श पत्र में पेश किया गया प्रस्ताव दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक सही कदम साबित होगा।

परामर्श पत्र के प्रावधान

- ODIs या PNs को जारी करने वाले प्रत्येक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) पर सेबी ने 1,000 डॉलर का विनियामक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस शुल्क का सेबी में पंजीकृत FPI द्वारा उनके प्रत्येक पी-नोट्स ग्राहक के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में भुगतान किया जाना चाहिए।
- SEBI ने **सट्टेबाजी के उद्देश्य से जारी होने वाले डेरिवेटिव्स पर प्रतिबन्ध** लगाने का भी प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में, इक्विटी, ऋण और डेरिवेटिव्स के बदले ODIs जारी किया जाता है।

महत्व

- यह पी-नोट्स ग्राहकों को इन नोट्स के ज़रिये निवेश करने से हतोत्साहित करेगा और उन्हें सीधे FPI के रूप में अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- यह किसी भी ट्रीटी शॉपिंग प्रैक्टिसेस (संधि की कमियों का लाभ उठाना) और कर वंचना से बचने के लिए उपयोगी होगा।

SEBI STEPS

- Indian KYC reporting rules will apply to beneficial owners of P-notes
- Transfer of overseas derivative instruments will require prior permission of issuer
- Top 500 listed companies by market cap will have to disclose dividend distribution policies
- Regulations for infrastructure investment trusts to be relaxed

पी-नोट्स / ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स

- पी नोट्स का उपयोग उन विदेशी संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय इक्विटी में निवेश करना चाहती हैं। इसलिए सेबी द्वारा पंजीकृत FPI ऐसी संस्थाओं की ओर से शेयर खरीदते हैं और फिर वास्तविक लाभार्थियों को प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करते हैं।
- भारतीय शेयरों और इक्विटी उपकरणों में कुल विदेशी निवेश का 6% पी-नोट्स के रूप में हुआ है।
- पिछले वर्ष, सेबी ने ODI ग्राहकों के लिए अपने ग्राहक को जानो (KYC), ODI की स्थानांतरियता, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग और सिस्टम की समय-समय पर समीक्षा जैसे मानदंड जारी किये।
- यदि इस प्रकार के ODI स्थानांतरित किए जाते हैं, तो जारीकर्ता को सेबी की मांग पर ऐसे स्थानान्तरण के सभी चरणों की जानकारी देनी चाहिए।

VISION IAS

4.6.2. सेबी द्वारा एल्गोरिदम ट्रेडिंग के नियमों को सख्त किए जाने का प्रस्ताव

(SEBI to Tighten Algo Trading Rules)

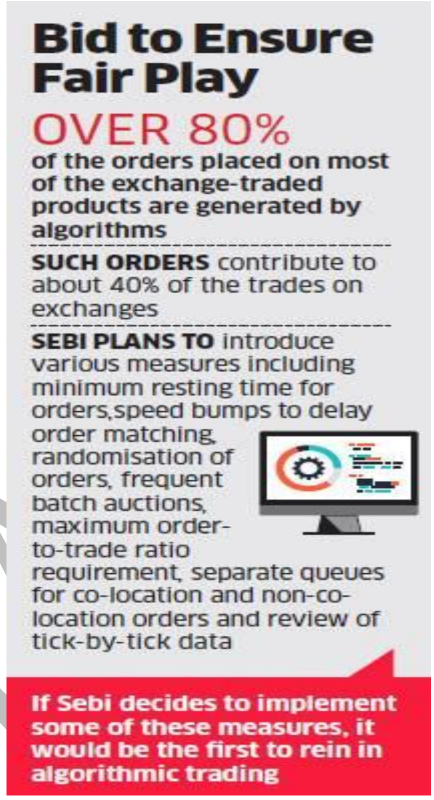

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (algorithmic trading) के नियमों को और सख्त करने की योजना बना रहा है।

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग क्या है?

- एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग बारीक गणितीय मॉडल पर आधारित ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए पूर्व-निर्धारित कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग कर बड़ी तेजी से सटीक व बड़े सौदे किए जाते हैं। मानव व्यापारी के लिए इस गति से ट्रेडिंग करना असंभव है।
- एल्गो-ट्रेडिंग निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:
    - सर्वोत्तम संभव कीमतों पर ट्रेड निष्पादन।
    - निम्न लेनदेन लागत (transaction cost)।
    - कई बाजार स्थितियों पर एक साथ स्वचालित नियंत्रण।
    - ट्रेड में संभावित मैन्युअल त्रुटियों संबंधी जोखिम में कमी।
    - मानव व्यापारियों द्वारा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर आधारित त्रुटियों की संभावना में कमी।

इस पहल के पीछे का तर्क

- इस तरह की प्रणाली के दुरुपयोग की घटनाओं को कम करना, जिसका उपयोग एक बहुत ही जटिल व्यापारिक रणनीति को उच्च गति से निष्पादित करने के लिए किया जा सकता है।
- एल्गो-ट्रेडिंग और नॉन-एल्गो-ट्रेडिंग उपयोगकर्ताओं के मध्य एकसमान प्रतियोगी अवसर सुनिश्चित करना।

4.6.3. SEBI ने क्रेडिट रेटिंग कंपनियों के लिए मानकों को मजबूत किया

(SEBI Tightens Norms for Credit Rating Companies)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया: SEBI) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए प्रकटीकरण (disclosure) मानदंडों को मजबूत किया है। इसकी घोषणा हाल के दिनों में अचानक रेटिंग कम करने और ब्याज दरों में कटौती के एवज में की गई है।

यह क्या है?

- SEBI ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से कहा है कि जिस आधार पर वे कंपनियों की रेटिंग करते हैं, उसका खुलासा करें, और अपने रेटिंग इतिहास के साथ ही विश्लेषकों की जिम्मेदारियों की भी घोषणा करें।
- कंपनियों को आंकने के मानदंड में वित्तीय अनुपात, फर्म के समेकन के प्रति व्यवहार, मूल कंपनी समूह का समर्थन, और व्यापार की प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए मानदंडों को शामिल किया जाएगा।
- रेटिंग प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
- SEBI के इस कदम का महत्व यह है कि इससे रेटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में मदद मिल सकती है। और यह रेट शॉपिंग और रेटिंग सस्पेंशन पर लगाम लगाएगी।

4.7. वित्त : सरकार द्वारा उठाये गए कदम

(Finance: Steps Taken By Government)

4.7.1. WPI एवं IIP के आधार वर्ष में परिवर्तन

(WPI And IIP Base Year Change)

- **केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** और **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP)** द्वारा क्रमशः औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production- IIP) और थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index - WPI) के लिए **आधार वर्ष 2004-05 से परिवर्तित कर वर्ष 2011-12 कर दिया गया है।**

- WPI और IIP को **सौमित्र चौधरी समिति** की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित किया गया है, जिसने मार्च 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की।
- CSO द्वारा पहली बार एक **तकनीकी समीक्षा समिति (TRC)** का गठन किया गया है जो सूचकांको की समीक्षा और देश के बदलते हुए आर्थिक ढांचे के अनुरूप उचित और उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेगी। TRC की अध्यक्षता DIPP के सचिव द्वारा की जाएगी। इसकी एक वर्ष में एक बार बैठक होगी।

इससे संबंधित सुर्खिया क्या है?

- इसके तहत WPI के आधार वर्ष के अलावा, वस्तुओं के समूह एवं उनके भारांश को भी परिवर्तित किया गया है। देश में बदलती मांग के अनुरूप 199 नई वस्तुएं जोड़ी गई हैं और 146 वस्तुएं हटा दी गई हैं।
- राजकोषीय नीति के प्रभाव को दूर करने के लिए **करों को WPI से बाहर** रखा गया है।
- WPI की गणना समांतर माध्य की बजाय अब गुणोत्तर माध्य से की जाएगी। CPI की गणना गुणोत्तर माध्य द्वारा की जाती है।

Changes in composition

	IIP old series (Base year: 2004-05)		New series (Base year: 2011-12)	
	Item groups	Weight (%)	Item groups	Weight (%)
Mining	1	14.16	1	14.37
Manufacturing	397	75.53	405	77.63
Electricity	1	10.31	1	8
Total	**399**	**100**	**407**	**100**
	WPI old series (Base year: 2004-05)		**New series** (Base year: 2011-12)	
Primary articles	102	20.12	117	22.62
Fuel and power	19	14.91	16	13.15
Manufactured items	555	64.97	564	64.23
Total	**676**	**100**	**697**	**100**

निहितार्थ

- आधार वर्ष में परिवर्तन ने सभी व्यापक आर्थिक संकेतकों का समान आधार निर्मित कर दिया है जिससे इनकी तुलना करना आसान हो गया है।
- वस्तुओं एवं उनके भारांश के WPI बास्केट में बदलाव ने इसे **CPI और देश में उपभोग के बदलते प्रतिरूप के निकट ला दिया है।**
- WPI से अप्रत्यक्ष करों को हटाना इसे एक **संगत और उचित अपस्फ़ीतिकारक (डिफ्लेटर)** बनाएगा। यह इसे **PPI (प्रोडूसर प्राइस इंडेक्स /उत्पादक मूल्य सूचकांक) और वैश्विक प्रथाओं** के करीब लाएगा।
- IIP बास्केट में बदलाव इसे **वर्तमान उत्पादन संरचना के करीब** लाएगा।

4.7.2. क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड

(Credit Enhancement Guarantee Fund)

सरकार ने 2016-17 के केंद्रीय बजट में क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को चुना है।

क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड के बारे में

- **यह गारंटी का अतिरिक्त स्रोत** प्रदान करता है कि **उधारकर्ता अपने ऋण पर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा।**
- **यह ऋण लेने वालों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में** भी मदद करता है।
- इसकी आरंभिक पूंजी (सीड कैपिटल) 1500 करोड़ रुपये की है और यह **40,000 करोड़ रुपये तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गारंटी** प्रदान करने में सक्षम होगा।

प्रस्ताव का महत्व

- भारत में सतत विकास और संवृद्धि के लिए अगले 10 वर्षों में अवसंरचना में निवेश हेतु लगभग **1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता** है।
- यह बुनियादी ढांचा फर्मों द्वारा जारी बांडों की **क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने** में मदद करेगा।

VISION IAS

- यह **दीर्घकालिक**, विशेष रूप से ग्लोबल इन्श्योरेन्स, पेंशन और संप्रभु सम्पदा कोष से, **निवेश** को आकर्षित करने में मदद करेगा।
- क्रेडिट एनहांसमेंट उपाय से **ब्याज दर की लागत** लगभग दो प्रतिशत **कम** हो सकती है।
- यह एक दीर्घकालिक पहल है क्योंकि बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं लंबे समय तक अनुत्पादक बनी रहती हैं और धीरे-धीरे रिटर्न प्रदान करती हैं।

4.7.3. वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017

(Financial Resolution And Deposit Insurance Bill 2017)

इस विधेयक का व्यापक उद्देश्य RBI, SEBI, IRDA या PFRDA द्वारा विनियमित किसी ऐसी वित्तीय फर्म की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना है जो संकटग्रस्त होने वाली है। इसके द्वारा ऐसी फर्म के संकटग्रस्त होने की स्थिति में अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

विशेषताएँ

- यह विधेयक बैंक, बीमा कंपनियों और वित्तीय कंपनियों जैसी विनिर्दिष्ट वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक कॉम्प्रेहेंसिव रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- इसके परिणामस्वरुप 'डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन एक्ट, 1961' को निरस्त कर, इसके डिपाजिट इंश्योरेंस के अधिकारों एवं कर्तव्यों को रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन को स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन (समाधान निगम)

- यह कॉर्पोरेशन किसी फर्म का परिसमापन या विघटन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा। एक बार यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने के उपरांत यह प्रापकर्ता (रिसीवर) की भांति कार्य करेगा अर्थात यह जमाकर्ताओं को एक निश्चित सीमा तक उनकी जमाओं पर उपलब्ध बीमा के आधार पर धन प्रदान करेगा तथा कर्जदारों एवं इक्विटी होल्डर्स (शेयरधारकों) के दावों को समायोजित करेगा।
- इसके पास नये कानून के अंतर्गत बनाया गया एक कोष या फंड होगा जिसमें फर्मों द्वारा निर्धारित प्रीमियम के अतिरिक्त सरकार का योगदान भी शामिल होगा।
- यह कॉर्पोरेशन वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व और दृढ़ता का संरक्षण करेगा और एक तर्कसंगत सीमा तक बाध्यताओं के दायरे में उपभोक्ताओं का संरक्षण करेगा। यह एक संभव सीमा तक लोगों के धन का भी संरक्षण करेगा।
- यह उन सभी वित्तीय फर्मों को कवर करेगा जिनका विनियमन RBI, SEBI, IRDA या PFRDA द्वारा किया जाता है।

लाभ

- इसके द्वारा वित्तीय संकट में फंसे वित्तीय सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
- इसका उद्देश्य वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय सेवा प्रदाताओं को अनुशासित करना है, क्योंकि इसके द्वारा संकटग्रस्त संस्थाओं को बेल आऊट करने के लिए किये जाने वाले सार्वजनिक धन के उपयोग को सीमित किया गया है।
- इस विधेयक का उद्देश्य बड़ी संख्या में खुदरा जमाकर्ताओं के लाभ के लिए जमा बीमा के वर्तमान ढांचे को मजबूत और सुगम बनाना है।
- इस विधेयक का उद्देश्य संकटग्रस्त वित्तीय संस्थाओं के विघटन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है।

4.8. रोज वैली मामला/प्रकरण

(Rose Valley Case)

हाल ही में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी के दो सांसदों को रोज वैली मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया।

रोज वैली मामला क्या है?

- **यह एक चिट फंड घोटाला है जहां रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन** और **रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट** नामक दो संस्थाओं ने निवेशकों से 21% के असाधारण रिटर्न के वादे के साथ परिसंपत्ति की खरीद के लिए किस्तों के रूप में 18000 करोड़ रुपया संग्रह किया।

VISION IAS

चिट फंड

- **चिट फंड वस्तुतः एक प्रकार की बचत योजना** होती है जिसे एक व्यक्ति या एक संस्था द्वारा चलाया जाता है।
- सब्सक्राइबर (ग्राहक/सदस्य/अभिदाता) चिट फंड के लिए किश्तें एकत्रित करते हैं। एक अवधि के बाद, प्रत्येक सब्सक्राइबर को चिट फंड द्वारा एक डिस्काउंट कटौती के बाद एकत्रित की गयी पूरी निधि वापस कर दी जाती है।
- चिट फंड का लाभ यह है कि एक सब्सक्राइबर अत्यल्प समय में बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, चिट फंड **समवर्ती सूची** का एक विषय है।
- चिट फंड **राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत** होते हैं। अपंजीकृत चिट फंड आम तौर पर गैर-क़ानूनी होते हैं।
- द प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम 1978 { The Prize chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act 1978} में आम तौर पर गैर-क़ानूनी चिट फंड को परिभाषित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- **TMC के दो सांसदों को 2013 में शारदा घोटाला** मामले में गिरफ्तार किया गया था।
- 2014 में कई अपंजीकृत चिट फंड स्कीम को ख़त्म करने का आदेश दिया गया था और पैसा निवेशकों को वापस भी किया गया।
- साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस तरह के चिट फंड कंपनियों की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate: ED) और CBI को निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि **इसी प्रक्रिया के तहत, रोज वैली समूह का पता चला**।

इस तरह के घोटाले के कारण

- **नियमों की बहुलता और अधिकार क्षेत्र (न्याय-सीमा) के संदर्भ में भ्रम की स्थिति** के चलते ऐसे घोटाले होते रहते हैं। उदाहरण- चिट फंड को केन्द्र और राज्य विनियमित करते हैं जबकि SEBI अन्य सामूहिक निवेश योजनाओं को विनियमित करता है।
- **कमजोर विनियमन** के कारण भी ऐसे घोटाले होते हैं। उदाहरण- इस तरह की कंपनियों के पंजीकरण का अभाव।
- निवेशकों के बीच इस प्रकार की योजनाओं के बारे में वित्तीय साक्षरता की कमी होती है।
- अत्यल्प समय में मालामाल होने की प्रवृत्ति और एक उपभोक्तावादी समाज में कुछ लोगों में लालची होना।

धोखाधड़ी वाली कुछ अन्य मौद्रिक योजनाएं

1. पोंज़ी स्कीम

- यह एक गैर-क़ानूनी इन्वेस्टिंग स्कीम (निवेश से संबंधित योजना) है, जहाँ निवेशकों को उनके निवेश के लिए अत्यधिक रिटर्न (धन वापसी) का वादा किया जाता है।
- इनके पास कोई अंतर्निहित परिसंपत्तियां नहीं होती हैं। यह अपने पुराने निवेशकों के रिटर्न के लिए नए निवेशकों से संग्रहित धन का उपयोग करता है। संपत्ति आदि अन्य प्रकार की किसी परिसंपत्तियों से प्राप्त रिटर्न/राजस्व अर्जन का यहाँ कोई स्थान नहीं होता।

2. पिरामिड स्कीम -पोंज़ी स्कीम की भांति पिरामिड स्कीम भी एक प्रकार की गैर-क़ानूनी स्कीम (योजना) है।

- जहाँ एक पोंज़ी स्कीम में प्रतिभागियों को यह विश्वास होता है कि उनका रिटर्न उन्हें किसी परिसंपत्ति से प्राप्त हो रहा है, जबकि एक पिरामिड स्कीम में भाग लेने वालों को यह अच्छी तरह पता होता है कि वे नए निवेशकों को ढूँढने के बदले पैसा कमाते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **सामूहिक निवेश योजना विनियमन** (Collective Investment Schemes regulation), निवेशक से पैसा की उगाही करने वाली (पूल करने वाली) सभी स्कीम (योजनाओं) की निगरानी करने के लिए SEBI को व्यापक अधिकार देता है।
- RBI ने बैंकों को मार्केट एजेंसी और रिटेल ट्रेडर्स आदि जैसे छद्म नामों के रूप में खोले गए खातों की त्वरित समीक्षा करने की सलाह दी है।
- RBI समय-समय पर राज्य सरकारों को प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 पर और उचित कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील करता रहता है।

- जांच एजेंसियों द्वारा धोखाधड़ी करने वालों की पहचान में मदद करने के लिए SEBI की **'डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन्स 2016' (प्रत्यक्ष बिक्री दिशानिर्देश, 2016)** स्पष्ट रूप से **मनी सर्कुलेशन स्कीम** और **डायरेक्ट सेलिंग को परिभाषित** करता है।

डायरेक्ट सेलिंग एंड मनी सर्कुलेशन गाइडलाइन्स 2016

- यह इन गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को एजेंटों से किसी भी प्रकार के प्रवेश शुल्क लेने से रोकता है।
- इसने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए प्रावधान भी किया है।
- यह भ्रामक और भ्रान्तिजनक या अनुचित भर्ती से संबंधित परिपाटी का उपयोग करने से ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाता है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- निवेशकों की वित्तीय साक्षरता में सुधार लाना।
- बहु विनियमन की समस्याओं को हल करना।
- नियामक के साथ इस तरह की स्कीम (योजनाओं) के गैर-पंजीकरण की स्थिति में इनपर भारी जुर्माना आरोपित करना।
- इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक समन्वित प्रयास किए जाने और साथ ही दोनों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है ।

निष्कर्ष

- इस तरह की बचत और निवेश योजनाओं का मूल उद्देश्य छल-कपट और चालाकी से निवेशकों को धोखा देना होता है। इसलिए, ऐसी योजनाओं के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाले वित्तीय नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए आपूर्ति पक्ष की समस्याओं जैसे- विनियमन की जटिलता को दूर करना, के साथ-साथ मांग पक्ष की समस्याओं जैसे- गरीबों को जागरूक बनाना (अर्थात- वित्तीय साक्षरता); के समाधान की आवश्यकता है।

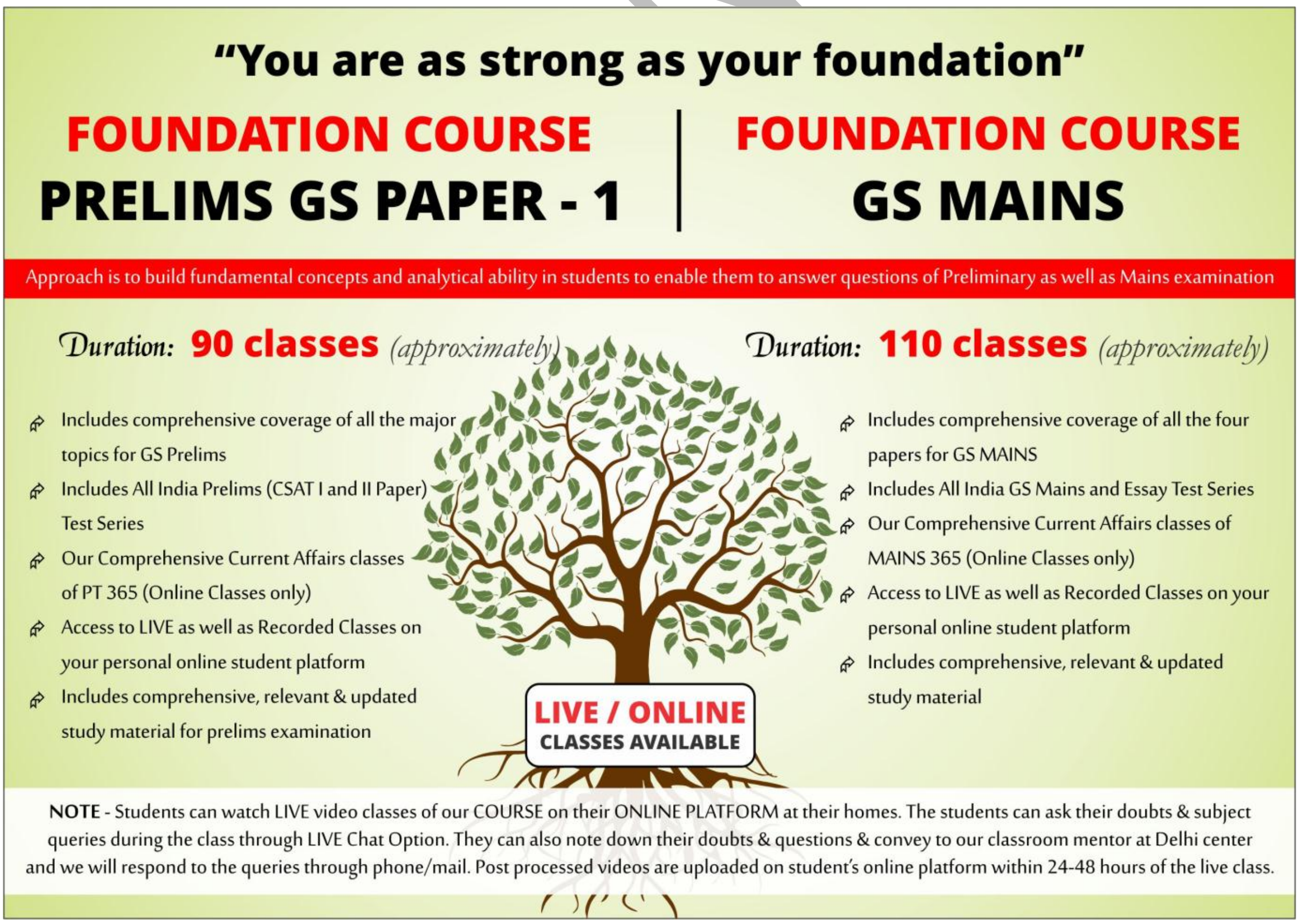

5. सरकारी बजट

(GOVERNMENT BUDGETING)

5.1. बजट सुधार

(Budgetary Reforms)

5.1.1. रेल बजट ख़त्म ?

(Railway Budget Scrapped ?)

विवेक कमिटी के सुझावों के आधार पर इस वित्तीय वर्ष से एक अलग रेल बजट प्रस्तुत किये जाने की 92 वर्ष पुरानी परंपरा समाप्त कर दी गई। वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रेल मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, इसे आम बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय बजट एक संवैधानिक आवश्यकता है और इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है जबकि रेल बजट के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इसके निहितार्थ क्या हैं?

- विलय के बाद, यात्री किराया बढ़ाने का निर्णय वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा।
- विलय के बाद भारतीय रेलवे को, हर साल सरकार की ओर से प्रदत्त सकल बजटीय समर्थन के एवज में दिए जाने वाले, वार्षिक लाभांश के भुगतान से छुटकारा मिल जाएगा।

5.1.2. बजट की तारीख के लिए एडवांसमेंट

(Advancement Of Budget Date)

बजट प्रस्तुतीकरण की तिथि को एक माह पूर्व करते हुए, इसे फरवरी माह के अंतिम दिन पेश किये जाने की परम्परा को परिवर्तित कर दिया गया।

लाभ

- विधायी परिवर्तन के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत से नए कराधान उपायों के लिए कानून बनाए जा सकेंगे।
- इस विलय के कारण 'लेखानुदान' के माध्यम से विनियोग की मांग की आवश्यकता पर अंकुश लगेगा।
- यह राज्यों को उनके अपने राज्य के बजटों के साथ धन के हस्तांतरण को सिंक्रोनाइज़ करेगा (अर्थात् उन्हें समकालिक बनाएगा)।
- यह कदम बजट चक्र को जल्दी पूर्ण करने में सहायक होगा। इसके द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही विविध मंत्रालय और विभाग बेहतर ढंग से सरकारी योजनाओं की योजना बना सकेंगे तथा निष्पादन सुनिश्चित कर पाएंगे।

5.1.3. योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण का विलय

(Merger Of Plan And Non-Plan Classification)

- बजट घोषणा में योजना और गैर-योजना व्यय के विभेदन को समाप्त कर दिया गया है।
- पहले योजना व्यय निर्धारित करने में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी।
- **योजनागत व्यय -** केंद्र सरकार के वर्तमान (पंचवर्षीय) योजना प्रस्तावों के तहत निर्धारित कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन अथवा राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा आवंटित धन से सम्बंधित व्यय को योजनागत व्यय कहा जाता है।
- **गैर योजना व्यय -** यह सरकार के एक वर्ष के नियमित कामकाज के लिए बजट में आवंटित अनुमानित व्यय को दर्शाता है। सरकार के योजनागत व्यय के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के व्यय, गैर-योजनगत व्यय होते हैं।

- **व्यय** की योजनागत/गैर-योजनागत विभाजन ने विभिन्न योजनाओं के लिए संसाधनों के आवंटन के एक खंडित दृष्टिकोण को प्रेरित किया जिससे न केवल एक सेवा की डिलीवरी की लागत का पता लगाना मुश्किल हो गया अपितु इसके आउटकम (परिणामों) को इसके परिव्यय से संबद्ध करना भी एक कठिन कार्य बन गया।
- केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों की ओर से भी योजनागत व्यय के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये ने परिससंपत्ति के रखरखाव और अन्य संस्थानों पर होने वाले व आवश्यक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने से संबंधित व्ययों को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित किया है।
- यह प्रणाली पिछले प्रतिबद्धताओं और आवश्यकताओं तथा प्लान बजट के लिए अवशिष्ट संसाधनों के आवंटन पर आधारित है। इससे प्लान बजट के भीतर फंड आवंटन में होने वाले लचीलेपन में कमी आई है।

5.2. जेंडर रिस्पान्सिव बजटिंग (लिंग उत्तरदायी बजट) / जेंडर बजटिंग

(Gender Responsive Budgeting/Gender Budgeting)

जेंडर रिस्पान्सिव बजटिंग (GRB) वस्तुतः नीति निर्माण (राजकोषीय नीति) तथा संसाधनों के आवंटन के व्यवहारों को इस तरह प्रदर्शित करता है कि जिससे यह जेंडर (लिंग) के एजेंडे को प्रोत्साहित करे और पुरुषों के समान ही महिलाओं को लाभ पहुँचाए।

पृष्ठभूमि

भारत में 2005 में ही GRB को संस्थागत रूप दिया गया। वार्षिक बजट में एक जेंडर बजट जारी किया जाता है जिसके दो भाग होते हैं:

- **भाग 'क' (पहले भाग) में "महिला विशिष्ट योजनाएं" (women specific schemes)** होती हैं अर्थात वैसी योजनाएं जिनमें महिलाओं के लिए 100% फंड आवंटन किया जाता है।
- भाग 'ख' (दूसरे भाग) में **"महिला केंद्रित योजनाएं" (Pro women schemes)** होती हैं, अर्थात वैसी योजनाएं जिनमें महिलाओं के लिए कम-से-कम 30% फंड आवंटन किया जाता है।

GRB की आवश्यकता क्यों?

पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों (SGDs-5) दोनों के तहत लैंगिक समानता को प्रमुख उद्देश्य के रूप में चिन्हित किया गया है।

- भारत में महिलाएं और बालिकाएं लिंग आधारित प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करती हैं जिसके कारण वे बहुत कम लाभ प्राप्त कर पाती हैं।
- उचित लैंगिक विश्लेषण के बिना, दोषपूर्ण डिजाइन या कार्यान्वयन के चलते विभिन्न योजनाएं पितृसत्तात्मक मानसिकता को मजबूत कर सकती हैं।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसरों आदि जैसे कई सामाजिक संकेतकों पर महिलाएं, पुरुषों से काफी पीछे हैं।
- भारत, विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF) की वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2016 में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता के मामले में 87वें स्थान पर था।

चुनौतियां

- श्रम बल में महिलाओं की घटती भागीदारी, संसद में अल्प-प्रतिनिधित्व, घटता शिशु लिंगानुपात और लिंग आधारित हिंसा इस संदर्भ में प्रमुख चुनौतियां हैं।
- केंद्रीय बजट के अनुपात के रूप में लिंग बजट का अनुपात या तो स्थिर है या घटा है।

अनुशंसाएँ

- सिर्फ महिला केंद्रित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए, सभी योजनाओं के लिए जेंडर-एनालिसिस (लिंग-विश्लेषण) का कार्य किया जाना चाहिए। प्रशासनिक और नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए।
- GRB को न सिर्फ सामाजिक क्षेत्रकों में अपितु सड़क, परिवहन, ऊर्जा, और प्रौद्योगिकी जैसे पारंपरिक अविभाज्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए।

6. राजकोषीय प्रबंधन

(FISCAL MANAGEMENT)

6.1. वित्तीय विकास

(Fiscal Developments)

वित्तीय समेकन: वर्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जो वर्ष 2015 -2016 में निर्धारित किये गए लक्ष्य 3.9% से, कम है।निर्धारित लक्ष्य को सकल कर राजस्व (2015-16 से) में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि,गैर-कर राजस्व में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी तथा गैर-ऋण पूंजी गत प्राप्तियों में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा ।

कर संग्रह :समग्र रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर संग्रह में नवंबर 2016 तक उत्साहजनक परिणाम रहे हैं।

राजस्व व्यय: वेतन संबंधी व्यय में 23.2% की बढ़ोतरी के कारण राजस्व व्यय बहुत अधिक रहा है (7 वां वेतन आयोग), सब्सिडी में चार गुना बढ़ोतरी (विस्तारित खाद्य सुरक्षा) हुई है और राज्य सरकारों को परिसंपत्ति निर्माण हेतु दिए जाने वाले अनुदान में भी वृद्धि हुई है।

देयताएं : केंद्र सरकार की कुल बकाया देयताओ में बाहरी ऋण, आंतरिक ऋण और अन्य आंतरिक देनदारियों जैसे कि भविष्य निधि, लघु बचत आदि सम्मिलित होते है।

6.2. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ

(Public Debt Management Cell: PDMC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC) स्थापना की है। इसे लगभग दो सालों में एक वैधानिक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) के रूप में विकसित किया जाएगा।

PMDC के मुख्य कार्य

- RBI के वैधानिक कार्यों से संघर्ष को टालने के लिए इसका कार्य केवल परामर्श प्रदान करना होगा। यह सरकारी उधार की योजना निर्मित करेगा और साथ ही साथ इसकी देनदारियों का प्रबंधन करेगा।
- इसके अतिरिक्त यह नकदी शेष का अनुवीक्षण करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए तरल एवं दक्ष बाजार को सुपोषित करेगा एवं सरकार को निवेश, पूँजी बाजार संचालनों, लघु बचतों पर ब्याज दरों को नियत करने इत्यादि मामलों पर परामर्श देगा।
- यह सरकार की सभी देयताओं के लिए वास्तविक समय (रियल टाइम) आधार पर केन्द्रीकृत डेटाबेस के रूप में एकीकृत ऋण डेटाबेस तंत्र (IDMS) का विकास करेगा एवं PDMA के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य सम्पन्न करेगा।

PDMA के संबंध में

- PDMA, प्रस्तावित विशिष्ट स्वतंत्र एजेंसी है जो समग्रतावादी दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार की आंतरिक और बाहरी देयताओं का प्रबंधन करेगी।
- सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि 2 वर्ष के भीतर PDMA का गठन किया जाएगा।

PDMA की आवश्यकता:

- आतंरिक ऋण और बाहरी ऋण का प्रबंधन क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक एवं केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। एक ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना से ऋण प्रबंधन के सभी कार्यों को एक एजेंसी में समेकित किया जाएगा तथा आंतरिक एवं बाह्य देयताओं का समग्र रूप से प्रबंधन संभव हो सकेगा।
- अल्पावधि ब्याज दर नियत करने (अर्थात मौद्रिक नीति का कार्य) एवं सरकार के बांड की बिक्री करने की भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी में गंभीर हित-संघर्ष समाविष्ट है।
- एक प्रभावी ऋण प्रबंधक के रूप में RBI का कार्य उच्च कीमतों पर बांड की बिक्री करना हो सकता है, अर्थात ब्याज दरों को कम रखना। इस प्रकार यह मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है।

VISION IAS

- सरकार के ऋण का प्रबंधन, बैंकों का विनियमन और मौद्रिक नीति सभी परस्पर संबद्ध हैं जिसे PDMA जैसी एजेंसी द्वारा बेहतर रूप से समन्वित किया जा सकता है।
- सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए कोई भी एजेंसी नकद एवं निवेश प्रबंधन का कार्य नहीं करती है, अनुषंगी एवं अन्य देयताओं के संबंध में सूचनाएँ समन्वित नहीं हैं। इसका ध्यान PDMA द्वारा रखा जाएगा।

6.3. FRBM की समीक्षा के लिए गठित समिति

(FRBM Review Committee)

NK सिंह की अध्यक्षता में भविष्य के FRBM रोडमैप पर अनुशंसाएं करने के लिए गठित FRBM समीक्षा समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पृष्ठभूमि

- संविधान के अनुच्छेद 268 के अंतर्गत सरकार द्वारा उधार लेने के अधिकार को सीमित करने के लिए FRBM कानून (2003) बनाया गया था।
- FRBM कानून ने 2008-09 तक GDP के 3% के बराबर राजकोषीय घाटे को लाने की परिकल्पना की थी, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट और पिछले कुछ वर्षों के दौरान संशोधनों के कारण यही लक्ष्य अब 2017-18 तक निर्धारित किया गया है।
- सरकार ने 2017-18 में GDP के 3.2% के बराबर राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है।

इस समिति की सिफारिशें

- 2019-20 तक GDP के अनुपात के 3% के बराबर राजकोषीय घाटा बनाए रखते हुए राजकोषीय समेकन (उदाहरण के लिए निकट अवधि के लिए वित्तीय विस्तार अपनाना) के संदर्भ में केंद्र सरकार के लिए नम्यता प्रदान की गयी है। इसके बाद, यह समिति राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में कमी की अनुशंसा करता है (बाक्स देखें)।
- समिति ने एक एस्केप क्लॉज़ की अनुशंसा की है, जिसके अंतर्गत सरकार को किसी विशेष वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य छोड़ने की अनुमति दी गयी है। (बॉक्स देखें)
- वर्तमान FRBM अधिनियम रद्द कर दिया जाना चाहिए और एक नया ऋण और राजकोषीय दायित्व अधिनियम (Debt and Fiscal Responsibility Act) अंगीकृत किया जाना चाहिए।

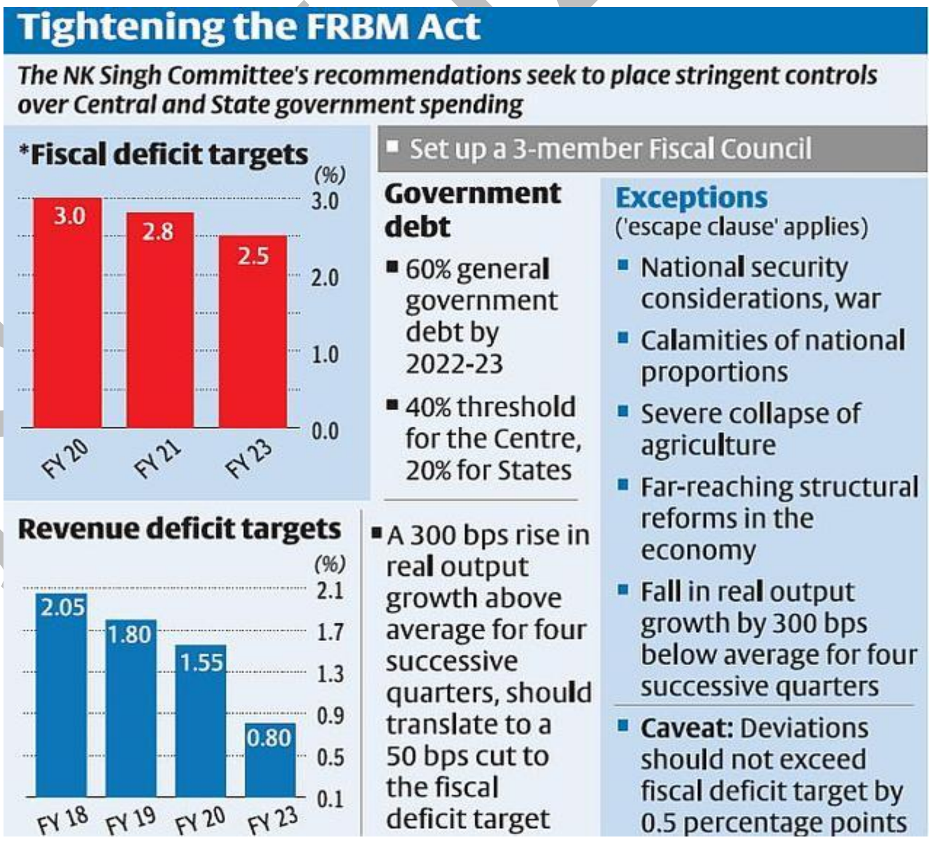

- इसने एक वित्तीय परिषद (Fiscal Council) के गठन का भी सुझाव दिया है जो:
  - केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बहु-वर्षीय वित्तीय पूर्वानुमान तैयार करेगी।
  - केंद्र सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करेगी।
  - एस्केप क्लॉज़ रद्द करने से पहले सरकार को परिषद से अवश्य परामर्श करना चाहिए।

VISION IAS

- राजकोषीय और राजस्व घाटे की संख्याओं की बजाय, सरकार को 2023 तक GDP के अनुपात के रूप में 60% (वर्तमान में 68%) तक सार्वजनिक ऋण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह दिवालिएपन का सरल पैमाना है, जिसका रेटिंग एजेंसियों द्वारा भी उपयोग किया जाता है।
- FRBMके अंदर राजकोषीय और राजस्व घाटे के लिए वर्ष दर वर्ष लक्ष्यों के अतिरिक्त ऋण सीमा (दीर्घकालिक वित्तीय एंकर के रूप में कार्य करना) की स्थापना करना।

6.4. राज्यों का राजकोषीय समेकन

(Fiscal Consolidation of States)

11 वर्षों में पहली बार 2015-16 में भारत के 29 राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार के अनुपात में, कई वित्त आयोगों द्वारा अनुमोदित 3% की सीमा को पार कर गया (चित्र देखें)।

पृष्ठभूमि

- 1991 के आर्थिक सुधारों के समय उत्पन्न हुई इस समस्या का कारण 80 के दशक के उतरार्द्ध में ऋण के रूप में ली गयी राशि का अतार्किक सार्वजनिक व्यय था। अतः अनुच्छेद 268 के तहत ऋण अधिकारों को सीमित करने हेतु सरकार ने 2003 में FRBM कानून को अधिनियमित किया।
- इस वर्ष केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के 3.2% तक जबकि राज्यों का राजकोषीय घाटा 2.6% तक आने की उम्मीद की गयी है।
- सरकार द्वारा 2017-18 में राजकोषीय घाटे को GDP के 3.2% तक सीमित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
- हाल ही में, राजकोषीय समेकन पर गठित एन.के.सिंह पैनल ने सरकार के राजकोषीय घाटे के नवीनतम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं 2022-23 तक राज्यों में 20% ऋण-GDP अनुपात प्राप्त करने के साथ-साथ सरकार के सम्पूर्ण ऋण पर ध्यान केन्द्रित करने की सिफारिश की है।

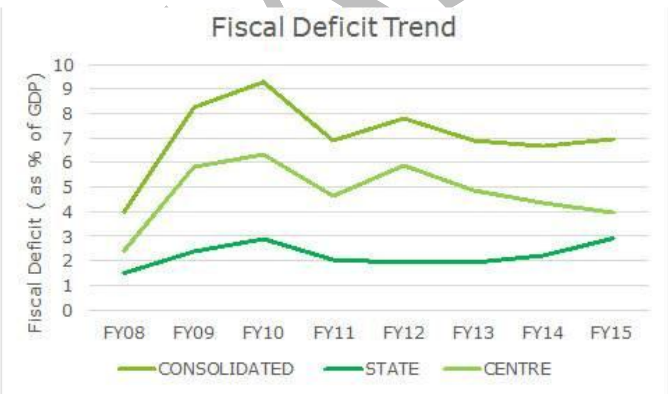

(Source: RBI)

कमजोर समेकन का कारण

- राज्यों के कर्ज में अचानक वृद्धि का कारण डिस्कॉम्स के लिए उदय योजना का लागू किया जाना है।
- इसके अलावा, 'क्राउडिंग आउट'' अवधारणा के कारण निजी निवेश में भी अत्यधिक कमी आई है तथा राज्य सरकारें ही परिवहन, सिंचाई, बिजली आदि क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश का प्रमुख स्रोत बन गई हैं।

चुनौतियाँ

- वेतन आयोगों द्वारा सुझाई गयी वृद्धि, बढ़ता ब्याज भुगतान, तदर्थ ऋण छूट जैसी चुनौतियाँ राज्यों के वित्तीय व्यय को तात्कालिक रूप से और दीर्घकाल में प्रभावित करेंगी।
- यह मामला चिंता का एक कारण है क्योंकि वैश्विक स्तर पर पूंजी प्रवाह को निर्धारित करने में 'सॉवरेन रेटिंग' एक महत्वपूर्ण कारक होता है।

आगे की राह

- सिर्फ केंद्र ही नहीं, अपितु राज्यों (जिनका बकाया देनदारी-GDP अनुपात 24% के आस-पास है) को भी अपने वित्तीय बजट को नवाचारों के माध्यम से सीमित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में REITs जैसे साधनों से वित्तीय राजस्व में सुधार और अनावश्यक सब्सिडी को कम कर वित्तीय व्यय को कम करने जैसे प्रयास किये जाने चाहिए।
- राज्य के स्तर पर भी माइक्रो लेवल पर सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की दक्षता पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि विकास उद्देश्यों से समझौता किये बिना व्यय को कम किया जा सके।

VISION IAS

6.5. वित्त विधेयक 2017

(Finance Bill 2017)

बजट में घोषित सरकार के कर प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए लोकसभा ने वित्त विधेयक 2017 पर हस्ताक्षर कर दिए।

प्रस्तावित प्रमुख बदलाव

काला धन रोधी

- **पैन और आयकर के साथ आधार को जोड़ना:** 1 जुलाई, 2017 के बाद आधार नंबर का उल्लेख अनिवार्य कर दिया गया है, यह निम्न स्थितियों में लागू होगा : (i) किसी पैन के लिए आवेदन करना हो , या (ii) आयकर रिटर्न दाखिल करना। इससे टैक्स चोरी के लिए एक व्यक्ति द्वारा कई पैन रखने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
- **नकद लेन-देन की सीमा को कम करना** :
    - निम्न दशाओं में 2 लाख से अधिक नकद लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी:
    - एक दिन में एक ही व्यक्ति को, (ii) एकल लेनदेन के लिए (भुगतानों की संख्या के बावजूद), और (iii) एकल घटना से सम्बंधित किसी किसी भी लेनदेन के लिए।
    - पहले बजट में प्रस्तावित यह सीमा 3 लाख थी। यह सभी उच्च मूल्य वाले लेनदेन के लिए एक पेपर निशान (paper trail) सुनिश्चित करेगा।
- **राजनैतिक फंडिंग को व्यवस्थित करना:**
    - राजनीतिक दलों को अंशदान केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक साधनों या सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य योजना के माध्यम से किया जाना चाहिए।
    - विधेयक में राजनीतिक दलों को अंशदान करने के लिए चुनावी बांड (electoral bonds) के शुरुआत के प्रावधान भी शामिल हैं।
    - यह निम्न को हटाता है: (i) अंतिम तीन वित्तीय वर्षों के निवल लाभ के 7.5% की सीमा, जो कंपनी राजनीतिक दलों के लिए अंशदान कर सकती है, (ii) उस प्रावधान को जिसमे एक कंपनी को उस राजनीतिक दल के नाम का खुलासा करने की आवश्यकता होती है जिसको उसने अंशदान दिया है।

ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए

- आठ अधिकरणों को समाप्त कर उनके कार्यों को निवर्तमान अन्य अधिकरणों में हस्तांतरित किया जाएगा। इससे अतिरिक्त इन अधिकरणों के न्यायाधीशों के लिए वेतन समता (pay parity) का प्रावधान किया गया है। इससे इन अर्ध-न्यायिक निकायों में पर्याप्त कर्मचारी होंगे जिससे मामलों का तीव्र निपटान सुनिश्चित हो सकेगा।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के कराधान पर अस्पष्टता समाप्त होगी ।

कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर

- केंद्रीय बैंक के भीतर भुगतान नियामक की स्थापना कि जाएगी । भुगतान संग्रह के डिजिटल मोड का उपयोग करके पॉइंट ऑफ़ सेल निर्माताओं और छोटे व्यवसाय के लिए कर राहत।

अधिकारियों द्वारा जुर्माना लगाने की शक्ति: सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन)एक्ट, 1956 और डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 को संशोधित करते हुए न्यायिक अधिकारी को सूचना, दस्तावेज या रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता सहित विभिन्न अपराधों के लिए अपराधियों पर दंड लगाने के लिए सक्षम बनाया गया है। वित्त विधेयक, 2017 में संशोधन यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि निर्णय अधिकारी के पास हमेशा यह शक्ति विद्यमान मानी जाएगी ।

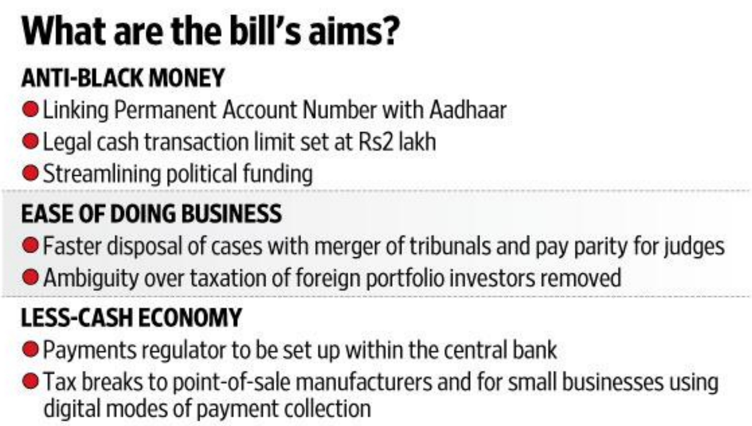
What are the bill's aims?

ANTI-BLACK MONEY
- Linking Permanent Account Number with Aadhaar
- Legal cash transaction limit set at Rs2 lakh
- Streamlining political funding

EASE OF DOING BUSINESS
- Faster disposal of cases with merger of tribunals and pay parity for judges
- Ambiguity over taxation of foreign portfolio investors removed

LESS-CASH ECONOMY
- Payments regulator to be set up within the central bank
- Tax breaks to point-of-sale manufacturers and for small businesses using digital modes of payment collection

VISION IAS

7. कराधान

(TAXATION)

7.1. वस्तु और सेवा कर

(Goods And Services Tax)

सुर्खियों में क्यों?

- 1 जुलाई से GST व्यवस्था प्रभाव में आ गयी है।
- इससे पहले, GST परिषद ने लगभग सभी कर योग्य उत्पादों और सेवाओं पर लगाये जाने वाले कर की दरों को अंतिम रूप दिया। परिषद ने सभी राज्यों को इसके लिए सहमत किया तथा GST से सम्बन्धित पांच विधेयको का प्रारूप तैयार किया।
- संसद ने GST से सम्बन्धित 4 विधेयक पारित किये हैं, जिन्हें पूरे भारत में लागू किया जाना है- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) विधेयक, 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) विधेयक, 2017, संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (UGST) विधेयक, 2017 और GST (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017 ।राज्य GST विधेयक, 2017 के प्रारूप को सभी राज्यों को भेजा गया था। जम्मू-कश्मीर सहित सभी राज्यों ने राज्य GST विधेयक को पारित कर दिया है।

GST कार्यान्वयन तंत्र :

GST परिषद

- GST से सम्बन्धित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए धारा 279A के तहत एक संवैधानिक संस्था का प्रावधान किया गया है।
- इसके निम्नलिखित सदस्य हैं:
  - केन्द्रीय वित्त मंत्री–अध्यक्ष
  - वित्त तथा राजस्व के प्रभारी, केंन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री,
  - राज्यों में वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।

GSTN (GST नेटवर्क)

- यह एक गैर-सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, जो लाभ पर आधारित नहीं है, जिसे मुख्य रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को GST कार्यान्वयन के लिए IT अवसरंचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- इसके तीन प्रमुख कार्यों में सम्मलित हैं:
  - पंजीकरण
  - कर भुगतान–97% भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है।
  - रिटर्न फाइल करना।

पृष्ठभूमि

- 2004 में विजय केलकर ने अप्रत्यक्ष कर ढांचे के स्थान पर GST लगाने की संस्तुति की थी।
- 2011 में, एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वह राज्यों को क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर सम्मति ना बन पाने के कारण पारित नहीं हो पाया।
- हाल ही में, GST की अधिकतम सीमा, क्षतिपूर्ति और GST परिषद की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों का समाधान कर दिया गया है।
- बाद में, GST की चार स्तरीय सरंचना अपनाने का निर्णय लिया गया।5% (मूलभूत आवश्यकताएं), 12%, 18% और 28% (विलासिता के सामान पर)।

- हाल ही में सरकार ने GST के अंतर्गत **रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म** का विवरण दिया है, जिसमें, यदि किसी अपंजीकृत व्यक्ति से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जाती हैं तो कर भुगतान करने का दायित्व, आपूर्तिकर्ता के स्थान पर प्राप्तकर्ता पर है। GST परिषद ने **रिवर्स चार्ज के लिए सेवाओं की 12 श्रेणियों को निर्दिष्ट किया है,** जिनमें रेडियो टैक्सी, व्यक्तिगत अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की फर्म आदि की सेवाएं सम्मलित हैं।

महत्त्व

- GST में **केन्द्रीय सरकार के सभी अप्रत्यक्ष लेवी** जैसे, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क, अधिभार और सेस और **राज्य सरकार की अप्रत्यक्ष लेवी** जैसे VAT, प्रवेश कर आदि का विलय हो जायेगा।
  - पहले भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था कई स्तरों पर विद्यमान थी। केन्द्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर विभिन्न क्षेत्राधिकार , विभिन्न दरों वाली विखंडित व्यवस्था विद्यमान थी। इस व्यवस्था में सुगम व्यापार के मार्ग में कई टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाए मौजूद थी ।
- सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन
- GST प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था है इसलिए इसके प्रभाव में आने के पश्चात **ह्यूमन इंटरफ़ेस कम हो जायेगा, जिससे शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं।**
- इसके द्वारा **कर के आधार में विस्तार होने से राजस्व में वृद्धि होगी।वर्तमान में** 120 करोड़ जनसंख्या में से केवल 80 लाख लोग ही उत्पाद एवं सीमा शुल्क के भुगतान हेतु पंजीकृत हैं।
- करों के प्रभावी न्यूट्रलाइज़ेशन से, विशेषरूप से निर्यात के सन्दर्भ में ,अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे उत्पाद और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे ।

GST के लाभ:

विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव:

- **बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र: अब तक** इन सेवाओं पर 14.5% कर लगाया जाता था, वहीं GST व्यवस्था में 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की दर होने की सम्भावना है। अतः इन सेवाओं के महंगे होने की सम्भावना है।
- **रियल एस्टेट**: पारदर्शिता और अधिक प्रभावी ट्रांसैक्शन ट्रेकिंग के उपायों से, प्रावधानों में व्याप्त अस्पष्टता को दूर किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विविध करों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाले विवाद कम हो जायेंगे। इससे कर चोरी में भी कमी आएगी।
- **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र**: घरेलू उत्पादकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले इनवर्टेड कर ढांचे से उत्पन्न प्रमुख चिन्ताओं का समाधान GST द्वारा या तो उन्हें समाप्त करने या जमा किये गये क्रेडिट का रिफंड मिलने से हो जाएगा ।
- **कृषि**: कर संरचना के तार्किक स्वरुप ग्रहण करने से कुछ विकृत मंडी करों और अन्य उपकर को समाप्त हो जाएंगे तथा खाद्य सब्सिडी पर होने वाले व्यय में कमी आएगी ,सुगम अन्तर्राज्यीय आवागमन संभव होने जैसे विविध प्रभाव पड़ेंगे। हालाँकि उच्चतर दरों के कारण राज्यों के कर राजस्व और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

- **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार:** यह "एक देश, एक कर, एक बाजार" की दिशा में एक कदम है, जो अपेक्षाकृत स्थिर कर व्यवस्था का निर्माण करता है।इसके माध्यम से विदेशी निवेश और मेक-इन-इण्डिया को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव–**GDP में 1.5 से 2% वृद्धि का अनुमान है।वर्तमान व्यवस्था की तुलना में अधिकांश करों को समाप्त किये जाने और साथ ही दरों को कम किये जाने के कारण मुद्रास्फीति की दर कम होगी।
- **कैस्केडिंग (सोपानी) प्रभाव समाप्त:**GST से कैस्केडिंग प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा क्योकि यह डेस्टिनेशन बेस्ड कंज़म्पशन टैक्स है।द्रष्टव्य है कि आपूर्ति के सभी स्तरों पर वस्तु और सेवाओं के सन्दर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगी ।

- **व्यापार करने में सुगमता:**कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों में समन्वय स्थापित हो पौएगा । इससे अनुपालन वातावरण में सुधार होगा क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन भरे जाएँगे। इनपुट क्रेडिट ऑनलाइन वेरीफाई किए जाएंगे।अतः विभिन्न कर अधिकारीयों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। यह केवल 'इन्वोएस खरीद ' प्रवृत्ति को हतोत्साहित करेगा।
- **कर चोरी में कमी:** एक समान SGST और IGST के विधायन से कर चोरी समाप्त हो जाएगी क्योंकि:
  - **'रेट आर्बिट्राज' व्यवस्था की समाप्ति** एकीकृत GST के लागू होने से राज्य के अन्दर और बाहर करों की समान दर होगी ।
- **'सेल्फ पोलिसिंग ' विशेषता क्योंकि** किसी वस्तु या सेवा में मूल्य संवर्धन(value added) पर ही कर लगेगा।
- **अनुपालन लागत में कमी,** सरलीकरण के कारण विभिन्न करों के लिए विविध रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। GST व्यवस्था में 17 विभिन्न कर और उपकरों को एक ही कर में विलय कर दिया गया है।
- **उपभोक्ता पर प्रभाव-** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित कुल वस्तुओं की लगभग आधी वस्तुओं पर कर की दरें शून्य होगी , जिससे उपभोक्ताओं पर बिना किसी बोझ के उन्हें GST श्रृंखला का भाग बनाया जा सकेगा।

चुनौतियाँ:

- **डिजिटल अवसरंचना –** सम्पूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और यथाचित भुगतान की सुविधा हेतु आवश्यक डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बैंडविड्थ की उपलब्धता।
- **डाटा की गोपनीयता –**GSTN के 51% पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण है।इस प्रकार भारत के व्यपार और वित्त से संबंधित डेटा का नियंत्रण निजी कंपनी के हाथों में होगा । अतः बिना पर्याप्त डाटा सुरक्षा उपायों के भारत की वित्तीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- **संसदीय और विधायी स्वायतता का मुद्दा:**GST परिषद (एक कार्यकारी निकाय) उपस्थित और मतदान करने वालों के कम से कम (कुल मतदान का प्रभाव, केंद्र सरकार 33% और राज्यों में 66%) तीन चौथाई मतों से ही किसी प्रावधान को पारित करेगी ।
- **संघवाद:**राज्य 'करारोपण की स्वायत्तता' जैसी अपनी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति को छोड़ रहे हैं । राज्य अब व्यक्तिगत रूप से अपने करों में बदलाव करने में सक्षम नहीं होंगे । क्योंकि, वर्तमान व्यवस्था (जिसमे केंद्र और राज्य दोनों के पास अनुच्छेद 246 (A) के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति है) के विपरीत अब केंद्र और राज्यों को मिल कर कार्य करना होगा जो स्वयं इस क्षेत्र में एक चुनौती है।
- **स्थानीय शहरी निकायों** को एक भारी राजकोषीय अंतराल से निपटना होगा क्योंकि GST व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय कर, चुंगी और अन्य प्रवेश कर समाप्त हो जायेंगे।
- **अपवर्जन और भिन्न दरों की सूची –**पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, पेट्रोल, विमान टरबाइन इंधन, मदिरा आदि को GST से बाहर रखे जाने तथा चार GST की चार दरें एक देश, एक कर के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं।
- **बढ़े हुए करों के कारण दबाव –** वर्तमान के 1.5 करोड़ रूपये के विपरीत 10 लाख रूपये से कम का व्यवसाय करने वाली छोटी कम्पनियों को भी GST का भुगतान करना होगा। यहाँ तक कि असंगठित क्षेत्र, जो सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है, उसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढत घट सकती है। उन्हें लाभदायक बने रहने के लिए मूल्य बढ़ाने पड़ सकते हैं।
- **उपभोक्ताओं के लिए –**कम करों के कारण घटी हुई कीमतों का लाभ उन तक नहीं पहुंच पायेगा। इसके अतिरिक्त, कुछ लोग GST को एक प्रतिगामी कर व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यह सभी उत्पादों के करों को लगभग बराबर ही कर देगा जिसका अर्थ होगा कि धनिक विलासिता के समान और सेवाओं पर कम कर देंगे और निर्धन मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक कर अदा करेंगे ।

VISION IAS

चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाये गये कदम:

- **छोटे व्यवसायों के लिए छूटः** पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में वार्षिक रूप से 10 लाख रूपये से कम व्यवसाय करने वाले व्यवसायी GST से बाहर रहेंगे वहीं शेष भारत में इस छूट की सीमा वार्षिक 20 लाख रूपये होगी।
- **मुनाफाखोरी विरोधी कानूनः** धारा 171 के अनुसार – यदि व्यापारी आदि इनपुट कर का क्रेडिट ले रहे हैं तो उन्हें यह लाभ उपभोक्ता को देना होगा।
- **GST पंजीकरण संख्याः** लोगों को अभ्यस्त बनाने के लिए प्रोविजनल आई डी और 90 दिन का समय प्रदान किया गया है।
- **अनिवार्य पंजीकरण:** अब करों से बचा नहीं जा सकता क्योंकि यदि कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो उसे GST व्यवस्था में आना ही पड़ेगा। 'E-way bill' व्यवस्था के अंतर्गत 10 किमी से अधिक दूरी तथा 50,000 रुपये से अधिक लागत वाली वस्तुओं की आवजाही होगी, वहां ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक है।
- **संचार और जागरूकता कार्यक्रमः** इसके लिए सरकारी कार्यालयों में सुविधा केंद्र और अनेक मार्गदर्शक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।
- **GST सुविधा प्रदाता (GST suvidha providers - GSP)** –GSTN ने GST व्यवस्था के अनुपालन हेतु करदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए नवीन और सुविधाजनक तरीके प्रदान करने के लिए 34 GSPs का चयन किया है। यह GST के अंतर्गत कर प्रशासन की प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहायता करेंगे।

आगे की राह

- GST लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को कई लाभ प्राप्त होंगे। सरकार को डेटा गोपनीयता जैसे अवरोधों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और दीर्घावधि में GST से बाहर रखे गए उत्पादों की सूची को भी सीमित करना चाहिए।
- प्रगतिशील और कदम-दर-कदम परिवर्तन, एकाधिक कर दरों के कारण भले ही GST एक सरल व्यवस्था ना हो तथा उचित प्रशासनिक अनुपालन और विकृत लागत इसके लाभों को समाप्त कर दे । फिर भी वर्तमान व्यवस्था पहली व्यवस्था से बेहतर है। वर्तमान व्यवस्था के दोषों को शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाना चाहिए।
- राजस्व हानि के डर से करों की दर कम रखने के जोखिम से बचने का प्रयास किया है। जब तक अर्थव्यवस्था में तीव्र बदलाव न आए तब तक इस रुख में जल्दी परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए GST परिषद को दरों की समीक्षा के लिए जितनी बार सम्भव हो इस बारे में विमर्श करते रहना चाहिए ताकि देश को विकसित देशों के समकक्ष खड़ा किया जा सके।
- प्राथमिकता पर, सरकार द्वारा छोटे कम सम्पन्न हितधारकों, जैसे लघु उद्योग और खुदरा विक्रेताओं की क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है।

यद्यपि, अल्पावधि में कुछ चुनौतियाँ हो सकती है, परन्तु दीर्घावधि में प्राप्त लाभ उन सब की भरपाई कर देंगे । बढ़े हुए कर अनुपालन से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति तथा देश का विकास हो सकता है। रियल टाइम डेटा की उपलब्धता से वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों को बेहतर बनाया जा सकता है।

7.2. कर आतंकवाद

(Tax Terrorism)

- वित्त विधेयक 2017 में यह प्रावधान किया गया है कि **कर अधिकारियों को तलाशी और परीक्षण अभियानों का संचालन करने के लिए *'रीज़न टू बिलीव'* को प्रकट करना अनिवार्य नहीं है।** वित्त विधेयक में इस प्रावधान को शामिल किया जाना, '*कर आतंकवाद (टैक्स टेररिज्म)*' की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
- इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 132 (1) में संशोधन किए जाने की योजना है।
- 2017-2018 के बजट में वरिष्ठ अधिकारियों के पूर्व अनुमोदन के बाद **6 महीने के लिए टैक्स अधिकारियों को *प्रोविज़नल अटैचमेंट* की शक्ति** प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

टैक्स टेररिज्म के कारण

- टैक्स टेररिज्म का मूल कारण केंद्रीय बजट में **राजस्व संग्रह के अवास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित किया जाना** है।
- **जटिल और विविध कर कानूनों ने** कराधान प्रणाली में अनेक विसंगतियों को बढ़ावा दिया है।
- ***बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग*** जैसी प्रणालियों के कारण हुए कर वंचन से सरकार को राजस्व हानि हुई है तथा इसी कारण टैक्स टेररिज्म व्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

प्रस्तावों की आवश्यकता

- सरकार का कहना है कि यह कदम उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और कॉर्पोरेट कर के संग्रह में आई गिरावट के कारण कर-जीडीपी अनुपात में आई गिरावट को रोकने में सहायता करेगा। 2008 में **कर-जीडीपी अनुपात** 12% था जो हाल ही में घटकर 9% रह गया है।
- वर्तमान में आंकी गई संपत्तियों की कुर्की तभी की जा सकती है, जब आयकर आयुक्त द्वारा उस संपत्ति की कुर्की पर रोक लगाने के निवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है।
- प्रायः कर चोरी करने वाले कानून से बचने के लिए अपनी **संपत्ति को जांच के दौरान ही बेच** देते हैं।अतः ऐसी समस्याओं को रोकने में प्रस्तावित तात्कालिक कुर्की की शक्तियां मदद कर सकती हैं।

7.3. प्रत्यक्ष कर सुधार

Direct Tax reforms

पृष्ठभूमि

- 1980 के दशक में दीर्घकालीन मौद्रिक नीति की घोषणा करने के बाद से सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर सुधारों से सम्बंधित कई प्रयास किये गए हैं।
- प्रत्यक्ष करों को समेकित करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। इनमें 1990 के प्रारंभ में गठित राजा चेलय्या समिति, विजय केलकर समिति (2002) और हाल ही में गठित ईश्वर पैनल सम्मिलित हैं।
- इसके अलावा, भारत में प्रत्यक्ष कर कानून को सरल बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC) का निर्माण भी है।
- DTC भारत के प्रत्यक्ष कर कानूनों की संरचना को संशोधित तथा समेकित कर और उसे सरल बनाकर एक एकल विधान के रूप में परिवर्तित करेगा।
- क्रियान्वयन के पश्चात DTC, आयकर अधिनियम 1961 तथा संपत्ति कर अधिनियम 1957 को प्रतिस्थापित करेगा।
- 2009, 2010 और 2013 में DTC के तीन मसौदा कानून जारी किये गए थे। DTC 2013 में प्रस्तावित किया गया है:
  - जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल्स(**GAAR**),
  - कंट्रोल्ड फॉरेन कम्पनीज (CFC) का कराधान,
  - भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण की रेजीडेंसी और कर हेतु कसौटी निर्धारित करने के लिए 'प्लेस ऑफ़ इफेक्टिव मैनेजमेंट'(**POEM**) नियमों का निर्माण
- हालाँकि सरकार अब DTC का विचार त्याग चुकी है। इसके लिए यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तावित कर संहिता के प्रावधान वर्तमान में लागू कर विधानों में समाहित कर दिए गए हैं।
- इसके उपरांत सरकार द्वारा कानूनों के अस्पष्ट प्रारूपण से उत्पन्न मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को संशोधित करने हेतु न्यायमूर्ति आर वी ईश्वर की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

आवश्यकता

- भारत में, कराधान प्रणाली जटिल है और इसे युक्तिसंगत तथा सरल बनाने की तात्कालिक आवश्यकता है। अव्यवस्थित कर संरचना के अप्रत्यक्ष दुष्प्रभाव होते हैं क्योंकि यह कंपनियों, निवेशकों एवं परिवारों के निर्णयों को विकृत करता है।
- आयकर कानून में कुछ प्रावधान हैं जो अपने अंतर्निहित उद्देश्यों के सन्दर्भ में पुराने, असंगत अथवा अनावश्यक हो गए हैं। इसके साथ ही समय के साथ विश्व अर्थव्यवस्था में नाटकीय गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने कई देशों की राजकोषीय नीति को प्रभावित किया है। अतः भारत के लिए भी मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की आवश्यकताओं के साथ कानूनों को समायोजित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
- भारतीय कॉरपोरेट टैक्स की दर ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) देशों के औसत से भी अधिक है । यह स्थिति विसंगतिपूर्ण ढंग से ट्रान्सफर प्राइसिंग के माध्यम से टैक्स आर्बिट्रेज व्यवस्था हेतु प्रोत्साहन का कार्य करती है। प्रत्यक्ष कर सुधार से कर की दर में कटौती होगी।
- कम कर दरों और सरलीकृत कर संरचना के कारण संभावित राजस्व हानि की समस्या के समाधान के रूप में यह कर आधार को विस्तृत करेगा।
- तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था में 'क्लीन टैक्स कोड' निर्माण के परिणामस्वरूप अधिक प्रभावी पूंजी आवंटन हो सकेगा।
- कराधान संबंधी फ्रेमवर्क के स्पष्ट होने से कर विभाग की विवेकाधीन शक्तियां कम होंगी जिससे अंततः 'टैक्स टेररिज्म ' जैसी प्रवृत्ति सीमित होगी।
- एक जटिल टैक्स संरचना उन बड़े व्यावसायिक समूहों की सहायता करती है जो अपने कर विशेषज्ञों की सहायता से व्यवस्था में हेरफेर कर सकते हैं। कर सुधारों से बचत प्रवृत्तियों को अनुचित रूप से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है तथा वित्तीय उत्पादों की अनुपयुक्त बिक्री को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
- समग्र रूप से भारत में अप्रत्यक्ष करों तथा प्रत्यक्ष करों का अनुपात 52:48 है। GST के लागू होने से इसमें और भी अधिक वृद्धि होगी । प्रत्यक्ष कर सुधारों के माध्यम से इसे और अधिक संतुलित किया जा सकता है।

ईश्वर पैनल की अनुशंसाएँ

इसके द्वारा की गयी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं-

- **शेयरों और प्रतिभूतियों की बिक्री से आय:** समिति ने रेखांकित किया है कि इनके द्वारा प्राप्त होने वाली आय पर यथोचित कर आरोपित करने के सम्बन्ध में अनिश्चितता विद्यमान है। अतः इसे आसान करने के लिए समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसी आय पर कैपिटल गेन टैक्स आरोपित किये जाएँ। यदि
    - I. करदाता द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय तक शेयर रोककर रखे जाते हैं;
    - II. 5 लाख तक की राशि के शेयर रखे जाते हैं।
- **कर मुक्त आय पर व्यय:**समिति ने सिफारिश की कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को करमुक्त आय से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट और सरल बनाने के लिए प्रशासनिक प्रावधान करना चाहिए। इसने कहा है कि यह अनिश्चितता कुल आयकर सम्बन्धी मुकदमों में से 15 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है।
- **टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS):** समिति ने प्रशासनिक कार्यवाहियों को आसान बनाने के लिए TDS एकत्र करने की सीमा रेखा को और ऊपर उठाने पर बल दिया। इसके साथ ही इसने सभी लोगों के लिए TDS की दर को 10 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत करने का सुझाव भी दिया ताकि प्रशासनिक बोझ को कम किया जा सके।
- **बहीखातों की लेखापरीक्षा:** समिति ने सिफारिश की कि करदाताओं के बहीखातों के लेखापरीक्षण के लिए निर्धारित सीमा में भी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।

VISION IAS

- **छोटे व्यवसायों के लिए अनुमान पर आधारित (Presumptive scheme) कराधान योजना**;अनुमान पर आधारित कराधान योजना के तहत, छोटे व्यवसायी जिनका कुल कारोबार 1 करोड़ रुपये तक है, 8% की कर दर पर अपनी आय घोषित करते हैं। समिति के मुताबिक इसे 2 करोड़ तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- **इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर सिस्टम (ICDS):** कंपनी अधिनियम 2013 में बदलाव की पृष्ठभूमि में तथा GST की शुरूआत की पृष्ठभूमि में समिति ने ICDS के कार्यान्वयन को स्थगित करने की सिफारिश की है ताकि कर दाताओं पर दबाव को कम किया जा सके।
- **प्रवासी भारतीय :** जिन व्यक्तियों के पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है उनके लिए अधिक कर की दर के प्रावधान पर पुनःविचार किया जाना चाहिए क्योंकि प्रवासी भारतीयों को अधिक कर अदा करना पड़ता है। द्रष्टव्य है कि प्रवासी भारतीयों के पास अब तक परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है।अंतिम रूप से यह ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस के मार्ग में अवरोधक स्थिति है।

7.4. जनरल एंटी-अवॉयडेंस रूल्स

(General Anti-Avoidance Rules: GAAR)

भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2017 से GAAR को प्रभाव में लाने का आश्वासन दिया गया था।

पृष्ठभूमि

- GAAR, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कर संहिता 2009 में प्रस्तावित किया गया था।
- 2012 के बजट भाषण (आयकर अधिनियम में संशोधन द्वारा) में इसे पुन: प्रस्तावित किया गया था। इसे अप्रैल 2014 तक लागू किया जाना था।
- इसके विरोध के बाद 2012 में GAAR के प्रावधानों की अनुशंसा करने के सन्दर्भ में पार्थसारथी सोम समिति का गठन किया गया।
- 2016 के बजट में, इसे लाए जाने की तिथि 1 अप्रैल 2017 निर्धारित की गई थी।

सरकार द्वारा स्वीकार की गई पी. सोम समिति की अनशसाएं थीं:

- ऐसे लेनदेनों के लिए अप्रयोज्यता(Non applicability) जहाँ वित्तीय वर्ष में कर लाभ 3 करोड़ रूपए से कम है।
- FII को छूट
- GAAR के अंतर्गत कर लाभ के लिए अनुमोदन करने वाले पैनल में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी और कर और व्यापार पद्धतियों का विशेषज्ञ होगा।

आवश्यकता

- हाल के दिनों में ट्रांस्फर प्राइसिंग, राउंड ट्रिपिंग (कम कर वाले क्षेत्रों में पैसा रखना और उसकी FDI या FII के रूप में रीरूटिंग करना) आदि जैसी पद्धतियों के कारण कर परिहार की घटनाएं देखने को मिली हैं। उदाहरणार्थ, वोडाफोन प्रकरण।
- ऑक्सफ़ैम की रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि कर परिहार आर्थिक असमानताओं का प्रमुख कारण है।

विभिन्न कर कटौती उपाय

- कर शमन (Tax mitigation) - यह वह स्थिति है जिसमें करदाता कर का बोझ कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त कर छूट जैसे राजकोषीय प्रोत्साहनों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, कर लाभ लेने के लिए SEZ में व्यापार स्थापित करना।
- कर परिहार (Tax Avoidance) - यह वह स्थिति है जिसमें करदाता कर दायित्व कम करने के लिए कानून की खामियों का लाभ उठाने का प्रयास करता है।
  - कर परिहार वस्तुतः पूरी तरह से कर लाभ उठाने के लिए किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के माध्यम से कंपनी के भीतर लाभ हस्तांतरित करना।
- कर नियोजन (Tax Planning): यह सेवानिवृत्ति योजना आदि जैसे विकल्पों का उपयोग कर 'कर भुगतान' को न्यून करने की एक योजना है।

VISION IAS

GAAR के अवयव

- GAAR नियमों/फ्रेमवर्क का एक ऐसा समुच्चय है जो राजस्व अधिकारियों को यह निर्धारित करने में सहायता करता है:
    - कि क्या किसी विशेष लेनदेन का वाणिज्यिक महत्त्व है या नहीं
    - वास्तविक लेनदेन से जुड़ा कर दायित्व
- यह सरकार को स्थानीय परिसंपत्तियों से संबंधित विदेश में हुए सौदों पर कर लगाने की अनुमति देता है।
- GAAR के प्रावधान उन लोगों पर लागू होंगे जो 3 करोड़ रुपये से अधिक के कर लाभ का दावा करते हैं।

छूटें:

- यदि लिमिट्स ऑफ़ बेनिफिट (LOB) क्लॉज़ में पर्याप्त रूप से 'कर परिहार' शामिल है, तो GAAR का प्रावधान लागू नहीं होगा।
- न्यायालय द्वारा स्वीकृत व्यवस्था GAAR से बाहर रखी जाएगी।
- यदि प्राधिकरण द्वारा अग्रिम नियमों के लिए व्यवस्था की अनुमति दी जाती है, तो GAAR लागू नहीं होगा।

महत्व

- इससे कर अधिकारियों को ऐसे लूपहोल्स एवं कर परिहार साधनों की रोकथाम करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार सरकार का कर राजस्व बढ़ सकता है।
- GAAR के माध्यम से, सरकार P-नोट्स के प्रचलन पर अंकुश लगा सकती है जो औपचारिक भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन का निवेश करने का एक उपकरण बन गया है।
- यह मुक्त और निष्पक्ष निवेश को बढ़ावा देने वाला एवं दीर्घकाल में इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस की दिशा में एक सफल कदम होगा।
- भारत ऐसे अन्य विकसित देशों के ढर्रे पर आ जाएगा जो पहले ही GAAR लागू कर चुके हैं।

चुनौतियाँ

- GAAR के संबंध में राजस्व अधिकारियों की शक्तियां और उत्तरदायित्व अभी भी अपरिभाषित हैं और इससे वैध कर नियोजन में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- कर शमन और कर परिहार पद्धतियों के बीच अंतर करने में व्यक्तिपरकता(subjectivity) है।

SOME RELIEF

- Arrangements approved by court or held permissible by the Authority for Advance Rulings will not be covered by GAAR
- Transaction proposed to be covered will be vetted first by commissioner and second by an approving panel headed by HC judge
- If the panel holds a transaction to be permissible and conditions remain the same, GAAR will also not be invoked in the next year
- GAAR will apply where the tax avoidance arrangement results in an aggregate tax benefit of ₹3cr or more for all parties across countries

आगे की राह

- सरकार ने पहले से ही कर परिहार से बचने के लिए कदम उठाना आरंभ कर दिया है। इसने एडवांस प्राइसिंग रूल्स, दोहरे कर परिहार समझौतों में लिमिट्स ऑफ़ बेनिफिट क्लॉज़ आदि प्रारम्भ किया है। GAAR के प्रचलन से कर संग्रह बेहतर बनाने के लिए पहले से ही उठाए गए कदम सुदृढ़ होंगे।
- सरकार को कर परिहार रोकने और इससे निपटने के लिए पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना होगा।

7.5. . प्रभावी प्रबंधन स्थल

(Place of Effective Management-POEM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) (वित्त मंत्रालय) ने भारत में व्यापार के लिए प्रभावी प्रबंधन स्थल (POEM) के निर्धारण के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- ये दिशा-निर्देश द्विस्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया प्रदान करते हैं जिसमें कर अधिकारी को वरिष्ठ कर अधिकारी से पूर्व-स्वीकृति और तीन वरिष्ठ अधिकारियों के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

VISION IAS

POEM के विषय में

- **POEM** को व्यापक रूप से ऐसे स्थल के रूप में परिभाषित किया गया है जहां प्रबंधन निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ ये निर्णय कार्यान्वित नहीं किए जाते हैं।
- नए दिशा-निर्देश, जो वित्त वर्ष 2016-17 के आरंभ से प्रभावी होंगे, एक वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये या उससे कम की कुल बिक्री या सकल प्राप्तियों वाली कंपनियों पर नहीं लागू होंगे और शेल (shell) कंपनियों द्वारा करअपवंचन पर अंकुश लगाने के निमित्त लक्षित हैं।
- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य भारत में केवल स्थायी प्रतिष्ठान या व्यापारिक संबंध की उपस्थिति के आधार पर विदेशी कंपनियों को कवर करना या उनकी वैश्विक आय पर कर लगाना नहीं है।
- **POEM दिशा-निर्देशों का प्रभाव:** यह परिवर्जन-रोधी उपाय (anti-avoidance measure) के रूप में सहायता करेंगे और घरेलू कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियों और विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों की अप्रत्यक्ष आय को कर के दायरे में लाया जा सकेगा।

7.6. CBDT ने चार अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किये

(CBDT Signs Four Advance Pricing Agreements)

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फरवरी, 2017 में चार अतिरिक्त एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (APAs) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। हस्ताक्षरित APAs विनिर्माण, वित्तीय और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित हैं।

APAs क्या हैं?

APA, सामान्यतः कई वर्षों के लिए, किसी करदाता और उस मूल्य निर्धारण विधि को निर्दिष्ट करने वाले कम से कम एक कर प्राधिकरण के बीच का अनुबंध है जिसका प्रयोग करदाता स्वयं से संबंधित-कंपनी के लेनदेन पर करता है। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **एकपक्षीय APA -** करदाता और उस देश के कर प्राधिकरण के बीच जहां करदाता स्थित है।
- **द्विपक्षीय APA -** करदाता, मेजबान देश के कर प्राधिकरण और विदेशी कर प्राधिकरण के बीच।
- **बहुपक्षीय APA -** करदाताओं, मेजबान देश के कर प्राधिकरण और एक से अधिक विदेशी कर प्राधिकरण के बीच।

सम्बद्ध अवधारणायें

- **जिस मूल्य पर किसी कंपनी के प्रभाग (डिवीजन) एक दूसरे के साथ लेनदेन करते हैं उसे हस्तांतरण मूल्य (transfer price)** कहा जाता है।
- वह लेनदेन जिसमें किसी भी उत्पाद के खरीदार और विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और एक-दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं उन्हें **आर्म्स लेंथ (Arm's length)** लेनदेन कहा जाता है।

APAs के लाभ

- भविष्य में होने वाले जटिल, उच्च जोखिम युक्त लेनदेन के लिए निश्चितता प्राप्त होती है।
- देशों के कर अधिकारियों के बीच का समझौता होने के कारण दोहरा कराधान नहीं हो पाता।
- मुकदमेबाजी की लागत से बचाता है तथा कर दाताओं और कर अधिकारियों के समय की बचत करता है।
- रिकार्ड रखने के बोझ को कम करता है।
- यह बेहतर कारोबार माहौल को बढ़ावा देता है।

7.7. BEPS रोकने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन

(Multilateral Convention To Prevent Beps)

भारत ने हाल ही में आधार अपक्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग:BEPS) को रोकने के लिए कर संधि से संबंधित उपाय लागू करने हेतु बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

VISION IAS

बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)

- यह उन कर नियोजन रणनीतियों को संदर्भित करता है जिनमें कर नियमों में अंतर का फायदा उठा कर बहुत कम या नगण्य आर्थिक गतिविधियों वाले स्थानों पर लाभ को कृत्रिम रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके चलते निगम कई बार बहुत कम कर भुगतान या समग्र रूप से शून्य निगम कर का भुगतान करते हैं।
- विकासशील देशों के लिए BEPS अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुराष्ट्रीय निगमों से प्राप्त होने वाले निगम कर पर अत्यधिक निर्भर होते हैं।

BEPS रोकने के लिए कर संधि से संबंधित उपाय लागू करने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन

- बहुपक्षीय कन्वेंशन का उद्देश्य BEPS उपायों से संबंधित संधियों का त्वरित और सुसंगत कार्यान्वयन करना है।
- यह कन्वेंशन वस्तुतः OECD/G20 BEPS प्रोजेक्ट का एक परिणाम है। इस कन्वेंशन की परिकल्पना एक ऐसे बहुपक्षीय साधन के रूप में की गई थी जो सभी द्विपक्षीय कर संधियों में BEPS उपाय लागू करने हेतु तेजी से संशोधन करे।

कन्वेंशन का महत्व

- इस कन्वेंशन का प्रभाव हस्ताक्षरकर्ता के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अधिकांश द्विपक्षीय कर संधियों पर पड़ेगा। यह BEPS पैकेज के अंतर्गत संधि से सम्बंधित मानकों के आधार पर उनमें संशोधन कर सकता है। इस संशोधन के आधार होंगे: कृत्रिम कर वंचन को रोकना, संधि के दुरुपयोग की रोकथाम और विवाद समाधान में सुधार लाना।
- कन्वेंशन यह सुनिश्चित करेगा कि संधि के दुरुपयोग की रोकथाम और अंतरराष्ट्रीय कर विवाद समाधान प्रक्रिया में सुधार के संबंध में न्यूनतम मानक सभी कर समझौतों में शीघ्र लागू किए जाएं।

7.8. पूंजीगत लाभ कर नियम

(Capital Gains Tax Rules)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पूंजीगत लाभ कर के सम्बन्ध में अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में यह स्पष्ट विनिर्दिष्ट किया गया है कि वैसे प्रतिभूति लेनदेन जहां प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax: STT) का भुगतान नहीं किया गया है, पर पूंजीगत लाभ कर लगेगा।

पूंजीगत लाभ कर

- पूंजीगत लाभ कर वह कर होता है जो किसी निवेशक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पूंजीगत लाभ या मुनाफे पर तब लगाया जाता है जब वह खरीद मूल्य से अधिक कीमत पर पूंजीगत परिसंपत्ति को बेचता है। पूंजीगत लाभ कर केवल तभी आरोपित होता है जब किसी परिसंपत्ति से आय प्राप्त की जाती है। जब निवेशक उसे धारित किए होता है तब इसे आरोपित नहीं किया जाता है ।
- भारत में दो प्रकार के पूंजीगत लाभ कर हैं; अल्पावधिक (36 माह के भीतर प्राप्त किया गया पूंजीगत लाभ) और दीर्घावधिक पूंजीगत लाभ कर (36 महीने से अधिक समय में प्राप्त)। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, गैर-सूचीबद्ध शेयरों और अचल संपत्ति के लिए 24 महीने की धारित अवधि (होल्डिंग पीरियड) निर्दिष्ट की गयी है।

पृष्ठभूमि

- CBDT की अधिसूचना उन कंपनियों के शेयरधारकों के लिए अनुचित प्रतीत होती है जिनके शेयरों की नियमित रूप से स्टॉक एक्सचेंजों में खरीद-बिक्री नहीं होती।
- आयकर अधिनियम के पिछले प्रावधानों का फायदा उठाते हुए व्यवसायी अक्सर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से उन्मुक्ति के लिए फर्जी लेनदेन के ज़रिये अघोषित आय (unaccounted income) की घोषणा करते थे। इस व्यवहार पर रोक लगाने के लिए हाल ही में वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है।
- संशोधन अधिसूचना में उन लेनदेनों का उल्लेख किया गया है जिन पर कर लागू होगा और जिन पर कर छूट प्राप्त होगी।

आवश्यकता

- यह उन विदेशी निवेशकों, वेंचर कैपिटल हाउसेस और शेयरधारकों के लिए लाभदायक होगा, जिन्होंने *कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग* के माध्यम से न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजनाओं के माध्यम से शेयरों की प्राप्ति की है। दृष्टव्य है कि ऐसी परिसम्पत्तियो पर STT (securities transaction tax) का भुगतान नहीं किया गया होता है।

VISION IAS

- अघोषित आय पर लगने वाले *लॉंगटर्म कैपिटल गेन टैक्स* से बचने के लिए नकली कारोबार पर रोक लगाने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता थी।

प्रावधान

- 1 अक्टूबर 2004 के बाद किए गए इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के सभी लेनदेनों पर STT लागू नहीं होगा। हालांकि इसके निम्नलिखित कुछ अपवाद हैं: -
    - कंपनी के प्रेफेरेंशिअल इश्यू में सूचीबद्ध शेयर। इस सूची के शेयरों का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्राय: व्यापार नहीं किया जाता है।
    - कंपनी के वे वर्तमान सूचीबद्ध इक्विटी शेयर जिनका अधिग्रहण भारत के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से नहीं किया गया है।
    - कंपनी के शेयरों का उस दौरान जब उन्हें सूची से हटा दिया(de-listed) गया था।

7.9. कृषि आय पर करारोपण

(Taxing Agricultural Income)

अपने तीन वर्षीय कार्य एजेंडे में नीति आयोग के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने एक निश्चित सीमा से ऊपर कृषिगत आय पर करारोपण का विचार प्रस्तावित किया है।

आवश्यकता

- नीति आयोग का कहना है कि कृषि आय पर कोई कर न होने का उन लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जो किसान नहीं हैं तथा केवल कर से बचने के लिए कृषि को अपनी आय का स्रोत बताते हैं।
- भारत में कराधार आबादी का लगभग 1.5% है। अत: कृषि आय पर करारोपण आवश्यक हो जाता है ताकि कृषि में संलिप्त आबादी को भी कर के दायरे में लाया जा सके।
- हरित क्रांति से कुछ किसानों की स्थिति में सुधार आया है। इसलिए समृद्ध और सीमांत किसानों के बीच असमानता कम करने के लिए कृषि पर कराधान की आवश्यकता है।

<u>कृषि कर के सम्बन्ध में वर्तमान परिदृश्य</u>

आयकर अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत करदाताओं द्वारा अर्जित कृषि आय को भारत में करमुक्त रखा गया है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

- भारत में अवस्थित तथा कृषि से सम्बंधित किसी प्रयोजन में उपयोग की जा रही भूमि से प्राप्त कोई भी किराया या राजस्व।
- ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार के कृषि कार्यों के द्वारा प्राप्त होने वाली कोई भी आय कर के दायरे में नहीं आती है। बाज़ार के लिए उपयुक्त बनाने हेतु कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण भी इसमें सम्मिलित है।
- किसी फार्म हाउस से प्राप्त होने वाली आय को भी इससे बाहर रखा गया है। हालांकि इस संबंध में इन्हें धारा 2 (1A) में निर्दिष्ट कुछ निश्चित शर्तों की संतुष्टि के अधीन रखा गया है।

पृष्ठभूमि

- 1925 में ब्रिटिश भारत में कृषि आय पर करारोपण की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए भारतीय कराधान जांच समिति (Indian taxation enquiry committee) का गठन किया गया था।
- स्वातंत्रोत्तर भारत में 1972 में के. एन. राज समिति द्वारा भी इसकी अनुशंसा की गई थी I इसके साथ ही इस समिति ने सुझाव दिया था कि यह कदम उठाने से पहले कृषि पर करारोपण की व्यवहार्यता और इसके कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दों का परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 2002 की केलकर कार्यदल की रिपोर्ट का अनुमान था कि 95% किसान कर सीमा से बाहर थे।

VISION IAS

महत्व

- इससे कराधार का विस्तार होगा और सरकार के राजस्व में सुधार आएगा। परिणामस्वरूप सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय में वृद्धि होगी।
- इससे गलत ढंग से अन्य स्त्रोत से प्राप्त आय को कृषि आय के रूप में दिखाकर की जाने वाली कर चोरी पर अंकुश लगेगा।
- निश्चित आय सीमा से ऊपर के समृद्ध किसानों पर कर लगाया जा सकेगा I यह आर्थिक समता की दिशा में भी एक कदम होगा।
- कराधान के लिए खातों का नियमित और व्यवस्थित रखरखाव आवश्यक होता है। अतः इससे किसानों को **दस्तावेजी रिकॉर्ड के आधार पर आवश्यकता आधारित ऋण प्राप्त करने में सहायता** मिलेगी।
- पर्याप्त औपचारिक प्रलेखन (documentation) से सरकार को भविष्य में छोटे और बड़े किसानों के बीच अंतर करने और लक्षित सब्सिडी योजनाएं लागू करने में सहायता मिलेगी।

चुनौतियां

- **NSS के आंकड़ों के अनुसार** 17 राज्यों में मध्यम किसानों को खेती से होने वाली औसत निवल वार्षिक आय 20,000 रुपये से कम है। इसलिए इस प्रकार की कृषि आय पर कराधान से किसानों पर नकारात्मक बाह्यताएँ (Negative externalities) आरोपित हो सकती हैं।
- कृषि के विभिन्न चरणों पर अभी भी अनेक प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, अतः कृषि आय पर करारोपण आगे चलकर कृषि राजस्व संरचना को और विरूपित करेगा।
- कृषि आय मानसून पर अत्यधिक निर्भर है और इसलिए कृषि आय पर करारोपण का परिणाम नकारात्मक बाह्यताओं (Negative externalities) के रूप में सामने आ सकता है।
- किसान कर अधिकारियों के शोषण का शिकार हो सकते हैं।

आगे की राह

किसानों की आय के सम्बन्ध में आंकड़ों के संग्रहण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। आंकड़े ग्राम स्तर पर एकत्रित किए जाने चाहिए एवं तत्पश्चात कृषि आय पर कर लगाने के लिए सीमा निर्धारित की जा सकती है। इसके साथ ही इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है क्योंकि कृषि, संविधान की राज्य सूची में उल्लखित है।

7.10 500 रु० और 1000 रु० के नोटों का विमुद्रीकरण

(Demonetisation of Rs. 500 and Rs, 1000 notes)

विमुद्रीकरण का महत्व

- इस कदम का उद्देश्य ,अवैध गतिविधियों के साथ-साथ उन वैध गतिविधियों पर भी कर लगाना जिन्हें कर अधिकारियों से गुप्त रखा गया है।यह प्रयास किया गया है कि ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु एक स्थायी एवं दंडात्मक कर व्यवस्था का निर्माण किया जाय।
- विमुद्रीकरण का उद्देश्य व्यवस्था में बदलाव का स्पष्ट संकेत देना था, जिसके द्वारा सरकार की 'अवैध गतिविधियों को प्रतिबंधित' करने की प्रतिबद्धताओं को सिद्ध किया जा सके।
- भारत में विमुद्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक इतिहास में अद्वितीय घटना है क्योंकि इसमें सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के मध्य गोपनीयता एवं आकस्मिकता के तत्व सम्मिलित थे।
- इससे पूर्व भारत द्वारा अतीत में इस सन्दर्भ में किये गए प्रयास (उदाहरण के लिए 1946 और 1978 में) प्रभावशाली नहीं रहे। हाल ही में मुद्रा से संबंधित प्रयास अस्थायी परन्तु महत्वपूर्ण है।

Table 1. Dual Dimensions of Cash

	Origin/nature	
	White	*Black*
Function		
Transactions	Company pays employee salary in cash; payment and receipt are declared to tax authorities	Small enterprise pays for input in cash; neither declares the transaction to tax authorities
Store of value	Household keeps savings in cash for emergencies	Businessman hoards undeclared cash, with a view to distributing it to his candidate during elections

VISION IAS

विश्लेषण:

Table 2. Impact of Demonetisation

Sector	Impact	
	Effect through end-December	**Likely longer-term effect**
Money/interest rates	Cash declined sharply	Cash will recover but settle at a lower level
	Bank deposits increased sharply	Deposits will decline, but probably settle at a slightly higher level
	RBI's balance sheet largely unchanged: return of currency reduced the central bank's cash liabilities but increased its deposit liabilities to commercial banks	RBI's balance sheet will shrink, after the deadline for redeeming outstanding notes
	Interest rates on deposits, loans, and government securities declined; implicit rate on cash increased	Loan rates could fall further, if much of the deposit increase proves durable
Financial System Savings	Increased	Increase, to the extent that the cash-deposit ratio falls permanently
Corruption (underlying illicit activities)		Could decline, if incentives for compliance improve
Unaccounted income/black money (underlying activity may or may not be illicit)	*Stock* of black money fell, as some holders came into the tax net	Formalization should reduce the *flow* of unaccounted income
Private Wealth	Private sector wealth declined, since some high denomination notes were not returned and real estate prices fell	Wealth could fall further, if real estate prices continue to decline
Public Sector Wealth	No effect.	Government/RBI's wealth will increase when unreturned cash is extinguished, reducing liabilities
Formalization/ digitilisation	Digital transactions amongst new users (RuPay/ AEPS) increased sharply; existing users' transactions increased in line with historical trend	Some return to cash as supply normalises, but the now-launched digital revolution will continue
Real estate	Prices declined, as wealth fell while cash shortages impeded transactions	Prices could fall further as investing undeclared income in real estate becomes more difficult; but tax component could rise, especially if GST imposed on real estate
Broader economy	Job losses, decline in farm incomes, social disruption, especially in cash-intensive sectors	Should gradually stabilize as the economy is remonetized
GDP	Growth slowed, as demonetisation reduced demand (cash, private wealth), supply (reduced liquidity and working capital, and disrupted supply chains), and increased uncertainty	Could be beneficial in the long run if formalization increases and corruption falls
	Cash-intensive sectors (agriculture, real estate, jewellery) were affected more Recorded GDP will understate impact on informal sector because informal manufacturing is estimated using formal sector indicators (Index of Industrial Production). But over time as the economy becomes more formalized the underestimation will decline. Recorded GDP will also be overstated because banking sector value added is based (*inter alia*) on deposits which have surged temporarily	Informal output could decline but recorded GDP would increase as the economy becomes more formalized

Tax collection	Income taxes rose because of increased disclosure Payments to local bodies and discoms increased because demonetised notes remained legal tender for tax payments/ clearances of arrears	Indirect and corporate taxes could decline, to the extent growth slows Over long run, taxes should increase as formalization expands and compliance improves
Uncertainty/ Credibility	Uncertainty increased, as firms and households were unsure of the economic impact and implications for future policy Investment decisions and durable goods purchases postponed	Credibility will be strengthened if demonetisation is accompanied by complementary measures. Early and full remonetisation essential. Tax arbitrariness and harassment could attenuate credibility

दीर्घकालिक लाभों को अधिकतम करना, अल्पकालिक लागत को कम करना:

किये जाने वाले कार्य :

इस कदम के बाद कई अन्य प्रयासों के माध्यम से लागत कम एवं विमुद्रीकरण के अधिकतम लाभ प्राप्त किये जा सकेंगे। **इसमें शामिल है:**

- **त्वरित मांग-प्रेरित पुनर्मुद्रीकरण-** आंतरिक परिवर्तनीयता को पुनर्स्थापित करने के लिए मुद्रा की आपूर्ति को वास्तविक मांग(actual demand) के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए ना कि आधिकारिक अनुमानों द्वारा निर्धारित "वांछनीय मांग(desirable demand)" के अनुसार।
- **नकदी की अंतर-परिवर्तनीयता:**
  - नकद निकासी पर कोई अर्थदंड नहीं होना चाहिए, इस नियम से केवल नकदी जमाखोरी को प्रोत्साहन मिलता है।
  - परिवर्तनीयता विश्व की प्रत्येक वित्तीय प्रणाली का आधार है,जिसके लिए कुछ व्यवहारिक कारण उत्तरदायी है। जब तक लोगों को विश्वास नहीं होता है कि बैंक खातों में जमा धन आसानी से नकदी में परिवर्तनीय है तथा विपरीत प्रक्रिया भी आसानी से संभव है तब तक वे अपनी नकदी जमा करने के इच्छुक नहीं होंगे।
- कम मूल्यवर्ग के नोटों के अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। किन्तु सकल आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
- सरकार द्वारा पुनः वापस न किये गए नोटों से प्राप्त होने वाली अप्रत्याशित आय को पूंजीगत व्ययों में निवेश करना चाहिए।

इस कदम की प्रष्ठभूमि में निहित कारक

- नकदी के दोहरे आयाम (तालिका 1)
- उच्च मूल्यवर्ग के नोटो की संख्या (INR 500 और INR 1000) जो GDP से सापेक्षिक रूप से संबंधित होती है, काफी बढ़ गयी थी । जीवन स्तर में वृद्धि के साथ भी इसका निकट संबंध है।
- उच्च मूल्यवर्ग के नोट भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते है क्योंकि इनके कम मूल्यवर्ग के नोटों या सोने की तुलना में संग्रह एवं प्रयोग में आसानी रहती हैं।
- भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत नकदी आधारित है। भारत में नकदी का स्तर इसके समान आय समूह वाले अन्य देशों की तुलना में कुछ अधिक है।ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में नकदी का जितना अधिक स्तर होगा उतना ही अधिक भ्रष्टाचार की संभावना होती है।
- काले धन की गयी गणना में "सॉइल्ड नोट्स" (वे जो नोट्स जो अधिक क्षतिग्रस्त होने कारण सेंट्रल बैंक को लौटा दिए गये हैं) की भी पर्याप्त मात्रा पायी गई है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत है।

डिजिटलाईज़ेशन

(Digitalization)

- सार्वजनिक नीति द्वारा भुगतान के दोनों माध्यम के लाभों एवं लागतों को संतुलित करना आवश्यक है।
- *डिजिटलाईज़ेशन* की ओर परिवर्तन क्रमिक रूप से होना चाहिए । इस प्रक्रिया से वंचित लोगों को उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए शामिल किया जाये न कि उन पर जबरन विकल्पों को थोपा जाए।

VISION IAS

- *डिजिटलाईज़ेशन* को प्रोत्साहित करने में लगने वाली लागत को सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
- साइबर सुरक्षा प्रणाली को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

पूरक कार्य: एक पांच-आयामी रणनीति अपनाई जा सकती है:

- व्यापक कवरेज के साथ GST लागू करना जिसके अंतर्गत काले धन-निर्माण के स्रोत,भूमि और अन्य अचल संपदा के संग्रह जैसी गतिविधियां समाहित हो ।
- व्यक्तिगत आयकर दर एवं रियल एस्टेट स्टैम्प शुल्क को कम किया जा सकता है।
- आयकर के आधार में धीरे-धीरे तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप वृद्धि की जानी चाहिए जिससे एक प्रगतिशील व्यवस्था के रूप में इसमें सभी उच्च आयवर्ग के लोगों को को शामिल किया जा सके (क्योंकि काला धन किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं होता)।
- कॉर्पोरेट टैक्स दर को कम करने के लिए निर्धारित समयसीमा को घटाया जा सकता है;।
- विवेकाधिकारो को सीमित कर एवं जवाबदेही में सुधार के द्वारा कर प्रशासन को बेहतर किया जा सकता है। कर प्रशासन अति उत्साही स्वरुप से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कार्य किये जाने चाहिए।

आगे की राह

यह आवश्यक है कि हाल ही में घोषित एवं अघोषित संपत्ति कर संग्रह प्रयास के रूप अधिकारियों द्वारा कर उत्पीड़न का माध्यम न बने। एक ऐसी क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए जिसके अंतर्गत आंकड़ों के अधिकतम उपयोग के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर विभाग के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान ,उत्कृष्ट साक्ष्य-आधारित जांच और लेखा परीक्षा, करदाताओं एवं कर अधिकारियों के बीच कम संवाद की आवश्यकता के साथ ऑनलाइन असेसमेंट पर अधिक निर्भरता जैसे प्रयासों को अपनाया जाय ।

7.11. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

(Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana)

कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016' नामक एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

विशेषताएँ

- इसका प्रमुख उद्देश्य विमुद्रीकरण (demonetization) के उपरांत एकत्रित काले-धन का उपयोग गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में करना है।
- प्रस्तावित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के माध्यम से सरकार लोगों को जुर्माने के साथ करों का भुगतान करने एवं अघोषित आय को घोषित करने का एक और अवसर देना चाहती है।
- PMGKY के तहत लोगों को उनके पूर्व में करमुक्त धन हेतु कुल राशि का 50% भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी: अर्थात् इस व्यवस्था के तहत घोषणा करने वालों को अपनी अघोषित आय की 30 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा तथा अपनी अघोषित आय के 10 प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही उपकर (cess) के रूप में कुल चुकाए गए कर के 33 प्रतिशत का भी भुगतान करना होगा।
- घोषणा करने वालों को अपनी अघोषित आय के 25 प्रतिशत को एक जमा योजना में जमा कराना होगा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016' के तहत अधिसूचित किया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति सरकार के इस जमा योजना के उपयोग करने का विकल्प चुनने से मना कर देता है, तब कुल राशि का 85% करों और जुर्माने के रूप में काट लिया जायेगा।
- सरकारी छापों की कार्यवाही के दौरान पाए जाने वाले धन पर करों और पेनाल्टी के रूप में लगभग 90% राशि वसूली जाएगी और इस प्रकार ऐसे लोगों के लिए सिर्फ 10% राशि छोड़ी जाएगी।

VISION IAS

8. कैशलेस अर्थव्यवस्था

(CASHLESS ECONOMY)

8.1. लेस-कैश' अर्थव्यवस्था और कैशलेस अर्थव्यवस्था

('Less-Cash' Economy and Cashless Economy)

कैशलेस और लेस-कैश (कम-नकदी) अर्थव्यवस्था क्या है?

एक कैशलेस अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समस्त आर्थिक लेन-देन कार्ड या डिजिटल साधनों के उपयोग से किए जाते हैं। इसमें भौतिक मुद्रा का प्रचलन न के बराबर होता है।

दूसरी ओर, जब अधिकांश लोगों द्वारा डिजिटल साधनों का उपयोग किया जाता है तब इसे लेस-कैश अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत के लिए लेस-कैश अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना अधिक व्यावहारिक प्रतीत होता है।

डिजिटल लेन-देन के प्रमुख तरीके:

- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) तथा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) तथा बैंक सेवाएँ।
- बैंकों, UPI आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल वॉलेट सेवाओं का उपयोग।
- इसके अन्य रूप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित हैं जिन्हें प्लास्टिक मनी के रूप में उल्लिखित किया जाता है। इन कार्ड्स का इस्तेमाल विक्रेताओं के पास उपलब्ध *पॉइंट ऑफ़ सेल* (PoS) मशीनों में किया जा सकता है।

भारत की वर्तमान स्थिति

- भारत में लेन-देन के लिए नकदी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। 2014 में नकदी से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 12.42% के साथ विश्व में सबसे अधिक है। जबकि भारत की तुलना में यह अनुपात चीन में 9.47% और ब्राजील में 4% है।
- भारत के अधिकांश लोग डिजिटली निरक्षर हैं (WDR, 2016 डिजिटल डिविडेंड रिपोर्ट)।
- इसलिए RBI ने हाल ही में एक दस्तावेज "*पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया: विजन 2018*" जारी किया है। इस दस्तावेज में भारत को मध्यम और दीर्घ काल में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने और भारत को एक कैशलेस अर्थव्यवस्था या समाज बनाने के लिए योजना निर्दिष्ट की गयी है।

इसके प्रमुख लाभों और इन लाभों को प्राप्त करने हेतु संबंधित चुनौतियों तथा समाधान हेतु सुझाव नीचे की तालिका में संकलित है:

लाभ	चुनौतियाँ	समाधान
(a) वित्तीय समावेशन को बढाता है।	• वित्तीय समावेशन में सुधार लाने में जन धन योजना की सफलता के बावजूद, 23% JDY खाते बंद पड़े हैं।	• DBT आदि के लिए JDY खातों का उपयोग कर इन खातों को उपयोग में लाया जा सकता है।
	• वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पर अपर्याप्त ध्यान • **उपभोक्ता व्यवहार और वित्तीय साक्षरता:** आम आदमी, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड और PoS टर्मिनल के उपयोग को जटिल प्रक्रिया मानता है।	• अभिनव कदम जैसे: MeitY ने 'DigiShala' नामक एक टीवी चैनल शुरू किया है • लोगों को कैशलेस आर्थिक प्रणाली के बारे में जागरूक बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा **वित्तीय साक्षरता अभियान (VISAKA)** शुरू किया गया था।
(b) छाया अर्थव्यवस्था (शैडो	प्रेषण (रेमिटेंसेज) आधारित एक बड़ी	• प्रोत्साहन: सरलीकृत कर नियम, छूट

VISION IAS

इकॉनोमी) को कम करता है और मनी लॉन्डरिंग को रोकता है।	छाया (शैडो) अर्थव्यवस्था (अर्थव्यवस्था का ~19%) अपनी गहरी जड़ें जमाए हुए है (प्रेषित धन का 60% दिन-प्रतिदिन के वित्तयन के लिए उपयोग किया जाता है)।	को कम करना, ई-फाइलिंग आदि, • **ईश्वर पैनल** की सिफारिशों का पालन • GST लागू करना • निवारक के रूप में: हाल के बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 को मजबूत बनाना
(c) राष्ट्रीय सुरक्षा: आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क में बाधा पैदा करता है और उन्हें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने हेतु सुभेद्य बनाता है।	• नशीली दवाओं की तस्करी और टैक्स हैवन्स से धन शोधन तथा स्विस बैंकों जैसे गोपनीयता बनाये रखने वाले बैंकों से आतंक के वित्त पोषण के नए तरीके,	• FICN के खतरों से निकलने के लिए प्लास्टिक नोटों का सुझाव देना चाहिए। • हाल के DTAA और BEPS समझौते आगे की अच्छी राह हैं।
(d) डिजिटल वाणिज्य को सक्षम बनाता है	• यथोचित कानून की कमी **(संसद द्वारा कोई कानून पारित नहीं** किया गया है जो मोबाइल भुगतान को वैध करता है) • IT एक्ट, 2000 और उसके नियमों के तहत अधिकतर मोबाइल भुगतान सेवा प्रदाता अति संवेदनशील व्यक्तिगत एवं वित्तीय डेटा सहित संवेदनशील डेटा के संबंध में सख्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं। • इसके अलावा IT एक्ट व्यापक नहीं है। भारत में उपभोक्ताओं के धन की सुरक्षा हेतु कानूनों का अभाव है।	• परिवर्तित स्थिति के लिए नया समग्र कानून तैयार किया जाना चाहिए। • **अब भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ भुगतान प्रणालियों की पहचान महत्वपूर्ण** (critical) के रूप में अवश्य करना चाहिए और उन्हें प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण दर्जा देना चाहिए।
	• साइबर थेफ़्ट, डाटा थेफ़्ट (उदाहरण के लिए: NPCI डेबिट कार्ड डेटा चोरी) • ग्राहकों के बीच विश्वास की कमी • ग्राहकों के लिए उपलब्ध **पर्याप्त उपचार और निवारण तंत्र का अभाव।**	• एक समर्पित **साइबर सुरक्षा कानून** बनाना जो सभी हितधारकों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को अधिदेशित करता हो। • उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करने के लिए **साइबर बीमा** • **ई-वॉलेट कंपनियों के लिए सुरक्षा नियम तैयार करना।** • ग्राहकों की **व्यक्तिगत सूचनाओं** को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 72 ए के तहत माना जाएगा।

VISION IAS

(e) डिजिटल अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाता है	स्वीकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर की उच्च लागत: *प्वाइंट ऑफ़ सेल टर्मिनलों* की लागत; उच्च परिचालन और रखरखाव की लागत (उदाहरण के लिए: 500 मिलियन से अधिक डेबिट और 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड के लिए 1 मिलियन से अधिक पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल्स हैं अर्थात प्रति मिलियन भारतीय के लिए 856 PoS।	• निवेश को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विस्तार को प्रोत्साहन। • सभी प्रकार के बड़े लेन-देन में नकदी के प्रयोग की सीमा निर्धारित की गई है। • **लकी ग्राहक योजना और डिजि धन व्यापार योजना** जैसे एक सक्षम ढांचे की आवश्यकता। डिजिटल भुगतानों में शामिल व्यापारियों पर पूर्वप्रभावी कर (retrospective) लागू न किया जाए।
(f) अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन: धन के प्रचलन की गति में वृद्धि हुई है। मूडीज की एक रिपोर्ट में आंकलन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के प्रभाव से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के GDP की दर में 0.8% की वृद्धि और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के GDP में 0.3% की वृद्धि संभव है। (g) लेन-देन की लागत तथा नकदी की उच्च लागत (सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.7%) में कमी लता है। नकदी की लागत में 0.4% की कमी से 2025 तक 4 ट्रिलियन की बचत को प्रोत्साहित कर सकता है। यह निवेश को संभव बनाता है जो कि 'मेक इन इंडिया' के लिए अति आवश्यक।	• भारत में नकदी में बचत और उपयोग करने उच्च प्रवृति। • कम नकदी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए सम्मोहक मूल्य प्रस्ताव का अभाव। कोई परिवर्तन क्यों चाहेगा जब बैंक वास्तव में कभी-कभी 1% तक कर लगा देते हैं? • धोखाधड़ी या छुपा हुआ प्रभार।	• 'कम नकदी' अर्थव्यवस्था के लिए और विकल्प जैसे: *99# USSD प्रणाली और **डिजिटल और मोबाइल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के रूप में आधार** का प्रयोग। • हाल में उठाए गए कदम जैसे कि: राज्यों को सशक्त बनाने और औद्योगिक श्रमिकों को वेतन भुगतान डिजिटली सीधे खातों में देने या चेक द्वारा हस्तांतरण की अनुमति के लिए कैबिनेट ने मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी।
	• इंटरनेट तक 30% लोगों की पहुंच और स्मार्टफोन तक 17% की पहुंच जो काफी कम है। • 73% भारतीयों की इंटरनेट तक पहुँच नहीं है। • इंटरनेट तक पहुँच वाले 27% लोगों में मात्र 15% के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं।	• यह सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चुनौती है जिससे निपटने के लिए NOFN, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी (उदाहरण के लिए: रिलायंस जियो आदि) सहायक हो सकती है ।
(h) कर अनुपालन में वृद्धि	भारतीय कर कानूनों में खामियाँ और कई प्रकार की छूट (भारत के उच्च कर व्यय)। (उदाहरणस्वरूप: अनेक निजी क्षेत्र की कंपनियां कर वंचन के लिए अपनी बैलेंस शीट्स में हेरफेर करती हैं)	• 'प्रोजेक्ट इनसाइट' जैसी पहल को सभी प्रकार के करों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

VISION IAS

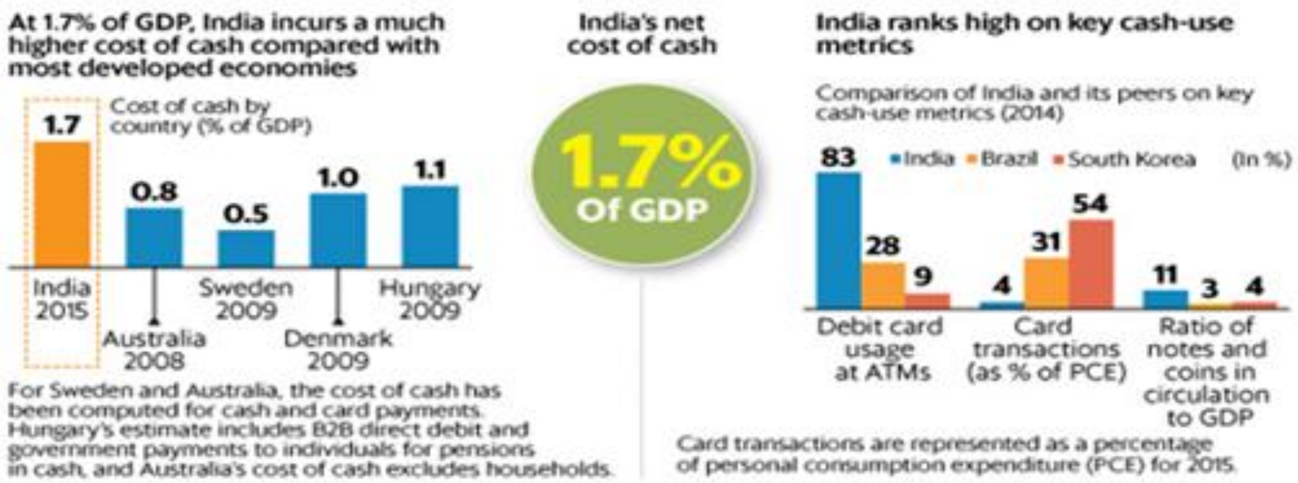

8.1.1. रतन वाटल समिति तथा चन्द्रबाबू नायडू समिति

(Ratan Watal And Chandrababu Naidu Committee)

रतन वाटल समिति	(चन्द्रबाबू नायडू समिति)
• भारत में डिजिटल भुगतान के विकास को तेज करने के लिए मध्यम अवधि की रणनीति। • नियामक व्यवस्था द्वारा इस रणनीति का सहयोग किया जाना चाहिए। यह भुगतान में प्रतियोगिता, अंतःप्रचालनीयता और स्पष्ट पहुँच को बढ़ावा देकर डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए अनुकूल है। • नकदी के समान ही आसानी से डिजिटल भुगतान करने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का अधिक से अधिक उपयोग। इसके अलावा डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी यह आवश्यक है। • यह भुगतान क्षेत्र इस प्रणाली में नए प्रकार के भागीदारों को समायोजित करने के लिए खुला होना चाहिए। यह नियामक के अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना भी नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। • *डिजिटल क्रेडिट गारंटी फंड* - दिवालियापन के मामलों को हल करने के लिए। • **एक तकनीकी सलाहकार निकाय का निर्माण-** डिजिटल भुगतान प्रणाली को विनियमित करने हेतु समस्याओं और प्रणाली के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह प्रदान करने के लिए । • **ऑपरेटर की जवाबदेही-** किसी भी साइबर हमले के मामले में डिजिटल भुगतान के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से उत्तरदायी बनाया जाए। इससे कि यह सुनिश्चित हो सकेगा कि वे सबसे अच्छी और सुरक्षित तकनीक से लैस हैं। • समय की माँग है कि इससे उभरने वाले मुद्दों के समाधान के लिए RBI को और मजबूत बनाया जाये तथा उसके पास एक समग्र *पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट* हो।	• सभी प्रकार के बड़े लेन-देनों में नकदी की अधिकतम स्वीकार्य सीमा का निर्धारण (कैपिंग)। • इसके द्वारा देश के सभी वर्गों को डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाये गये हैं। • इसने सभी सरकारी बीमा कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों, उर्वरक क्षेत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पेट्रोलियम क्षेत्र क डिजिटल ट्रांजैक्शन के दायरे में लाने के लिए सुझाव दिए गये है। • डिजिटल भुगतान सुरक्षा, जिसमें डिजिटल लेनदेन के दौरान हुई किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से हुए नुकसान की भरपाई करने वाली एक बीमा योजना शामिल हो। • सभी 1.54 लाख डाकघरों में आधार-सक्षम *माइक्रो एटीएम* अवसंरचना का निर्माण। • गैर-आयकर दाताओं और छोटे व्यापारियों को *स्मार्ट फोन* खरीदने के लिए 1,000 की सब्सिडी दी जानी चाहिए। • डिजिटल लेनदेन करने वाले व्यापारियों पर पूर्वप्रभावी कर नहीं लगाया जाए। • चंद्रबाबू नायडू द्वारा कहा गया है कि डिजिटल लेनदेन भौतिक मुद्रा की तुलना में ज्यादा *कॉस्ट-इफेक्टिव* हैं। • इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा लोगों की सोच में परिवर्तन लाना है।

VISION IAS

8.2. बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स

(Banking Cash Transaction Tax)

डिजिटल पेमेंट पर मुख्यमंत्रियों की समिति ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए BCTT ***(बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स)*** को पुनः वापस लाने की सिफारिश की है।

BCTT (Banking Cash Transaction Tax)

- **BCTC एक प्रकार का कर है, जो किसी व्यक्ति या HUF** द्वारा किसी **अनुसूचित बैंक के गैर-बचत खाते** से एक ही दिन में एक **निर्धारित सीमा से अधिक** के नकद लेन-देन पर लगाया जाता था।
- इसे **जम्मू-कश्मीर** राज्य में लागू **नहीं** किया गया था।
- नकद लेन-देन पर 0.1% की दर से कर लगाया गया था।
- सर्वप्रथम इस कर को वर्ष **2005 में** वित्त अधिनियम, 2005 के तहत पेश किया गया था। इसे बाद में **1 अप्रैल, 2009** से वापस ले लिया गया।
- इस टैक्स को छिपे हुए धन (काले धन) पर नज़र रखने और इसके स्रोत व गंतव्य का पता लगाने के लिए लगाया गया था।
- 2014 में **पार्थसारथी शोम** की अध्यक्षता वाली **कर प्रशासन समिति** ने भी BCTT को पुनः लागू करने की सिफारिश की थी।

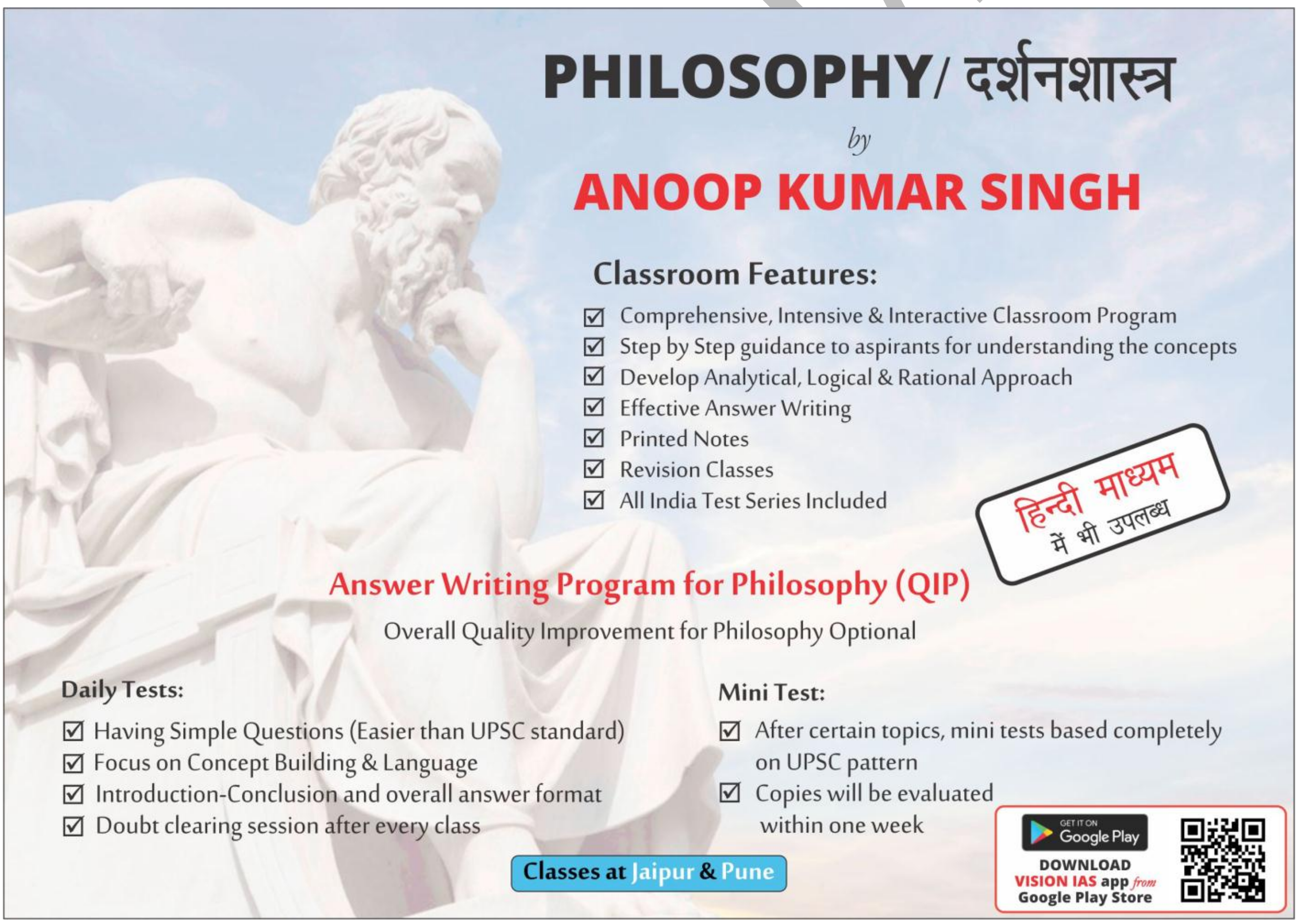

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.